खण्ड-238, अंक-8
बुधवार, 24 माघ, शक संवत् 1884
(13 फरवरी, 1963 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 238 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५७३—५७७
प्रश्नोत्तर	५७७—५९५
श्री बलवानसिंह द्वारा अपने अनुपूरक प्रश्न का स्पष्टीकरण	५९५—५९६
व्यवस्था के प्रश्न	५९६—५९८
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं ..	५९८—५९९
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिये समय निर्धारण ..	५९९—६०८
नार्दन इंडिया कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३ (विचारो परान्तपारित)	६०८—६४१
उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३ (प्रस्ताव पर कि विधेयक पर विचार किया जाय—विचार जारी)	६४२—६५५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १३ फरवरी, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में १० १/२ बजे दिन में अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३४०

अक्षयवरसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेध्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्ण, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री

गिरजाप्रसाद, श्री
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नार्यसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उप नाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री

तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (डब्बूसिंह)

बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह,आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री

रामकिशोर वर्मा, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल,' श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री

हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:—नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा सिंचाई उपमंत्री, श्री रामनारायण पाण्डेय भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १३ फरवरी, १९६३

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गोरखपुर जिले के बाढ़ क्षेत्र में सस्ते गल्ले की दूकानें

**१—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर जिले में सस्ते गल्ले की दूकानें, जो बाढ़ क्षेत्रों में थीं, वह बन्द कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो उसका कारण क्या है ?

रसद उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

जी नहीं । दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

**२—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि इस प्रकार कितनी दूकानें बन्द की गयी हैं और उन दूकानों से गल्ला लेने वालों को गल्ला देने का अन्य कौन-सा तरीका प्रस्तावित है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

प्रश्न नहीं उठता ।

**३—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार पुनः इन दूकानों को चालू करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या माननीय खाद्य मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि गोरखपुर में जनवरी महीने से बाढ़ क्षेत्र की दूकानें बन्द थीं ? यदि हां, तो क्यों ?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

बन्द कोई नहीं थीं। इत्तला तो यह मिली है कि वहां कुल ३०६ दूकानें काम करती थीं जिनमें १९२ बाढ़ क्षेत्र में थीं ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

जो १९२ बाढ़ क्षेत्र में थीं वे जनवरी के अन्त में बन्द थीं या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अब वह चल रही थीं या बन्द थीं उस उमय, इसकी इत्तला नहीं है । हमने बन्द कोई नहीं की ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, बाढ़ एरिया की दूकानें, जो चला करती थीं, वे बीच में बन्द हो गयी थीं और अब भी बहुत-सी दूकानें बन्द हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराकर उसकी सूचना सदन को देंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

नियम यह है कि हम कोई दूकान बन्द नहीं करते । अगर स्वयं उनमें से कोई अनाज न उठाये, बन्द हो जाये तो बात दूसरी है । हमारी तरफ से तो आर्डर यह है कि जितनी भी दूकानों की जरूरत हो खोल दी जायं ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जो बाढ़ क्षेत्र में दूकानें थीं उनको रेवेन्यू विभाग की तरफ से खाद्यान्नों पर सब्सीडी दी जाती थी और अब वह बन्द कर दी गयी है जिसके कारण वे बन्द हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह बात सही नहीं है । ३ सेर का गेहूं दिया गया। जो राइस नं० २ था उस पर सब्सीडी अब विदड्रा कर ली गयी है सब्सीडी विभाग द्वारा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय खाद्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९२ में से कितनी दूकानें ऐसी हैं जिन पर गल्ला उठ नहीं पा रहा है और वे इस कारण बन्द हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

जो छूट बन्द कर दी गयी, उसका क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

स्केयरसिटी डिपार्टमेंट ने आजकल चावल के भाव को देखते हुये यह सब्सीडी देना उचित नहीं समझा ।

इगलास तहसील तोड़ने के सम्बन्ध में पत्र

**४—श्री शिवदानसिंह (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसके माल विभाग (ग) ने दिनांक १३ दिसम्बर, १९६२ को कोई पत्र बोर्ड आफ रेवेन्यू के सेक्रेटरी, कमिश्नर, आगरा तथा जिलाधीश, अलीगढ़ को भेजा है जिसमें जिला अलीगढ़ की तहसील इगलास को तोड़ने के सुझाव पर उनकी राय मांगी है ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

जी हां, ऐसे पत्र भेजे गये हैं ।

**५—श्री शिवदानसिंह (अनुपस्थित)—

अगर हां, तो क्या सरकार उक्त पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करना जनहित में उचित न होगा ।

कम्युनिस्टों की गिरफ्तारी

**६—श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कितने कम्युनिस्ट आपात्कालीन स्थिति घोषित होने के बाद प्रदेश में पकड़े गये तथा उनमें से कितने छोड़ दिये गये ?

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—

इस प्रदेश में अभी तक कुल २३ कम्युनिस्ट डी० आई० आर० के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये तथा उनमें से एक व्यक्ति को छोड़ दिया गया है ।

**७—श्री यादवेन्द्रदत्त—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसे छोड़ देने का आधार क्या था ?

श्री नवलकिशोर—

इस प्रश्न का उत्तर देना जनहित में उचित न होगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो छोड़ दिये गये हैं उनके नाम बतलाना किस प्रकार जनहित में नहीं है ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

अब सारी बातें तो सदन के समक्ष प्रस्तुत करना इस अवसर पर ठीक प्रतीत नहीं होता और इसलिये किस व्यक्ति को किस कारण से और किस समय छोड़ा गया उसको भी व्यक्त करना सही प्रतीत नहीं होगा ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

क्या यह सत्य है कि जिनको छोड़ा गया उन्होंने सरकार को कोई लिखित अन्डरटेकिंग दी है कि अब वे अपनी प्रो-चाइनीज एक्टीविटीज छोड़ देंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

सरकार प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में जिसे सरकार डी० आई० आर० के अन्तर्गत पकड़ती है, समय-समय उसके विषय में जानकारी प्राप्त करती है और उससे अगर वह संतुष्ट हो जाती है कि उस व्यक्ति का संबंध उन कार्यवाहियों से नहीं है जो डी० आई० आर० के अन्तर्गत आती हैं तो उसे छोड़ देती है । जिस व्यक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त की जा रही है, उस व्यक्ति के बारे में भी जानकारी प्राप्त की गयी थी और सरकार संतुष्ट हुई कि वह व्यक्ति उन कार्यवाहियों में नहीं आ सकता जो हमने डी० आई० आर० के अन्तर्गत विभिन्न व्यक्तियों के प्रति इस समय कर रखी हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य पकड़े गये हैं डी० आई० आर० के अन्तर्गत, उनके संबंध में एक प्रतिनिधि मंडल कई बार माननीय मुख्य मंत्री जी से मिला था और उनसे इस बात का अनुरोध किया था कि चीनी आक्रमण के संबंध में हमारी राष्ट्रीय परिषद् ने एक राय से एक प्रस्ताव पास किया है और हमारी पार्टी उसको कार्यान्वित करने का पूरा प्रयत्न कर रही है और उनसे अनुरोध किया था कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हैं उनके विषय में सरकार व्यक्तिगत छानबीन करे और उनको छोड़े । तो उस अनुरोध को मान कर सरकार ने कितने केसेज में जानकारी प्राप्त की और क्या सरकार ऐसा आश्वासन देगी कि अन्य लोगों को भी छोड़ने की कृपा की जायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

सरकार की इस विषय में बहुत खुली नीति है और समय-समय पर वह अपनी उस खुली नीति को कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के सामने व्यक्त भी करती रही है और उसके अनुसार जो भी विषय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से सरकार के समक्ष रखा गया है उस पर सरकार ने पूर्णतया विचार किया है और विचार करने के बाद ही उस पर कोई कार्यवाही की है और इस कारण बहुत से व्यक्तियों को जिनके सिलसिले में सरकार के पास ऐसी इत्तला थी कि वे डी० आई० आर० की धाराओं के अन्तर्गत इस अवसर पर भी आ सकते हैं, उनको सरकार ने पकड़ा नहीं और जो डेपुटेशन आदि मिला है उसकी बातों को सुनकर और समझ कर सरकार ने अपनी जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की और उसी बुनियाद पर उनको नहीं छोड़ा गया है जिनके बारे में सरकार को संतोष नहीं हो पाया ।

जो व्यक्ति हमने पकड़े हैं और बन्द किये हैं वे आज के भी अपने विचारों के अनुसार अभी उस दृष्टि में नहीं लाये जा सकते कि जिस दृष्टि के अनुसार सरकार समय-समय पर लोगों के केसेज को देखकर उन्हें छोड़ती है। जैसा मैंने पहले कहा, सरकार की इस विषय में खुली नीति रही है। यदि कोई सदस्य सरकार को सन्तुष्ट कर दें कि अमुक व्यक्ति की नीति इस प्रकार की नहीं है और वह इस प्रकार का कार्य आइन्दा नहीं करेगा तो सरकार उस विषय पर समय-समय पर विचार करने के लिये उद्यत है और आज भी उस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिये तैयार है।

श्री कल्पनार्थीसिंह—

क्या मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि जितने कम्युनिस्ट गिरफ्तार हुए हैं प्रदेश में उसमें कितने भाषण करने के आरोप में तथा कितने विध्वंसात्मक कार्यवाहियों के आरोप में गिरफ्तार किये गये हैं ?

श्री चन्द्रभान् गुप्त—

अब यह तमाम ब्योरे की बातें तो यहां रखने का न समय है और न मैं उसे मुनासिब समझता हूं कि कौन किस-किस कारण से, किस-किस समय गिरफ्तार किया गया, यह बताया जाय। सरकार के सामने समय-समय पर जानकारियां उसके उस विभाग के तहत में प्राप्त हुयीं और उसके अनुसार सरकार ने, जो कार्यवाही उसे करना चाहिये था, उसके करने के लिये कदम उठाया।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

अभी माननीय मुख्य मन्त्री ने उत्तर देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति उनको आश्वस्त कर दे कि उसकी गिरफ्तारी जिस धारणा के अनुसार हुई है वह गलत है तो सरकार उस पर विचार कर सकती है। तो मैं जानना चाहूंगा कि जिस खुली नीति का उन्होंने वर्णन किया क्या उस खुली नीति के अनुसार मौखिक आश्वासन ही उस व्यक्ति का पर्याप्त होता है या उस व्यक्ति के कृत्यों और सरकार की रिपोर्ट को भी देखा जाता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

सरकार सब चीजों को देखती है और स्वतः जब तक सन्तुष्ट नहीं हो जाती है तब तक जो व्यक्ति सरकार के सामने अपना केस रखता है या जिसके प्रतिनिधि उसका केस पेश करते हैं, सरकार फौरन ही उस पर अमल नहीं करने लगती। सरकार जब इस बात के लिये पूर्णतया सन्तुष्ट हो जाय कि अमुक व्यक्ति डी० आई० आर० की धारा के अन्तर्गत रखने के योग्य नहीं है, तभी सरकार निर्णय लेती है कि वह व्यक्ति छोड़ दिया जाय।

कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी इस बात को देखते हुए कि अभी तक कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया ने स्पष्ट शब्दों में चीन को आक्रामक नहीं बतलाया, जैसा कि डांगे के लन्दन के वक्तव्य से साफ होता है, तो इस बात को देखते हुए क्या गम्भीरतापूर्वक इस बात को सरकार सोच रही है कि अपने प्रदेश में कम से कम कम्युनिस्ट पार्टी को बैन करे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

सरकार वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ा करती और असलियत को अपनी नजर के सामने रखकर सब प्रश्नों के ऊपर विचार करती है। इसलिये वह कोई अबुद्धिमत्ता का कार्य करने के लिये तैयार नहीं है।

(श्री सन्तसिंह यूसुफ के कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता—

(श्री सन्तसिंह यूसुफ) (व्यवधान) यह कोई शोभनीय बात नहीं है कि आप इस तरह से आग्रह करें। माननीय सन्त सिंह जी, आप जरा एक मिनट के लिये आसन ग्रहण करें। मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष के लिये यह सम्भव नहीं है कि सबको एक साथ बुला

ले। इसलिये यह शोभनीय नहीं मालूम होंता कि माननीय सदस्य यह कहें कि आप इधर भी देखा करिये। मैं सब तरफ देखता हूं।

श्री बलवानसिंह—

श्रीमन्, जब किसी एक पार्टी की तरफ से कई लोग उठते हैं, तो उसकी तरफ आपकी निगाह जानी चाहिये।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

माननीय मुख्य मन्त्री जी जो जनसंघ की आजकल विध्वंसात्मक कार्यवाही चल रही है, उसको देखते हुए क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

सरकार सब के मामले अपनी नजर के सामने रखती है और जिसके खिलाफ, ऐसी कार्यवाही करने की आवश्यकता पड़ती है, करने के लिये उद्यत रही है चाहे वह जनसंघ का व्यक्ति हो, प्रजा सोशलिस्ट हो, चाहे मुसलिम लीग का व्यक्ति हो, चाहे कम्युनिस्ट सदस्य हो और वह चाहे एस० पी० का सदस्य हो।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो लोग मुक्त किये गये हैं उनमें पेशावर कांड के व्यक्ति चन्दनसिंह गढ़वाली भी हैं। अगर उनको मुक्त नहीं किया गया है तो क्या उनको मुक्त किया जायगा? इसके अलावा कृपालसिंह, जो राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिये चन्दा जमा करके जब डी० सी० को देने के लिये और अन्तरिम जिला परिषद् की मीटिंग अटेण्ड करने के लिये पौड़ी गये थे, उसी वक्त गिरफ्तार किया गया तो क्या उनको भी छोड़ा गया है या नहीं? अगर नहीं, तो क्या उनको भी छोड़ा जायगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जैसा मैंने अभी निवेदन किया सरकार हर केस को हर समय देखने के लिये तैयार है। वैसे तो अब एक पद्धति केन्द्रीय सरकार की तरफ से इस विषय में निर्धारित हो गई है। जो लोग जिलाधीश के द्वारा पकड़े गये हैं उस डेलिगेटेड अथारिटी के अन्तर्गत जो प्रदेशीय सरकार ने जिलाधीश को दे रखी है, उसके द्वारा पकड़े हुए व्यक्तियों के मामले ६ महीने के अन्दर ही एक रिव्यूइंग बोर्ड, जिसको केन्द्रीय सरकार ने निर्मित करने का आदेश दिया है, उसके द्वारा वे केस देखे जाते हैं। जो लोग सरकार के द्वारा नये कानून की तहत में पकड़े गये हैं, सरकार उनके विषय में बराबर उनके केसेज की देख-रेख करती रहती है और समय-समय पर रिव्यू करके उनमें से, जिसको उचित समझती है, छोड़ने का आदेश दे सकती है और इस समय ऐसे कई केस सरकार के और उस रिव्यूइंग कमेटी के विचाराधीन हैं।

श्री बलवानसिंह—

क्या मुख्य मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग गिरफ्तार किये गये हैं क्या सरकार ने इनको रणदवे आइडियालाजी के ऊपर गिरफ्तार किया है या प्रो-चाइनीज एक्टिविटीज की वजह से उनको पकड़ा है? किस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जिनके विषय में सरकार के पास यह सूचना थी कि इन्होंने किसी समय ऐसे विचार प्रकट किये हैं जलसों में या आपस की गोष्ठी में जिनसे सरकार के अधिकारियों को यह विदित हुआ कि यह प्रो-चाइनीज व्यक्ति हैं या यह चीन के प्रति सहानुभूति रखता है तो जो सूचना सरकार के पास समय-समय पर आई उसके अनुसार सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया या जिलाधीश के आदेश पर उनको गिरफ्तार कर लिया।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गिरफ्तार २३ व्यक्तियों में से जो छोड़े गये हैं उनमें रमेशचन्द्र सिन्हा हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के ही सदस्य नहीं बल्कि उनका सम्बन्ध कांग्रेस से भी है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

कांग्रेस तो ऐसी मां है जिसने बहुत से बच्चों को पैदा कर दिया और वह इधर भी बैठे हुए हैं और उधर भी बैठे हुए हैं। यह सब कांग्रेस की ही औलाद हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास सहारनपुर जिले से ६ एम० एल० एज की तरफ से दस्तखत शुदा कोई प्रार्थना-पत्र ऐसा आया है कि वहां पर जो कम्युनिस्ट होने के नाते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उनका केस ऐसा है जिसके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिये। उनकी कोई कार्यवाही ऐसी नहीं थी जो देशद्रोही कही जा सके, तो सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जिस केस की माननीय सदस्य चर्चा कर रहे हैं वह विचाराधीन है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कभी-कभी हमारे विधान सभा के सदस्यों का दृष्टिकोण किसी व्यक्ति के विषय में एक है और वे हमारे अधिकारी जिन पर हम विश्वास रखते हैं और जिनके द्वारा हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं, वह उनकी धारणाओं के विपरीत होती हैं। तो इस प्रकार विचारों में विभिन्नता रहती है, हमें उनका अध्ययन करना पड़ता है और उसके बाद सरकार फैसला करती है कि कौन-सी सही बात है जिस पर सरकार को अमल करना चाहिये। तो जिस व्यक्ति के सम्बन्ध में सदस्यों ने अभी आवेदन पत्र दिया है उस विषय में और जानकारी प्राप्त करने की सरकार चेष्टा कर रही है और उस नीति के अन्तर्गत जिसकी घोषणा हमने की है कि समय-समय पर केसेज रिव्यू होते रहेंगे और रिव्यूइंग कमेटी भी देखती रहेगी जिसमें चीफ सेक्रेटरी और लखनऊ डिवीजन के कमिश्नर भी हैं, और यदि वह सन्तुष्ट हो जायगी कि उस व्यक्ति को जेल में बन्द रखना नहीं चाहिये तो अवश्य ही सरकार उस व्यक्ति को छोड़ देगी। सरकार किसी व्यक्ति की स्वतन्त्रता का अपहरण अकारण ही नहीं करना चाहती, न उसकी यह नीति है और न उसका इस गणतन्त्र के युग में ऐसा विश्वास है कि विभिन्न विचारों के लोगों को, केवल वे दूसरे विचार रखते हैं, इसलिये पकड़ कर बन्द किया जाय। हां, यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, अथवा करता हुआ दिखायी पड़ता है कि जो राष्ट्रद्रोही हो तो उस व्यक्ति के लिये अवश्य सरकार कार्यवाही करती है।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा प्रश्न ८ पुकारे जाने पर।)

(व्यवधान)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्नों के समय में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। कल केवल ६ प्रश्न थे इसलिये मैं काफी समय दे सका। आज कई और महत्वपूर्ण प्रश्न भी आगे हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। आप मेरा यह निवेदन तो सुन लें।

श्री अधिष्ठाता—

यदि आपको मैं अनुमति दूं तो दूसरों को भी देनी पड़ेगी। प्रश्नों के समय के बाद आप कोई प्रश्न उठा सकते हैं, उस समय मैं उसकी व्यवस्था कर दूंगा।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

आपने मुझे देखा ही नहीं, मैं २० बार खड़ा हुआ था। मुझे प्रश्न पूछने का अवसर मिलना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

अब नहीं। मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

होम गार्ड योजना

**८---श्री चन्द्रजीत यादव---

क्या नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पी० आर० डी० और युवक कार्यक्रम के अन्दर किसी विशेष योजना का निर्माण किया है? यदि हां, तो इस पर कितने खर्च का अनुमान है और उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

नियोजन मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---

भारत सरकार से प्राप्त होम गार्ड योजना की रूपरेखा के अनुसार इस प्रदेश में भी होम गार्ड स्थापित करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। चूंकि यह योजना अभी अन्तिम रूप से स्वीकार नहीं की गई है, अतः अभी इस पर होने वाले खर्चे का सही-सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के नगर क्षेत्रों तथा प्रत्येक विकास खंड में होम गार्ड स्थापित किये जायेंगे। गांवों में प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयं सेवक अन्य कार्यों के साथ-साथ नागरिक सुरक्षा का भी कार्य करेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव---

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार किन आधारों पर इस योजना का संगठन करने का निर्देश दिया गया है और क्या कोई प्राविजनल स्कीम सरकार ने बना रखी है कि होम गार्ड्स में राज्य में इतने व्यक्ति भर्ती किये जायेंगे?

श्री हरगोविन्दसिंह---

होम गार्ड, जैसा कि उत्तर में कहा गया है, ब्लाक लेविल पर अरबन एरियाज में बनेंगे। ब्लाक लेविल पर १ लाख ५ हजार ३०० के करीब बनेंगे और अरबन एरिया में ४१ हजार के करीब होंगे। वह २५ हजार जनसंख्या पर अरबन एरिया में होंगे। तो इस तरह से यह है और जो अभी स्कीम आयी है उस पर, जैसा उसमें उत्तर दिया गया है, उस पर विचार किया जा रहा है कि किस प्रकार से प्रान्तीय रक्षक दल और विलेज वालंटियर फोर्स और होम गार्ड, इन तीनों को एक दूसरे से सम्बन्धित कर के उसको कार्यान्वित किया जाय।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो पी० आर० डी० ब्लाक स्तर पर किये गये हैं, तो उसकी आय-व्यय के क्या साधन हैं और इसके रख-रखाव के सम्बन्ध में क्या नीति अपनाई गई है और उसकी जानकारी सभी को कराने के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की जा रही है?

श्री हरगोविन्दसिंह---

जो बजट होता है, उसमें से जो प्रान्तीय रक्षक दल के कार्यकर्ता हैं, उनको तनख्वाह दी जाती है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि जो अभी ब्लाक स्तर पर प्रान्तीय स्तर पर प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयं सेवकों के शिविर हुए हैं---१६० और १२० इस तरह से हुए हैं, तो उसमें जो पैसा खर्च हुआ है वह पब्लिक से इकट्ठा किया गया और जो पैसा आया है उसका सदुपयोग हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी किस प्रकार से सरकार को है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

श्री हरगोविन्दसिंह---

श्रीमन्, जो शिविर है, यह ब्लाक लेविल पर, उसमें आप देखें कि वह डिस्ट्रिक्ट आर्गनाइजर के अन्तर्गत हुए हैं और पैसे के दुरुपयोग की कोई शिकायत नहीं आई है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो ब्लाक स्तर पर काम हुआ है, उसमें कुल कितने लोगों ने शिविर में ट्रेनिंग पाई है और उसकी ट्रेनिंग का कोर्स सरकार की तरफ से क्या बनाया गया था कि उनको क्या-क्या ट्रेनिंग देनी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

श्रीमन्, यह जो प्रश्न किये जा रहे हैं, इनका कोई सम्बन्ध नहीं है फिर भी मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह हर एक ब्लाक में लोगों को १५ रोज की ट्रेनिंग दी गई और कहीं-कहीं पर कुछ ज्यादा दिनों की भी दी जा रही है। जैसी जनता की अवस्था और स्थिति है, उसी प्रकार से वह ट्रेनिंग का पीरियड निर्धारित करते हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश भर में जो १६० शिविर चलाये गये, उनको चलाने के लिये सार्वजनिक रूप से कितना चन्दा किया गया और कितना सरकारी खजाने से पैसा खर्च किया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

श्रीमन्, इसके कोई आंकड़े हमारे पास नहीं हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह---

क्या माननीय मन्त्री जी के पास इस बात की सूचना है कि इस पी० आर० डी० में कुछ देशद्रोही तत्व ऐसे हैं, जो इसमें घुसकर शरीक हो गये हैं और उसको कमजोर बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस सम्बन्ध में देशव्यापी स्कीम बनाई गई है ? क्या इस सम्बन्ध में मन्त्री जी कुछ स्पष्टीकरण करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री हरगोविन्दसिंह---

श्रीमन्, इसमें १६ से ४० वर्ष के अन्दर के लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो रूरल और अरबन एरिया से लगभग १।। लाख लोग इसमें भरती किये जायेंगे उनको क्या सिविल डिफेन्स के लिये राइफल ट्रेनिंग देने की योजना भी सरकार की है और जो योजनायें सरकार की चल रही हैं उनमें भी उनसे सहायता ली जाय, क्या ऐसी कोई योजना है ? यदि हां, तो उस पर क्या सरकार प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

होमगार्ड जो होंगे वह स्टैचुटरी बाडी होगी और उनका काम लेबर का भी होगा, एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और वह पुलिस के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त---

क्या सरकार बतायेगी कि होम गार्ड्स की स्कीम और पी० आर० डी० की स्कीम करीब करीब एक ही तरह की है और काम भी एक ही प्रकार का होगा तो क्या दोनों को मर्ज करके स्टैचुटरी बाडी नहीं बनाया जा सकता ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

यह होम गार्ड की स्कीम गवर्नमेंट आफ इंडिया से आयी है जिसमें संख्या निर्धारित है और ब्लाक लेविल पर यह होगी और विलेज लेविल पर पी० आर० डी० वर्क करती रहेगी, इस तरह से दोनों का समावेश किया जा रहा है।

श्री कल्पनार्थसिंह---

क्या प्रदेश में इस तरह की भी मांग हुई है कि आजाद हिन्द फौज के पुराने सिपाहियों को पी० आर० डी० और होम गार्ड में स्थान दिया जाय ? यदि हां, तो उनको किन जगहों पर स्थान दिया गया है ? और नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

यह कहीं से मांग तो नहीं आयी, लेकिन ब्लाकों में और गांवों में जब ट्रेनिंग शुरू हुई तो यह प्रबन्ध किया गया कि आई० एन० ए० के लोग जो ट्रेनिंग दे सकते हैं उनको बुलाकर उनके द्वारा ट्रेनिंग दिलाई जाय। उसमें आय-व्यय कितना हुआ उसके आंकड़े इस वक्त मेरे पास नहीं हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

जो प्रदेश में १०७ शिविर चले हैं उनके खर्चे के लिये क्या यह सही है कि फी गांव से ५० रुपया और अन्न लिया गया है ? तो इसमें कितना रुपया आया और कितना बचा, कितना खर्चा हुआ और उसकी प्रति सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

आय-व्यय तो ब्लाक लेविल पर हुआ होगा। अगर कोई खास शिकायत हो तो जांच कराई जा सकती है, लेकिन प्रान्त भर में जांच नहीं करायी जा सकती ।

श्री बलवन्तसिंह---

पी० आर० डी० ट्रेनिंग की भर्ती के लिये मन्त्री जी ने सिर्फ एज बतलाई है कि १६ से ४० तक होगी, लेकिन क्या और कोई योग्यता जरूरी नहीं है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

मैंने पी० आर० डी० के लिये नहीं, विलेज वालंटियर फोर्स के लिये कहा था।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

क्या मन्त्री जी ने सुरक्षा के लिये प्रदेश के रिटायर्ड जनरल्स, कैप्टेंस या और फौजी अफसरों की सेवाएं हासिल करने की कोशिश की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

हां, इस बात का प्रयत्न किया गया कि जितने लोग ट्रेनिंग देने की क्षमता रखते हों उन सबकी सर्विसेज ली जायं।

श्री सन्तसिंह यूसुफ---

जो ट्रेनिंग दी जायगी इसमें रफ एस्टीमेट कितने रुपये के खर्चे का है और इन लोगों को क्या वेतन भी दिया जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

जैसा कि नियोजन मन्त्री ने बतलाया, होम गार्ड्स की योजना का पी० आर० डी० के साथ इंटिग्रेशन करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है। होम गार्ड की योजना का आदेश केन्द्रीय सरकार से आया तो हमारी पी० आर० डी० की योजना जारी थी। जो अभी दृष्टिकोण अपनाया है उसके अनुसार डेढ़ लाख होम गार्ड्स तैयार किये जायेंगे और साथ ही पी० आर० डी० की योजना को मिलाकर करीब १८० लाख अगले वर्ष इस सिलसिले में व्यय होगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस स्कीम के मातहत होम गार्ड्स को राइफलों की कमी के कारण महीने में एकाध बार से ज्यादा राइफल हैंडिल करने को नहीं मिले हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

राइफलों की सारे ही प्रदेशों में कमी है जहां होम गार्ड्स की योजना चालू होने जा रही है। केन्द्रीय सरकार प्रबंध कर रही है। अभी तो जो बाहर से आते ह और यहां पैदा होते हैं वे रेगुलर आर्मी को नहीं दिये जा रहे हैं। पुलिस के थानों में जहां सम्भव हो सकता है, लोगों को ट्रेनिंग देने की चेष्टा की जा रही है।

श्री बलवानसिंह--

पी० आर० डी० पहले भी थी लेकिन तोड़ दी गई थी। अब क्या यह संकट के लिये है या मुस्तकिल है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

पी० आर० डी० कभी तोड़ी नहीं गई थी।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

क्या सरकार सुरक्षा को देखते हुये विचार करेगी कि पी०आर० डी० से सेकिंड लाइन आफ डिफेंस का ही काम लिया जाय और उनसे और बहुधंधी कोई काम न लिया जाय जिससे उनकी क्षमता न गिरे ? यह न हो कि वे कांग्रेस के मंत्रियों की अगुवानी करें और चुनाव प्रचार करें, ऐसा मैं समझता हूं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

जहां तक विलेज वालंटीयर फोर्स का सम्बन्ध है जो कि पी०आर०डी० के अन्तर्गत कार्य करेगी, उसके रक्षकों का काम तीन दिशाओं में गांव के अन्दर सीमित रहेगा जिनके विषय में नियोजन मंत्री जी ने अभी बताया है। जहां तक होम गार्ड्स का सम्बन्ध में है, जो ब्लाक लेविल पर देहात के क्षेत्र में बनेंगे और अरबन एरियाज में २५,००० की आबादी के ऊपर निर्धारित की हुई संस्था में बनेंगे, वे प्रदेश में भी उन कार्यों के सिलसिले में भेजे जा सकेंगे जो कि उनके बारे में काम सुपुर्द होने वाला है। पी०आर०डी० के अन्तर्गत जो विलेज वालंटीयर फोर्स होगी वह गांव से सम्बन्धित होगी और उत्पादन, शिक्षा और डिफेंस का कार्य करेगी।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)--

नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये और स्त्रियों की आत्मरक्षा को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार निकट भविष्य में ऐसी कोई योजना बनाने जा रही है जिसमें स्त्रियां भी सक्रिय भाग ले सकें, साथ ही साथ महारानी झांसी रेजीमेन्ट की तरह कोई बाडी बनाने जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

होम गार्ड्स में स्त्रियां भी रहेंगी।

श्री कल्पनार्थासिंह--

क्या मुख्य मंत्री जी आश्वासन देंगे कि आई०एन०ए० के लोगों को वैतनिक स्थानों पर होम गार्ड्स और पी०आर०डी० में प्राथमिकता दी जायगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

सरकार की नीति बराबर यह रही है कि आई०एन०ए० के वे सिपाही और ओहदेदार जिनमें शारीरिक बल है और स्वस्थ हैं पी०आर० डी० के कमान्डेंट, प्लैटून कमान्डर या कम्पनी कमान्डर रखे जावें। कुछ आये भी हैं और बहुत जमाने से पी० आर० डी० में काम कर रहे हैं।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)--

इस स्कीम के लिये १८० लाख में से केन्द्रीय सरकार कितना रुपया देगी और कितना प्रदेशीय सरकार खर्च करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

पी०आर०डी० में केन्द्रीय सरकार कुछ नहीं देती है। होम गार्ड्स के लिये उनसे मांग की जा रही है कि खर्चे का कुछ हिस्सा दें। अभी कतई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन आशा है कि वे कुछ मदद अवश्य करेंगे।

श्री नेकराम शर्मा--

प्रदेश के रिटायर्ड फौजी अफसरों की सरकार ने क्या कोई लिस्ट बनाई है और आज तक उनमें से कितने को सुरक्षा के कार्यों में लगाया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

जहां जहां फौजी अफसर उपलब्ध हैं, जो स्वस्थ हैं और उम्र की हद में आते हैं उन्हें पी० आर० डी० और होम गार्ड्स में रखने पर विचार हो रहा है। बहुत सें एन०सी०सी० में रख भी दिये गये हैं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पी०आर०डी० और होम गार्ड्स के सभी सदस्यों को वर्दी और कुछ पारिश्रमिक देने की व्यवस्था की जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

होम गार्ड्स की वर्दी होगी।

श्री काशीनाथ मिश्र--

क्या सरकार इसका विचार रखेगी कि उत्तर प्रदेश की मार्शल रेसेज, जैसे गूजर, अहीर, राजपूत, इत्यादि हैं, के लोगों की संख्या इन होम गार्ड्स में ज्यादा रहे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

मार्शल रेसेज की फिलासफी, जो अंग्रेजों ने पुराने जमाने में चालू कर रखी थी, वह खत्म हो चुकी है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात का ध्यान रखते हुये कि यह योजना सेकेन्ड लाइन आफ डिफेंस के लिये बनाई जा रही है, इसके सुनियोजित ढंग से चलाने के लिये यह जरूरी है कि मिलिटरी के रिटायर्ड अफसरों के चार्ज में इसका काम दिया जाय, तो इस बात पर विचार करेंगे कि किसी रिटायर्ड जनरल को इस स्कीम को प्रतिपादित और सम्पादित करने के लिये रखा जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

यह प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन रहा है और सारी बातों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं या जिन्होंने पी० आर० डी० में काम किया है, उन्हीं को यह काम सुपुर्द किया जाय।

श्री भगवान दास यादवेन्दु (जिला आगरा)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन श्रमजीवियों के लिये, जिन्हें दिन भर मेनहत करने के बाद इतना समय नहीं मिलता है कि रायफल ट्रेनिंग या होम गार्ड्स की ट्रेनिंग में शामिल हो सकेंवीकली छुट्टी के दिन ट्रेनिंग की व्यवस्था करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

बहुत से स्थानों पर यह व्यवस्था चालू है। अभी मैं रामपुर इत्यादि गया था, वहां के मिल मालिकों ने इस प्रकार की शिक्षा मजदूरों को देने का स्वतः प्रबंध कर लिया है और मिलों की ओर से मजदूर लोग सैनिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला पिठौरागढ़)--

क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि नेफा में वही लोग भागे जो मार्शल रेस के नहीं थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

मैं नहीं जानता कि कौन भागा और कौन नहीं भागा और यह भी मैं नहीं समझ पाया कि भागने का प्रश्न इसमें कैसे उठता है। लड़ाई मोर्चे पर होती है और वहां जो सबसे बड़ा कमान्डर होता है उसकी आज्ञा से वहां पर काम होता है। जो वह नीति निर्धारित करता है, उसके अनुसार वहां कार्य होता है। इसलिये फौज के भागने या न भागने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री अधिष्ठाता---

(अनेक सदस्यों के खड़े होने तथा ध्यान आकृष्ट करने हेतु बोलने पर) यह उचित नहीं है कि इस प्रकार से मेरा ध्यान आकृष्ट किया जाय। इस एक ही प्रश्न पर करीब १६ मिनट हो गये हैं जो साधारणतः बहुत ज्यादा समय है। मैं प्रत्येक व्यक्ति को समय दे नहीं सकता।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, केवल उन्हीं लोगों को समय न दिया जाय जो आगे बैठते हैं, उनको भी समय दिया जाय जो पीछे बैठते हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त---

क्या सरकार बतायेगी कि होम गार्ड्स का जो रिक्रूटमेन्ट हो रहा है या जो लोग उसकी ट्रेनिंग पाते हैं उसमें उन लोगों को ट्रेनिंग न दी जाय जो सिक्योरिटी रिस्क कहलाते हैं और क्या सरकार ऐसे लोगों को इस प्रकार की ट्रेनिंग न मिल सके और वास्तविक सुरक्षा की दृष्टि से योग्य लोग ही ट्रेनिंग पा सकें, इसकी कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

जो व्यक्ति इस प्रकार की शिक्षा के लिये छांटे जाते हैं उनके विषय में सारे एन्टीसीडेन्ट्स इत्यादि जानकर रखने की कोशिश की जाती है और इस अवसर पर भी जो भर्ती होगी उसमें भी इस प्रकार की जानकारी को सामने रख कर ही भर्ती की जायगी।

श्री श्यामलाल---

क्या प्रदेश में जितने आर्म्स लाइसेंसीज हैं उनकी सेवा यह सरकार पी० आर० डी० या होम गार्डस में लेने का प्रयास कर रही है ? यदि हां, तो क्या वे आर्म्स लाइसेंसीज अपने आप आ रहे हैं या उन पर सरकार कोई रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

कोई भी आर्म्स लाइसेंसी, जो उम्र के कायदे में आता है और सही आदमी है, तो उसको रखा जा सकता है। एक प्रश्न अवश्य सरकार के सामने कई दफा आया है कि जब तक हमारे पास राइफल इत्यादि यूनीफार्म ढंग की नहीं हो जाती, तब तक इन लोगों से लेकर लोगों को शिक्षा दी जाय। गवर्नमेन्ट ने उस प्रश्न पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है क्योंकि शिक्षा के संबंध में इस बात की कोशिश हो रही है, यूनिफार्म ढंग की रायफल्स हों ताकि यूनिफार्म ढंग से ट्रेनिंग दी जा सके। लाइसेंसी के लिये वर्जित नहीं है कि वे इस प्रकार की शिक्षा में शामिल न हो सकें।

श्री बलवानसिंह---

श्रीमन्, यह देश की सुरक्षा के संबंधित सवाल है जबकि देश पर संकट आया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा बतलाया गया है कि एक हिन्दुस्तानी सोलजर २० चीनी सोल्जर्स के बराबर है लेकिन वहां का एक आफिसर.....

श्री अधिष्ठाता---

आप सूचना न दे कर प्रश्न पूछें।

श्री बलवानसिंह---

तो क्या मैं जान सकता हूं कि वह कौम जो जमीन पर काम करती है--जमीन संबंधी काम करने वाली कौम मार्शल रेस और नानमार्शल रेस की भी हो सकती है तो ऐसे मेहनतशील लोगों के लिये सरकार पी० आर० डी० में जगह देगी ताकि अगर फिर देश पर कोई संकट आवे तो यह देश अच्छी तरह से मजबूत रहे ? क्योंकि आरामतलब लोग ही नेफा के मोर्चे से भागे हैं और जितने आफिसर्स वहां मरे हैं वे हिन्दुस्तानी फौज के लोगों द्वारा ही मारे गये, क्योंकि उन्होंने भागने की कोशिश की। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी पी० आर० डी० व होम गार्डस की ट्रेनिंग ऐसे मेहनतशील लोगों को ही देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैं इस लांछन के प्रति, जो हमारे मित्र आर्मी के प्रति करते हैं, उसका तीव्र विरोध करता हूं। न तो यह अवसर है और न यह स्थान है कि आर्मी के विषय में, उसके सिपाहियों के विषय में और उसके जनरल के विषय में इस तरह की एक गैरजिम्मेदाराना ढंग से हम बात करें।

(व्यवधान)

श्री बलवानसिंह—

इस पर मुझे आब्जेक्शन है, मुझे सफाई का मौका दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

श्री बलवान सिंह जी, आप तो अच्छी तरह से कानून और संविधान के जानने वाले व्यक्ति हैं। कोई मौका सफाई देने का इस समय नहीं है। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री बलवानसिंह—

मेरा यह कहना है कि जो मैंने सवाल किया था वह ऐसा नहीं है जो हिन्दुस्तानी फौज की शान के खिलाफ हो .....

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

मेरा एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है। क्या एक सदस्य के लिये यह कहना कि "वे गैर जिम्मेदाराना ढंग से" बात कर रहे हैं, संसदीय है? इस सदन में क्या कोई इस शब्द का प्रयोग कर सकता है?

श्री अधिष्ठाता—

बात गैर जिम्मेदाराना हो सकती है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

प्रश्न यह है कि क्या यह शब्द "गैर जिम्मेदाराना" संसदीय है? मैं इसके लिये मुख्य मंत्री के खिलाफ ब्रीच आफ प्रिविलेज का नोटिस देता हूं।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

श्रीमन्, सदन में एक व्यवस्था है और एक नियम है। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे दल की तरफ से एक ऐसा सवाल आया जैसे समाजवादी दल ने एक प्रश्न मार्शल रेस और नानमार्शल रेस का उठाया। तो जर्मनी वाले, जो अपने को प्योर ब्लड का कहते हैं, अगर पता लगाया जाय तो उनमें भी बहुत से वर्णशंकर निकलेंगे। फिर कौन ठीक है कि यहां वर्णशंकर लोग नहीं हैं, फिर मार्शल रेस और नान मार्शल रेस का सवाल ही क्या है?

श्री यादवेन्द्रदत्त—

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस पर कोई प्रश्न न करके इस सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का प्रश्न सदन में न उठे तो अच्छा है। और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से भी कहूंगा कि अगर आवेश में कोई शब्द निकल जाय तो यह उनको भी शोभा नहीं देता है। जो चीज हो गयी वह हो गयी, मैं समझता हूं कि उसको अब यहीं समाप्त किया जाय और आगे बढ़ें। क्योंकि न तो यहां आर्मी का विषय है और न यह विषय है कि कौन भागा, कौन नहीं भागा या किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं और मुख्य मंत्री जी से लेकर इस सदन के सभी सदस्यों से नम्र निवेदन करता हूं कि इस विषय को यहीं खत्म किया जाय और अब आगे का प्रश्न लिया जाय। अगर मुख्य मंत्री जी से कोई शब्द आवेश में निकल गया हो तो मैं समझता हूं कि उनके स्थान के लिये और अवस्था के लिये भी उचित है कि उसका परिमार्जन यदि वह कर दें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री अधिष्ठाता—

अभी जो यहां प्रश्न उठाया गया कि शब्द "गैर जिम्मेदाराना" संसदीय है या नहीं, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि यह शब्द अपने प्रसंग के साथ संसदीय और असंसदीय दोनों हो सकता है। यदि वह माननीय सदस्य के लिये कहा जाय तो वह असंसदीय हो सकता है, लेकिन अगर

[श्री अधिष्ठाता]

किसी माननीय सदस्य की बात को "गैर जिम्मेदाराना" कहा जाय तो वह संसदीय है। यहां पर माननीय सदस्य को "गैर जिम्मेदार" नहीं कहा गया है बल्कि उनकी बात को ही गैर जिम्मेदाराना कहा गया है, इसलिये यह संसदीय है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह योजना विचाराधीन है या लागू हो चुकी है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

पी० आर० डी० के अन्तर्गत जो योजना थी, जिसे पहले से ही चालू किया गया था, वह चालू है और उसी पर अभी अमल हो रहा है।

श्री बलवानसिंह--

श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी के समझने में कुछ कमी हुई है.....

श्री अधिष्ठाता--

अब केवल ५ मिनट प्रश्नों के रह गये हैं, आप इससे संबंधित बात कुछ कहना है तो बाद में कह लें, मैं आपको अवसर दे दूंगा।

श्री बलवानसिंह--

मुझे अफसोस है कि...

श्री अधिष्ठाता--

आप ५ मिनट बाद कह लें, आप सोच भी इतने समय में लेंगे और कुछ शांत भी हो जायेंगे।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्यों में कुछ संतुलन और अनुशासन होना चाहिये।

तारांकित प्रश्न

*१-२--श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

[२७ फरवरी, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

राज्य में अंधे

*३--श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४ व ५ के उत्तर में सरकार ने जो बतलाया है कि अन्धों की संख्या सरकार के पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है ? तो, क्या सरकार ऐसा सर्वेक्षण कराने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कुल कितने अन्धे हैं और उनमें से ऐसे कितने हैं जिनके भरण-पोषण का कोई भी जरिया नहीं है ?

समाज कल्याण उपमंत्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)--

वर्तमान संकटकालीन स्थिति में अन्य आवश्यक कार्यों को देखते हुए अन्धों के कल्याण की किसी नयी योजना के लिये आवश्यक धन की व्यवस्था करना कठिन है, अतः इस प्रकार का सर्वेक्षण कराना संभव नहीं है।

श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब संकटकालीन स्थिति हट जायगी उसके बाद भविष्य में क्या इस विषय पर विचार किया जायगा कि जो ऐसे अंधे हैं, जिनके भरणपोषण का जरिया नहीं है उनके लिये कोई व्यवस्था की जाय ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--

ईश्वर करे कि संकटकालीन स्थिति शीघ्र हट जाय, उस समय सरकार इस पर विचार करेगी ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या माननीय समाजकल्याण मंत्री को जानकारी है कि उनके ही विभाग ने भिखारियों के लिये बेगर होम बनाये हैं, लेकिन कुछ अंधे ऐसे भी हैं कि जो इस योग्य नहीं हैं कि जो स्वयं अपना भरणपोषण कर सकें और अपनी भूख की ज्वाला को शांत कर सकें, तो क्या ऐसे अंधों के लिये सरकार कोई विशेष प्रबन्ध करेगी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--

अंधों के लिये कोई रोक नहीं है अगर वह वहां जाना चाहें तो उन्हें दाखिल किया जा सकता है और अब भी दोनों बेगर्स होम्स में जो अन्धे हैं उनकी देख-रेख हो रही है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

उत्तर प्रदेश के जितने अन्धे हैं सबको तो उन होम्स में रखना कठिन होगा, तो क्या जिस तरह से कि ६५ साल से ऊपर के लोगों को बुढ़ापे की पेंशन दी जाती है उसी तरह से इन अंधों को भी पेंशन देने के लिये सरकार विचार करेगी ?

श्री अधिष्ठाता--

उस योजना के नियम आप स्वयं पढ़ सकते हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जैसा कि अभी श्री काशी नाथ मिश्र ने कहा कि जिस तरह से बुढ़ौती पेंशन दी जाती है उसी तरह से उन अंधों को, जिनका कोई दूसरा साधन नहीं है और जो इतने कमजोर हैं कि वह कोई साधन नहीं जुटा सकते हैं और वह ६५ वर्ष के नहीं हैं उनको कोई उम्र में पेंशन देने के लिये छूट देने पर विचार किया जायगा ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--

इस विषय पर विचार किया जा सकता है, अगर यह प्रश्न आयेगा तो अवश्य विचार करेंगे ।

श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)--

क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि वृद्धावस्था पेंशन के लिये ६५ साल की अवस्था का नियम है लेकिन जो अंधे या कुष्ठ रोगी कम ही उम्र में बिलकुल अपंग हो जाते हैं क्या उन्हें भी पेंशन देने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

श्री अधिष्ठाता--

मैं कह चुका हूं कि इसके लिये नियम हैं ।

श्री विश्वनाथ पाँडेय 'प्रणव' (जिला मिर्जापुर)--

क्या सरकार उन अंधों को, जो सारी योजनाओं को देखते हुए कहते हैं यहां कुछ नहीं हुआ, उनको भी अंधों में गिन कर सहायता देने पर विचार करेगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

*४-६--श्री रामसुन्दर पांडेय--

[२७ फरवरी, १९६३ के लिए स्थगित किये गये ।]

*७-८--श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय--

[२७ फरवरी, १९६३ के लिए स्थगित किये गये ।]

नोट:---तारांकित प्रश्न ३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

सोरों डिस्पेंसरी के प्रान्तीयकरण पर विचार

*९—श्री बेदराम (जिला एटा)—

क्या सरकार सोरों, जिला एटा की डिस्पेंसरी का प्रान्तीयकरण करने तथा वहां जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

सीअर, जिला बलिया में जनाना अस्पताल खोलने की प्रार्थना

*१०—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—

क्या सरकार को विदित है कि सीअर (बलिया) में जो घाघरा के किनारे बसा है और किसी भी जनाना अस्पताल से २० मील से अधिक दूरी पर है, जनाना अस्पताल नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां जनाना अस्पताल खोलने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां । सरकार को विदित है कि सीअर में कोई जनाना अस्पताल नहीं है, परन्तु वहां से लगभग १० मील पर नवानगर में एक राजकीय महिला (ऐलोपैथिक) चिकित्सालय कार्य कर रहा है, और सरकार अभी सीअर में जनाना अस्पताल खोलने पर विचार नहीं कर रही है ।

मलेरिया-उन्मूलन विभाग

*११—गंगाप्रसादसिंह—

श्री स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या मलेरिया उन्मूलन विभाग समाप्त किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव)—

जी नहीं ।

*१२-१४—श्री चन्द्र बलीसिंह (जिला देवरिया)—

[२७ फरवरी, १९६३ के लिए स्थगित किये गये ।]

*१५-१६—श्री रियासत हुसन—

[२७ फरवरी, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

पंचक्रोसी सड़क पर सार्वजनिक स्थानों से सम्बन्धित सम्पत्ति का प्रबन्ध

*१७—श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—

क्या समाज कल्याण मंत्री को इस आशय का शिकायती-पत्र हाल में प्राप्त हुआ है कि वाराणसी जिलान्तर्गत पंचक्रोसी रोड पर जो धर्मपरायण लोगों ने कई करोड़ की सम्पत्ति लगाकर धर्मशालायें, मन्दिर, तालाब तथा सार्वजनिक कुयें आदि बनवाये हैं और उनके रख-रखाव और मरम्मत आदि के लिये कई करोड़ की सम्पत्ति चढ़ा कर छोड़ गये हैं उस सम्पत्ति को कुछ व्यक्ति अपने निजी उपयोग में ला रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार उक्त सम्पत्ति का व्यक्तिगत उपयोग रोकने के लिये क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

जी हां । इस पर जांच हो रही है ।

*१८—श्री ऋषिनारायण शास्त्री—

क्या सरकार इसके प्रबन्ध के लिये किसी विशेष समिति या ट्रस्ट का निर्माण करेगी जो वाराणसी नगरमहापालिका, जिला परिषद्, प्रदेशीय सरकार और भारत सरकार से सक्रिय सहयोग और सहायता प्राप्त करके इनकी समुचित व्यवस्था कर सके ?

*१९—क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुये कि उक्त पंचकोसी सड़क पर समस्त भारत के लोगों ने निर्माण करा कर सम्पत्ति छोड़ी है, उनके सुप्रबन्ध के लिये भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करेगी तथा जिस प्रदेश के लोगों या जिन रियासतों ने इस कार्य में योगदान किया है उनका भी सहयोग उक्त समिति में लेने का प्रयत्न करेगी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

इस सम्बन्ध में जांच हो जाने पर ही सरकार कुछ निर्णय ले सकेगी ।

*२०—श्री शिवनाथसिंह—

[२७ फरवरी, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२१-२२—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

[हटा दिये गये ।]

*२३—श्री गंगाप्रसादसिंह—

[२७ फरवरी, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

*२४—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

[२७ फरवरी, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२५—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि १ जनवरी, १९५९ से अगस्त, १९६२ तक ग्राम हसारी, जिला झांसी, में सरकार द्वारा वहां के हरिजनों को पानी पीने के कुयें बनाने के लिये तथा कुओं की मरम्मत के लिये कर्जों अथवा अनुदानों के रूप में कितना रुपया दिया गया और कितने कुयें नये बने और कितने पुराने कुओं की मरम्मत हुई ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

उक्त अवधि में हसारी ग्राम में हरिजनों को पेय जल कूप निर्माण के लिये १,९०० रु० अनुदान के रूप में हरिजन विभाग से दिया गया । मरम्मत के लिये कोई अनुदान या कर्ज नहीं दिया गया । जिन लोगों को अनुदान दिये गये हैं वह कुवें बनवा रहे हैं । परन्तु अभी पूरे नहीं हुये हैं ।

बुन्देलखंड में रोजगार दिलाने के लिये कार्य

*२६—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बुन्देलखंड क्षेत्र में पढ़े-लिखे लोगों को रोजगार दिलाने के लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

सरकार बुन्देलखंड क्षेत्र में पढ़े लिखे लोगों को रोजगार दिलाने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही कर रही है—

(१) इस क्षेत्र के चारों जिलों अर्थात् झांसी, जालौन, हमीरपुर और बांदा में सेवायोजन कार्यालय खुले हुये हैं जहां पढ़े लिखे व्यक्तियों को पंजीकृत करके उन्हें रोजगार दिलाने का सतत् प्रयत्न किया जाता है ।

(२) झांसी में एक व्यवसाय निर्देशन की शाखा की भी स्थापना की जा चुकी है, जहां पढ़े-लिख व्यक्तियों को उनकी योग्यता का ध्यान रखते हुये उचित व्यवसाय में परामर्श दिया जाता है ।

(३) झांसी, जालौन तथा बांदा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें खोलने का विचार है और यह आशा की जाती है कि यह तीनों ही संस्थायें १-८-६३ से कार्य करना प्रारम्भ कर देंगी । इन संस्थाओं में प्रशिक्षण पाकर व्यक्तियों को रोजगार में लगाने में अधिक सुविधा हो जायगी ।

(४) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सभी योजनायें किसी न किसी अंश में बेरोजगारी को दूर करती हैं ।

अतारांकित प्रश्न

लखनऊ मेडिकल कालेज में अर्थोपैडिक सर्जरी विभाग को बढ़ाना

१—श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल कालेज, लखनऊ में आर्थोपैडिक सर्जरी में कितने पलंग मरीजों के लिये है ? क्या यह भी सही है कि वहां मरीजों की संख्या वेटिंग सूची में एक हजार से ऊपर है और भरती के लिये पलंग की कमी से मरीजों को असुविधा होती है ? क्या सरकार पलंगों की संख्या बढ़ायेगी ?

श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव—

इस समय ५९ पलंग हैं । वेटिंग सूची में मरीजों की संख्या लगभग एक हजार से कुछ कम रहती है अतएव उन मरीजों को असुविधा होना स्वाभाविक है । पलंगों की संख्या बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

२—श्री राममूर्ति 'अंचल'—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेडिकल कालेज, लखनऊ, में आर्थोपैडिक सर्जरी विभाग के हेतु आर्टीफिशियल Limbs सेन्टर के बनने हेतु रुपया स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो उपरोक्त सेन्टर कब तक बन सकेगा ?

श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव—

जी हां । उपरोक्त सेन्टर के भवन निर्माण की दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

लखनऊ में चेचक

३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगरपालिका की आबादी में चालू वित्तीय वर्ष में चेचक का प्रकोप कब से है और इन दिनों में कितने व्यक्ति रोग-ग्रस्त हुये तथा कितने मरे ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

१९६२-६३ वित्तीय वर्ष में लखनऊ नगर महापालिका में नवम्बर माह के तीसरे सप्ताह से चेचक का अधिक प्रकोप रहा है । नवम्बर, १९६२ से २६ जनवरी, १९६३ तक लखनऊ नगर में २०४ व्यक्तियों के चेचक से ग्रसित तथा ७६ व्यक्तियों की मृत्यु होने की सूचना मिली है ।

समाज कल्याण विभाग के अनुदान में कटौती

४—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण विभाग और हरिजन कल्याण विभाग के चालू वित्तीय वर्ष के व्यय के तखमीने में से कितनी-कितनी धनराशियों की कटौती की गयी है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

चालू वित्तीय वर्ष में समाज कल्याण विभाग के व्यय के तखमीने में से १३,४१,४०० रुपये की कटौती हुई है । हरिजन कल्याण विभाग में कोई कटौती नहीं हुई है ।

चेचक उन्मूलन योजना

५—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चेचक उन्मूलन योजना में जिसका संचालन चालू वित्तीय वर्ष में किया गया है कितने कर्मचारी और अधिकारी कार्य कर रहे हैं तथा भारत सरकार से वार्षिक क्या सहायता प्राप्त हो रही है ?

श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव---

चेचक उन्मूलन योजना, जिसका संचालन चालू वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश के १७ जिलों में किया गया है, के अन्तर्गत १७ मेडिकल आफिसर, १७ पैरा मेडिकल असिस्टेन्ट, ३४ हेल्थ एजूकेटर, ३२४ स्मालपाक्स इन्स्पेक्टर, १,९४४ वैक्सीनेटर, १७ लिपिक, ३४ ड्राइवर तथा ३७५ चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं । इस योजना के संचालन हेतु भारत सरकार ने राज्य सरकार को सम्पूर्ण आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का क्रमशः ७५ प्रतिशत तथा १०० प्रतिशत देने की स्वीकृति दी है ।

श्री बलवान सिंह द्वारा अपने अनुपूरक प्रश्न का स्पष्टीकरण

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)---

श्रीमन्, बड़े जोश में, बल्कि गुस्से में मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

यह प्रश्न ओपिन न किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता---

यह मेरा अधिकार है । मैं माननीय बलवानसिंह जी से कहूंगा कि संक्षेप में ही कोई बात जो उससे उठती हो वही कह सकते हैं ।

*श्री बलवान सिंह---

श्रीमन्, मुझे बड़ा दुःख है सभ्यता के दायरे को तोड़ते हुये मुख्य मन्त्री ने जोश में कहा, गुस्से में कहा, गुस्सा हमको भी आ सकता है क्योंकि हम नव जवान हैं। लेकिन मेरे सवाल का मतलब यही था कि ऐग्रीकल्चरल क्लासेज को जो इस देश के लिये प्राण देने में अगुआ हैं उनको प्राथमिकता दी जाय, होम गार्ड और पी० आर० डी० में क्योंकि आफिशियल क्लासेज, जिस तरह से पोलिटिकल बेसिस पर मिलिटरी में लोग रखे जाते हैं, नेफा में जो सेट बैक हुआ है, उसको देखते हुये मैंने कहा था। मैंने मिलिटरी पर कोई टीका नहीं की, अपने देश की मिलिटरी पर हमको गर्व है । और मैं इतना कह दूं कि जहां तक पेट्रिआटिज्म का सवाल है, मैं भी किसी से कम पैट्रिआटिक नहीं हूं । इसीलिये मैंने कहा था कि होम गार्ड, पी० आर० डी० में ऐग्रीकल्चरल क्लासेज को प्राथमिकता दी जाय क्योंकि इस देश की सुरक्षा का सवाल है। आज जिस तरह से हमारी बेइज्जती हुई है, आज भी हमले की उम्मीद है, और यह प्रश्न देश की सुरक्षा सम्बन्धित है, यह मिलिटरी से सम्बन्धित नहीं है, इसलिये देश को बचाने के लिये एग्रीकल्चर क्लासेज को तैयार किया जाय। जिस शब्दावली का प्रयोग मुख्य मन्त्री जी ने मेरे लिये किया है, जिस गलतफहमी के अधीन किये उसको वह वापस लें।

श्री अधिष्ठाता---

जहां तक आपके स्पष्टीकरण का सम्बन्ध था अच्छा किया आपने उसको स्पष्ट कर दिया। जहां तक 'गैर जिम्मेदाराना' शब्द का सम्बन्ध था उस पर मैं अपनी व्यवस्था दे चुका हूं ।

श्री बलवानसिंह---

इंटेंशनली उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया, आप उनसे पूछ लें, मुझको वह शब्द बड़ा दुःख देता है क्योंकि मैं किसी के लिये ऐसा नहीं कहता ।

श्री अधिष्ठाता ---

आपका विचार है कि उन्होंने आपको गैरजिम्मेदार कहा है, आप के शब्द को नहीं। कोई भी उसको पढ़ कर और सुन कर यह नहीं समझ सकता कि आपके लिये गैरजिम्मेदार कहा है। आपकी बात को गैरजिम्मेदार कहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बलवानसिंह —

आप इस परम्परा की अनुमति दे रहे हैं, उनका भी जवाब देने पर वही शब्द इस्तेमाल करें तो कैसा रहेगा ?

श्री अधिष्ठाता—

कर सकते नहीं हैं, करते हैं, हर एक की बात को गैरजिम्मेदार बात कहने का अधिकार है और आये दिन कहा जाता है । आप स्वयं अध्ययन करेंगे तो इसी नतीजे पर आयेंगे ।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर) —

मैं आपकी व्यवस्था का स्पष्टीकरण चाहता हूं । आपने व्यवस्था दी कि अगर "गैर जिम्मेदार" शब्द किसी सदस्य के लिये व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल हुआ हो तब तो असंसदीय है और अगर उसकी बात के लिये इस्तेमाल हुआ हो तो संसदीय है । मैं आपका ध्यान उस प्रोसीडिंग की तरफ दिलाना चाहता हूं जिन शब्दों का प्रयोग, जिस लहजे में मुख्य मन्त्री जी ने किया है वह व्यक्तिगत तरीके से माननीय बलवान सिंह के लिये इस्तेमाल किया है । आप उस प्रोसीडिंग को पढ़ लें । और उसके बाद आप अपनी व्यवस्था के मातहत अगर यह समझते हों कि वह व्यक्तिगत नहीं है तब तो आपकी जो व्यवस्था है वह शिरोधार्य है लेकिन अगर यह व्यक्तिगत तरीके से माननीय सदस्य के लिये कहा गया है तो आप उसको इस प्रोसीडिंग से एक्सपन्ज कराने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता —

ठीक है, मैं अवश्य उस प्रोसीडिंग को देखूंगा ।

व्यवस्था के प्रश्न

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर) —

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या कोई माननीय सदस्य आपसे यह कह कर कि अधिष्ठाता महोदय, कृपया इधर भी देखें, आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है या नहीं ।

श्री अधिष्ठाता —

मैं इस विषय में इतना ही कह सकता हूं कि किसी भी अधिकार का अगर दुरुपयोग किया जाय तो वह गलत हो जाता है । वैसे यह ठीक है, विशेषतया कोई आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन वांछनीय भी नहीं है । अगर सारे सदस्य एक साथ यह कहने लगें कि इधर भी देखिये तो इसके माने यह हो जायेंगे कि प्रश्नों के लिये जो ६० मिनट निर्धारित होते हैं, उसमें अध्यक्ष के लिये अपना कार्य करना असम्भव हो जायगा । उसके लिये परम्परा यही है कि वह अध्यक्ष के विवेक पर छोड़ा जाय । अध्यक्ष को बहुत सी बातें तोलनी होती हैं, कि किस पार्टी ने कितने प्रश्न किये, किस सदस्य ने कितने प्रश्न किये, आदि । अगर सारे सदस्य कह कहने लग जायं कि इधर देखिये तो वास्तव में वह अवांछनीय है चाहे वह अनपार्लियामेंटरी न भी हो लेकिन वह अवांछनीय अवश्य होगा ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

केवल मैंने ही आपका ध्यान आकर्षित किया था ।

श्री अधिष्ठाता—

जो अधिकार एक व्यक्ति को है वह सारे सदन को है और अगर सारा सदन उस अधिकार का प्रयोग करने लग जाय तो कोई काम चल नहीं सकता ।

श्री कमला सिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय बलवानसिंह ने एक प्रश्न पूछा और आपने उसे उचित समझ कर परमिट किया और माननीय मुख्य मन्त्री को आदेश दिया कि उसका उत्तर दें । तो उत्तर न देकर उन्होंने उसका घोर विरोध किया । तो क्या ऐसा हो सकता है कि उत्तर न दे कर कोई घोर विरोध करे किसी प्रश्न का जिसको आपने उचित समझ कर एलाउ कर दिया है ?

श्री अधिष्ठाता ---

जब एक प्रश्न किया जा सकता है तो उसका उत्तर भी दिया जा सकता है। प्रश्न में अगर एक आरोप लगाया जा सकता है तो उसका प्रबल शब्दों में खंडन भी किया जा सकता है। अगर आपके प्रश्न में कोई आरोप लगाया गया है तो मुख्य मन्त्री या सरकार के किसी मन्त्री को उसे गलत बताने का अधिकार है।

श्री लखौसिंह (जिला मथुरा)---

इसकी ठोस व्यवस्था होनी चाहिये चूंकि हमें भी इसमें शक है। जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं और जो जरा फुर्ती से उठ खड़े होते हैं। उनको आप पुकार लेते हैं और हम जैसे लोग कमजोरी से खड़े होते हैं उनको आप नहीं पुकारते हैं। तो इसकी जरा कड़ाई से व्यवस्था करिये।

श्री अधिष्ठाता ---

अच्छा।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी) ---

आज एजेन्डे पर सबसे कम प्रश्न थे और जिस माननीय सदस्य का प्रश्न होता है वह उसकी निगाह में बड़े महत्व का होता है। आज जिस तरह से कार्यवाही हुई उससे कई महत्वपूर्ण प्रश्न रह गये। अगर इस तरह से रोज कार्य हुआ करेगा तो जो बाकी प्रश्न रह जाते हैं उनका क्या होगा ?

श्री अधिष्ठाता ---

मैं इसके जवाब में यही कह सकता हूं कि मुझे इसमें सदन का सहयोग चाहिये। जब बहुत बड़ी संख्या में माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं तो मेरे लिये यह असम्भव हो जाता है कि मैं उन सब को नजरअन्दाज करके आगे बढ़ जाऊं। फिर भी, मुझे दो एक बार ऐसा करना पड़ा। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में सब लोग मुझे सहयोग प्रदान करेंगे।

श्री जे० पी० मिश्र---

अधिष्ठाता महोदय, हम कांग्रेस पार्टी के मेम्बरों की तादाद ढाई सौ के करीब है और आप प्रोसीडिंग देख लें, श्रीमन्, एक-एक प्रश्न पर एक-एक सदस्य को आठ-आठ बार सप्लीमेंटरी करने का मौका दिया जाता है; और हम लोग खड़े होकर आपका ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते हैं। आपकी यह व्यवस्था मांगता हूं कि सप्लीमेंट्रीज के लिये एक ऐसा रिवाज कर दिया जाय कि एक सवाल के बाद वही सदस्य दूसरा प्रश्न न कर सके ताकि और सदस्यों को मौका मिल सके। यह मेरा आप से निवेदन है।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय जे० पी० मिश्र ने जिस बात की ओर ध्यान दिलाया मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है। अध्यक्ष को यह अधिकार है कि अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोग खड़े हों तो उनको समय दें। लेकिन अगर लोग खड़े ही न हों तो कैसे उस की व्यवस्था की जा सकती है ?

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

अधिष्ठाता महोदय, जो प्रश्न माननीय बलबानसिंह जी ने पूछा था, जिसका उत्तर मुख्य मंत्री जी ने दिया था, उसके अंतिम भाग में यह था कि मेहनतकश लोगों को स्थान दिया जाय, इसके लिये मुख्य मंत्री जी भावुकता में बह गये और कोई उत्तर नहीं दिया गया तो क्या, श्रीमन्, ऐसा हो सकता है कि मुख्य मंत्री जी किसी प्रश्न का उत्तर ही न दें ?

श्री अधिष्ठाता---

आप बैठ जायं।

श्री राधेश्याम शर्मा--

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब आप मुझ से बैठने के लिये कह रहे थे तो शान्तिप्रपन्न शर्मा जी कह रहे थे 'बैठ जाइये'--तो क्या ये अध्यक्ष हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

जो उपदेश आप दूसरों को देते हैं उसको स्वयं कीजिये। यह प्रश्न समाप्त हो चुका है। अगर किसी बात का जवाब नहीं दिया गया है तो आप दुबारा प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करने का अधिकार थोड़े ही समाप्त हो गया है।

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता--

आज नियम ५२ के अन्तर्गत मेरे पास ५ प्रस्ताव आये हैं। उनमें से कोई भी नियम ५२ के अन्तर्गत नहीं आता, इसलिये मैंने किसी को स्वीकार नहीं किया। केवल एक जो कि माननीय राधेश्याम जी का है उसको मुख्य मंत्री जी के पास सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिया है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि मैंने भी नियम ५२ के अन्तर्गत प्रस्ताव दिया था, लेकिन आपने जो व्यवस्था दी है वह शिरोधार्य है। लेकिन इंटरमीजियेट बोर्ड के इम्तहान होने जा रहे हैं और बहुत से बच्चों की जिन्दगी का सवाल है, इसलिये अगर आप इसको माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास भेज दें तो बड़ी कृपा हो।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने इसको अध्ययन किया है और मैं स्वयं इसकी जानकारी रखता हूं, अगर आप मुझ से मिले होते तो मैं आपको बता देता कि न सरकार के पास भेजने का स्कोप है और न बच्चों के जीवन की कोई बात है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

श्रीमन्, मैंने नियम ५२ में एक प्रश्न दिया था जिसको आपने स्वीकार नहीं किया। श्रीमन्, इतने तार और चिट्ठियां सादाबाद तहसील से आये हैं कि वहां का तहसीलदार काफी रुपया नेशनल डिफेंस फंड का खा गया है और लोगों से उसने जो सोना और रुपया लिया है उसकी रसीद नहीं दी है। मैं निवेदन करूंगा कि इसकी जांच कराई जाय। एक पत्र भी लिखा था लेकिन उसका जवाब नहीं मिल पाया। इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि इसकी जांच कराई जाय।

श्री अधिष्ठाता--

आपको पूर्ण अधिकार है कि मुख्य मंत्री जी के पास आप स्वयं जा सकें और कह सकें।

श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती)--

हमने भी एक प्रस्ताव आपके पास भेजा था जो बूचड़खाने से संबंधित था।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने उसको अस्वीकार कर दिया है इसलिये कि वह सरकार से संबंधित नहीं था और आपने जो सूचना दी है उसका कोई निश्चित आधार नहीं है। इस तरह से हर प्रस्ताव पर अलग-अलग कहने की मैं इजाजत नहीं दे सकूंगा और कारण नहीं बता सकूंगा। अगर आप जानना चाहें तो मेरे कमरे में आकर मालूम कर सकते हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

आप रावत जी को अपने कक्ष में बुला लें क्योंकि वे नये सदस्य हैं, वर्डिग्स में कहीं गलती हो गई होगी।

श्री अधिष्ठाता---

मैंने स्वयं उनको निमंत्रण दे दिया है।

श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)---

श्रीमन्, मैंने एक प्रस्ताव दिया था कि दश तबाह होता जा रहा है। देश की भूमि, खलिहान, ऊसर, बंजर को फरोख्त करवा रहे हैं वहां के अधिकारी और त्राहि-त्राहि मची हुई है। आपने न उसकी अनुमति दी और न किसी कार्यवाही के लिये भेजा।

श्री अधिष्ठाता---

आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा कि जो नियम सदन ने बनाये हैं उनका पालन करने में सदन की गरिमा और महिमा बढ़ती है। अगर सारे माननीय सदस्य एक एक करके इस सदन में उसके लिये कहने लग जायं तो यह उचित नहीं होगा। मैं फिर निवेदन करूंगा कि जो माननीय सदस्य इस विषय में चाहें तो कृपा करके मेरे कक्ष में पधार करके इसके बारे में संतुष्ट हो सकते हैं

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिये समय निर्धारण की सूचना

श्री अधिष्ठाता---

अब मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी १२ फरवरी, १९६३ की बैठक में यह निश्चय किया कि निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा उनके पारण के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित किया जाय---

१---नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐंड डेनेज उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर विचार और उसका पारण १३ फरवरी, १९६३ को सायंकाल ४ बजे तक।

(२) उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३ पर विचार का प्रस्ताव १३ फरवरी, १९६३, को सायंकाल ४ बजे से ५-३० बजे तक तथा १३ फरवरी, १९६३, का सायंकाल ५ बजे तक।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर) ---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के लिये कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है ---

(१) नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐंड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३।

(२) उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया) ---

इसकी जरूरत नहीं है, श्रीमन्। यह तो नयी परम्परा पड़ रही है।

श्री अधिष्ठाता ---

माननीय मिश्र जी ने एक नयी आपत्ति उठा दी। न यह नयी परम्परा है, न नियम के विरुद्ध है। जो नियम बने हुये हैं उनमें यह प्रोवीजन है कि जो विजिनेस ऐडवाइजरी कमेटी का डिसिशन होता है वह कोई माननीय सदस्य द्वारा पेश हो कर सदन से अनुमति प्राप्त हो जाती है।

श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)--

मैं आपकी इजाजत से प्रस्ताव करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३.....

श्री अधिष्ठाता--

आप क्या चाहते हैं ?

श्री गंगाप्रसादसिंह--

मैं माननीया सुशीला रोहतगी के प्रस्ताव में संशोधन पेश करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता --

देखिये, अगर अध्यक्ष का कार्य सारे माननीय सदस्य अपने ऊपर ले लेंगे तो सब को कठिनाई होगी। आप कृपा करके मुझे इतना सहयोग दें। (व्यवधान) पहिले वह मुझ से इजाजत मांग लें। अगर वह गलत है तो मैं स्वयं रोकूंगा। लेकिन पहले मैं जान तो लूं कि वह क्या चाहते हैं। (श्री गंगाप्रसादसिंह से) मैं आपसे अपेक्षा करता था कि यदि आप कोई संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आप को एक प्रति मेरे पास अवश्य भेजनी चाहिये थी। भविष्य में अगर कोई माननीय सदस्य, और खास तौर से सरकारी पक्ष के लोग, अगर कोई संशोधन भेजें तो उसकी प्रति मेरे पास अवश्य भेजनी चाहिये।

श्री गंगाप्रसादसिंह--

यह प्रस्ताव तो अभी पेश हुआ है, उसके पूर्व भेजना सम्भव नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

नियम यही है कि आप पहले मेरी आज्ञा लीजिये। वैसे मैं आपको इस समय इजाजत देता हूं। नियमित है या नहीं, इस पर तो विचार बाद को हो सकेगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको इजाजत देता हूं कि आप उस संशोधन को रखें।

श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला गोंडा) --

मैं आपकी इजाजत से यह प्रस्ताव करता हूं कि जो प्रस्ताव अभी कार्य मन्त्रणा समिति के समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्तुत हुआ है उसमें यह संशोधन कर दिया जाय कि उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३ पर कार्यमन्त्रणा समिति के निश्चय पर पुनः विचार करने के लिये कार्यमन्त्रणा समिति को पुनः निर्दिष्ट कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता --

कोई माननीय सदस्य इस तरह के संशोधन को प्रस्तुत करना नियम विरुद्ध तो नहीं समझते ?

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) --

मैं, श्रीमन्, इसको बिलकुल नियम विरुद्ध समझता हूं कि ३६ घंटे की सूचना किसी संशोधन को पेश करने के लिये आवश्यक है।

श्री अधिष्ठाता--

आप अपना वक्तव्य केवल इस बात पर इस समय दे सकते हैं कि यह नियम विरुद्ध है या नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

यह नियम विरुद्ध इसलिये है कि वह आपके कार्यालय में ३६ घंटे पूर्व आना चाहिये था।

श्री अधिष्ठाता--

पांडेय जी, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप नियमों के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। नियम में अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार है कि सूचना देने में समय की कमी की बात को वे वेव कर सकते

हैं। इस समय मैंने इस स्थिति को देखते हुये कि माननीय सदन के सामने अभी यह प्रस्ताव आया है और उसमें ३६ घंटे पहले संशोधन देना असम्भव था, इस संशोधन को प्रस्तुत करने की इजाजत दे दी। इस पर आप कुछ कहना चाहते हों तो कहें कि यह संशोधन नियम विरुद्ध है।

श्री रामसुन्दर पांडेय —

अधिष्ठाता जी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय कल्पनाथ सिंह जी वगैरह के संशोधन थे तो फिर इस तरह के संशोधन को यकायक ले आना नियम विरुद्ध अवश्य है और उसको नहीं मानना चाहिये।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—

मुझे इस प्रकार के संशोधन को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि सरकार की ओर से एक ही प्रस्ताव आया करता था और उसे सचेतक कांग्रेस दल प्रस्तुत किया करते थे। एक ही विषय समिति की ओर से आता था जो यहां सर्वमान्य होता था। लेकिन अब दो दो प्रस्ताव आ गये हैं। अब इसमें कौन आफिशियल है और कौन नान आफिशियल। इसके बारे में उनके पास क्या सूचना है, इसको श्रीमन् जरा सचेतक सरकार के जो हैं उनसे पूछें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, आप कल बीच में उठकर चले गये थे और उस समय माननीय विष्ट जी चेयर पर थे; जिस समय कार्य मंत्रणा समिति के सामने यह दोनों विधेयक आये थे तो मुझे याद है.....

श्री अधिष्ठाता—

मैं चाहूंगा कि सदन में शान्ति रहे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

कि उस समय यही तय हुआ था कि आज ४ बजे तक जो बिल चल रहा है उस पर बहस होगी।

श्री अधिष्ठाता—

ऐडवाइजरी कमेटी के अन्दर क्या हुआ, इसकी चर्चा यहां करना क्या उचित होगा?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैं तो, श्रीमन्, एक क्लेरिफिकेशन आपके जरिये से चाहता हूं कि कल ४ बजे तक विवाद रहे और उसके बाद यह सैलेक्ट कमेटी को रिफर कर दिया जायगा, यह तय हुआ था। तो फिर आज इस बात की चर्चा उठाना कि उस पर चर्चा न हो कर यह पुनः ऐडवाइजरी कमेटी के विचार के लिये भेज दिया जाय, मैं समझता हूं कि यह निरर्थक है और इस सवाल को यहां नहीं पेश करना चाहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। जो प्रश्न माननीय सुशीला रोहतगी जी ने कमेटी द्वारा टाइम निर्धारण से सहमति का, वह तो नियमपूर्वक दिया है। उसी सिलसिले में मैं आप का ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम २२६ की ओर दिलाना चाहता हूं—"किसी विधेयक या विधेयक समूह या अन्य कार्य के सम्बन्ध में समिति द्वारा सिफारिश की गयी समय-सारिणी की सूचना साधारणतया सदस्यों को पत्र द्वारा, सदन को अध्यक्ष द्वारा प्रतिवेदित किये जाने से कम से कम एक दिन पूर्व, दी जायेगी। आपने जो सदन को रिपोर्ट दी है, इसके पहले समिति ने अपना निर्णय लिया है और उसी सम्बन्ध में माननीय रोहतगी जी की तरफ से प्रस्ताव भी आ गया। जो भी संशोधन आता है तो उस को २४ घंटे पूर्व दिया जाना चाहिये और ऐसा नहीं हुआ। इसलिये यह अवैधानिक है, हमारी प्रक्रिया नियमावली के नियम के प्रतिकूल है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय काशीनाथ मिश्र जी ने इसको अवैधानिक बताते हुये जो नियम पढ़ा उसमें उन्होंने एक शब्द "साधारणतया" की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। उसके मानी हैं कि आर्डिनरीली ऐसा होना चाहिये, लेकिन विशेष स्थिति में इसका उलंघन भी हो सकता है। यह मतलब है उसका। इसलिये उसको प्रस्तुत करने की अनुमति दे चुका हूं और वह ठीक है। जब बिल पर डिस्कशन शुरू हो गया, शाम को विजनेस कमेटी बैठी, और उसने कुछ निश्चय किया, उसकी सूचना आज दे दी गयी, तो आप की बात निराधार हो जाती है।

दूसरी बात यह उठायी गयी कि यह संशोधन आ सकता है या नहीं। इस सम्बन्ध में एक बात कह देना चाहता हूं। किसी माननीय सदस्य को इससे अवलम्भा हो यह दूसरी बात है और वह उसको उचित नहीं समझते यह अलग बात है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं तो नियमों से बंधा हूं। प्रक्रिया नियमावली के नियम २२७ में यह स्पष्ट लिखा हुआ है--"सदन को सूचित किये जाने के बाद यथा संभव शीघ्र अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट समिति के किसी भी सदस्य द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा :--

"कि यह सदन समिति द्वारा प्रस्थापित समय के बंटवारे को स्वीकार करता है।" जब ऐसा प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत हो जाय तो वह उसी प्रकार प्रभावी होगा जैसे कि वह सदन का आदेश हो। परन्तु यह संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा कि प्रतिवेदन या तो बिना परिसीमा के या किसी विषय के सम्बन्ध में समिति को पुनर्निर्दिष्ट कर दिया जाय।" यह नियम है। माननीय गंगाप्रसाद जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह इस प्राविजो के अन्तर्गत है और वह नियम संगत है, वह उसको पेश कर सकते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप की क्या बात हुई, उसका इससे कोई संबंध नहीं है।

श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)--

श्रीमन्, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है वह इस हाउस की कमेटी नहीं है, बल्कि उसको माननीय अध्यक्ष ने अपनी सलाह के लिये बनाया है और अब तक जो उसका निर्णय हुआ है उसी की गाइडेन्स के अनुसार अध्यक्ष महोदय समय निर्धारित करते रहे हैं और कार्य हुआ है। यह पहली बार देखा गया है कि उस समिति की रिकमेन्डेशन पर उस तरफ से माननीया रोहतगी जी ने प्रस्ताव रखा है। मैंने अन्य माननीय सदस्यों की भावनाओं को माननीय बनारसीदास जी से व्यक्त किया था और वे इससे राजी हो गये थे कि जो भी एडवाइजरी कमेटी का निर्णय होगा वह माननीय अध्यक्ष या माननीय उपाध्यक्ष की तरफ से सदन में रख दिया जायेगा और वही काफी होगा, दोबारा प्रस्ताव करने की जरूरत नहीं होगी। इससे तो उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। यह एक अहम प्रश्न हो गया है। उस कमेटी में हर पार्टी के ह्विप होते हैं और वे जो फैसला कर लेते हैं वह सब को मान्य होता है। मैंने बनारसीदास जी से बात की और वे उसके लिये राजी हो गये थे, अब फिर और उसमें अमेंडमेंट भी आ गया। श्रीमन्, कल हमने यह प्रार्थना की थी कि चूंकि आज माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति मिली है, इसलिये यह बिल आज फिर पेश किया जाय, तो वह बात नहीं सुनी गयी थी। अब जब उसकी प्रथम रीडिंग हो चुकी, तो सरकार की समझ में यह आया कि गवर्नर महोदय की रिकमन्डेशन रिट्रास्पेक्टिव नहीं है। तो अब यह संशोधन आ रहा है कि इसको पुनः उस समिति में भेजा जाय। तो मैं इसका विरोध करता हूं और जो परम्परा हमने बना ली है उसी को हमें कायम रखना चाहिये।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

श्रीमन्, आप कुछ माननीय सदस्यों को सुनने से पहल ही अपना निर्णय दे देते हैं, इस कारण हम उस पर बहस भी नहीं कर सकते। उस तरफ से एक माननीय सदस्य ने जो माननीय बनारसीदास के पास बैठे हैं, उनके कहने से एक संशोधन पेश कर दिया। मैं यह

कहना चाहता हूं कि आप कृपया नियमों के ही ऊपर न जायं। सदन की यह परम्परा रही है कि जो सर्व सम्मति से विजनेस एडवाइजरी कमेटी में निर्णय हुआ हो उस की अवहेलना न हो। अगर उसकी अवहेलना होगी तो आज जिस बिल को आप पास करना चाहते हैं वह नहीं होगा। आप नियम के साथ साथ सदन की परम्परा को भी ध्यान में रखें, यही मेरी प्रार्थना है।

कृषि मन्त्री (श्री चरणसिंह)—

अधिष्ठाता महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है कि जो फैसला विजनेस एडवाइजरी कमेटी का है उस पर कोई प्रस्ताव आने की आवश्यकता नहीं है। नियम २२७ को आपने अभी पढ़ कर सुनाया। वह क्लियर है। यह खयाल कि इस तरह का प्रस्ताव कभी नहीं आया, यह भी गलत है। अनेक बार यह पहले आया है। बीच में ऐसी स्थिति जरूर हुई थी कि इस समिति में माननीय सदस्यों ने आना छोड़ दिया था। यह भी गलत है कि यह संशोधन परम्परा के विरुद्ध है। यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है कि कोई रूल या ला के खिलाफ कोई परम्परा नहीं हो सकती। रूल में यह दिया है कि प्रस्ताव पेश होगा। रूल में यह भी दिया है कि इस तरह का संशोधन आ सकता है। कि कोई मामला फिर बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी को रिफर कर दिया जाय। जब इतना एक्सप्लिसिटली उसमें दिया हुआ है तो चाहे अब तक इसकी नौबत न आयी हो यह कहना कि यह परम्परा के विरुद्ध है, गलत होगा। परम्परा ऐसी हो भी नहीं सकती। नियम के विरुद्ध कभी परम्परा नहीं होती।

दूसरी बात माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने सामने बैठे हुए मित्रों से आप की इजाजत से हाथ जोड़ कर एक निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि क्यों यह आवश्यकता हुई इस तरह का संशोधन रखने की। मैंने अपने माननीय मित्र गंगाप्रसादसिंह जी से यह रिक्वेस्ट की कि वह संशोधन इस प्रकार पेश कर दें, वह मेरी तहरीक पर, मेरी इनीशियेटिव पर हुआ। और वह इसलिए आवश्यक हुआ कि मुझको मौका नहीं मिला बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में सारे फैक्ट्स को रखने का। बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी के सामने सारे तथ्य नहीं थे। अब यह बात ठीक है कि बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी के लिए लाजिमी नहीं है कि वह किसी मिनिस्टर कंसर्न्ड को बुलाये, लेकिन यह प्रेक्लूडेड नहीं है, वह बुला सकती थी और अगर मुझे मालूम होता कि मामला बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी के सामने फलां वक्त पेश होगा तो मैं खुद उपस्थित हो जाता। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की कि बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी के सामने फिर इसे पेश किया जाय। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने तो यह कोशिश की थी, ऐग्रीकल्चर प्रोडक्शन सब कमेटी के सामने यह मामला आया था जिसका जिक्र कल सवालों में भी हुआ था, और उसने यह तय किया था कि इसको आर्डिनेंस के तौर पर नाफ़िज़ कर दिया जाय, उस की वजह यह है कि सारा स्टाफ खाली बैठा हुआ है और अगर बिल के तौर पर इस को ले आयें तो कहीं जा कर मई में यह कानून की शक्ल लेगा, तो मैं यह चाहता था कि आर्डिनेंस की शक्ल में एक दम से यह नाफिज हो जाय, उसके बाद बिल की शक्ल में आये। लेकिन ऐसा हुआ कि वह जो नार्दन इंडिया कैनाल ऐंड ड्रेनेज बिल है उसमें भी तरमीम करना बहुत जरूरी था, वह वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि गर्मी के दिनों में ही नालियां वगैरह खुद सकती हैं, बरसात में नहीं खुद सकेंगी। हमको यह सलाह मिली थी कि इतना समय हमको मिलेगा कि इन दोनों में से एक बाकायदा बिल की शक्ल में आ जाय और एक आर्डिनेंस की शकल में आ जाय, लिहाजा वह तो आर्डिनेंस के तौर पर आ गया और इसको बिल के तौर पर आप के सामने रख दिया गया और पहले यह उम्मीद थी कि १२, १३, १४ को विचार हो कर यह पास हो जायगा। लेकिन जब यह बात सामने आयी तो मैंने यह रिक्वेस्ट की कि हाउस के सामने मैं अपनी कठिनाई रखूंगा तो हाउस राजी हो जायगा और फिर इसमें हर्ज क्या है? कल यह बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी के सामने चला जायगा। मैं स्वयं वहां उपस्थित होकर अपनी मजबूरियां और उस की अर्जेंसी क्या हैं, वह उस के सामने निवेदन कर दूंगा। अगर आप उसको स्वीकार नहीं करते तो आप का रेजोल्यूशन तो है ही। लेकिन क्या आपत्ति है, क्या कठिनाई है अगर हमारे साथी हमारी बात भी सुन लें? चार, साढ़े चार बजे मैं यह प्रस्ताव पेश

[श्री चरणसिंह]

कर दूंगा, अगर रात को या कल सुबह यह कमेटी बैठे और मेरी बातों को सुन ले और इस राय की हो जाय कि सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रश्न नहीं उठता है तो उसमें कौन सा परम्परा का सवाल है और कौन सा इन्टरेस्ट सकर करता है ? इसलिए मेरी दरख्वास्त यह है कि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

जैसा माननीय कृषि मन्त्री जी ने कहा, उन्होंने बहुत होशियारी के साथ चीजों को आदरणीय सदन के सामने रखने की कोशिश की। श्रीमन्, आज तक की परम्परा रही है कि बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी का फैसला सर्वमान्य माना जाता रहा है और इसीलिए, श्रीमन्, बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी के फैसले के पहले हर तरफ के माननीय सदस्य और चीफ ह्विप अपनी अपनी पार्टियों से राय लेकर, उनसे इजाजत लेकर आते थे उस कमेटी की मीटिंग में और उसके बाद अपनी राय देते थे। लेकिन, श्रीमन्, यह तो एक नयी परम्परा कायम हो रही है कि एक बार बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी ने सर्वसम्मति से बिल के सम्बन्ध में और उसके लिए तिथि निर्धारण के सम्बन्ध में पास किया और उसके बाद, श्रीमन्, जब वह पास हो गया उधर के बैठने वाले सदस्यों को यह मालूम हुआ कि वह प्रस्ताव उनकी किसी मंशा के खिलाफ है या उनके किसी लक्ष्य विशेष के खिलाफ है तो उन्होंने फिर यह कहा....

श्री चरणसिंह--

आप की इजाजत से माननीय मित्र को मैं यह बता दूं कि यह पहली बार नहीं है। अनेक बार विरोधी दल की तरफ़ से बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी के रिकमेंडेशंस के ऊपर अमेंडमेंटस आये और हाउस ने स्वीकार किये, तो यह पहली बार नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

श्रीमन्, मेरा यह कहना नहीं है। मैं यह मानता हूं कि किसी प्रस्ताव में संशोधन हो सकता है।

अधिष्ठाता महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि एक निश्चय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने लिया। वह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का निश्चय सदन के माननीय सदस्यों के सन्मुख पेश होना चाहिये। अभी उस निश्चय के खिलाफ एक प्रस्ताव उधर से आ गया। अभी तक यह होता था कि श्री अध्यक्ष महोदय स्वयं उसको पढ़ देते थे लेकिन अब की बार उधर से खड़े होकर प्रस्ताव कर दिया गया। अब फिर उसको एडवाइजरी कमेटी में रिबैक करने की बात हो रही है। उस कमेटी के अन्दर जो सेलेक्ट कमेटी में भेजने का निश्चय हुआ है, उसको हमारे मित्र चाहते हैं बदल दिया जाय। इसलिये यह सारा गोरखधन्धा किया जा रहा है जो बिल्कुल एक नये कन्वेन्शन की बात है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और यह चाहता हूं कि जिस तरह से एडवाइजरी कमेटी ने इसको यहां पर रखने के लिये कहा है उसी तरह से यह सदन के सामने होना चाहिये। वह सेलेक्ट कमेटी को रेफर करने की बात पास कर चुके हैं तो यह प्रस्ताव अब फिर नहीं आना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

नियमों में यह लिखा हुआ है कि जो प्रस्ताव हो उस पर आधा घंटा बहस हो सकती है ज्यादा से ज्यादा और एक सदस्य केवल ५ मिनट बोल सकता है। २० मिनट के करीब इस पर विवाद हो चुका है। मैं केवल १० मिनट और दे सकता हूं। एक सदस्य अब ५ मिनट से अधिक नहीं बोल सकता है।

सूचना राज्य मन्त्री (श्री बनारसीदास)--

जैसा नरसिंहनारायण जी ने कहा कि कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ निश्चय किये गये लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का जो काम है, यदि आप नियम को देखेंगे तो मालूम होगा कि समय का निर्धारण करना ही उसका मुख्य काम है।

नियमानुसार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को यह निर्णय करने का अधिकार नहीं है कि किसी बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय न भेजा जाय । तो यह इन्फार्मल बातें थीं । कुछ और भी हमने तय किया लेकिन इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बात को उस समिति की प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनाया जा सकता । यह आपसी बातें थीं । जैसा पांडेय जी ने कहा कि यह परम्परा रही है कि एडवाइजरी कमेटी समय के बारे में जो निर्णय करती है वह निर्णय मुख्य होता है । अब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का एक प्रस्ताव माननीया सुशीला रोहतगी जी ने पेश कर दिया क्योंकि पहले नियमानुसार कोई प्रस्ताव नहीं था । अब हमारे मित्र यदि इस तरह से चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है । कल ४ बजे तक बहस हो जाय ।

अब जहां तक माननीय चरणसिंह जी ने कहा कि सेलेक्ट कमेटी में भेजने का सवाल है, सेलेक्ट कमेटी के बारे में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी निर्णय नहीं ले सकती है । वह केवल समय के बारे में तय कर सकती है कि किस बिल पर कितना समय दिया जाना चाहिये । वह हमारी इन्फार्मल बातें थीं जिनको जरूर मैंने एग्री किया था लेकिन माननीय कृषि मन्त्री ने जो आपत्ति बतलाई है सेलेक्ट कमेटी में भेजने की तो उस पर पुनः विचार कर लेंगे ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---

मैं चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का प्रस्ताव है उसको रहने दें । उनकी जो दिक्कत है जिसको वह एडवाइजरी कमेटी में बतलाना चाहते हैं, जिसके कारण अमेंडमेंट आया और जिस पर इतना शास्त्रार्थ शुरू हो गया है, उसको सदन के समक्ष रखें और हम लोगों से अपील करें तो उचित रहेगा । इस तरह से यदि कर लिया जाय तो इसमें समय की बचत हो जायगी ।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय विरोधी दल के नेता का जो सुझाव है वह विचारणीय इसलिये हो सकता है कि आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का प्रस्ताव यह सदन मान ले । उस पर सेलेक्ट कमेटी में जाने या न जाने के विषय में कोई पाबन्दी नहीं है । केवल यह निश्चय है कि कल ४ बजे तक इस पर विवाद जारी रहेगा । इस बीच में पुनः बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक करके उस बात के बारे में पुनः निश्चय कर सकते हैं । मैं माननीय चरणसिंह जी से जानना चाहता हूं कि उनकी क्या राय है ।

श्री चरणसिंह---

माननीय दुबे जी का क्या प्रस्ताव है ?

श्री अधिष्ठाता---

माननीय दुबे जी का यह कहना है कि अगर यह संशोधन, जो पेश है, इसको हटा भी लें तो इसके बाद आपको हक रहेगा कि आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में या सदन में जो आपकी कठिनाई है, उसको बतलाकर सेलेक्ट कमेटी की बात कर सकते हैं क्योंकि सेलेक्ट कमेटी के बारे में कोई बन्धन नहीं रहेगा । यदि इस विचार के लिये आप राजी हों तो बतलायें ।

श्री चरणसिंह---

जो प्रस्ताव माननीया सुशीला जी ने पेश किया है उसमें सेलेक्ट कमेटी में इसके जाने की बात नहीं है । उसकी कोई जरूरत भी नहीं है । और मैं समझता हूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी फिर जाने की जरूरत नहीं है । मैं विधेयक पेश करूंगा, आपका संशोधन आयेगा और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि संशोधन की आवश्यकता नहीं है । (व्यवधान)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

मैं माननीया सुशीला जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं ..... (शोर)

श्री अधिष्ठाता---

सदन में शान्ति रहनी चाहिये । एक महत्वपूर्ण विषय चल रहा है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में समय निर्धारण का प्रश्न था और वहां पर इस समय को हमने इसलिये मान लिया था कि इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी को रेफर किया जायगा और इस शर्त के साथ कल शाम तक बहस का समय निर्धारित हुआ था । हमारी मंशा और अधिक समय लेने की थी ताकि पूरे तरीके से विचार करने का अवसर मिल सके इसलिये कि बिल कंट्रोवर्शियल है । अगर सुशीला जी का प्रस्ताव मान लिया जाय तो उसके माने होंगे कि हम इस पर कल शाम तक ही बहस कर सकते हैं और आगे बहस नहीं कर सकते । तो यह निश्चय बिजनेस कमेटी के निर्णय के खिलाफ होगा । आप उसकी प्रोसीडिंग्स देख लें और समझ लें कि वहां सेलेक्ट कमेटी में इसे रेफर करने की बात तय हुई थी और तब ही कल शाम तक के समय की स्वीकृति विरोधी दलों ने दी थी । इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और समझता हूं कि यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के खिलाफ है और मेरा संशोधन है कि इसको सेलेक्ट कमेटी के सिपुर्द किया जाय ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, नरसिंहनारायण जी ने दो विषय सदन के सम्मुख रखें, पहली बात तो यह कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने एक निश्चय किया इस बात को देख कर कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजना है । इसलिये उसका डिसीशन कंडीशनल है । अगर इसे सेलेक्ट कमेटी में न भेजना होता तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इस पर दूसरे तरीके से विचार कर सकती थी । सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बात के साथ ही कल शाम तक का समय निर्धारित हुआ था । यह ऐसा सवाल है कि. . . . . .

श्री अधिष्ठाता---

आपका अभिप्राय यह है कि अगर माननीय मंत्री जी इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजना चाहते हैं तो वह संशोधन जिसके द्वारा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को दुबारा भेजने की मांग की गयी है, उसका प्रस्तुत करना उचित है । ठीक है, मैं समझ गया । आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री कल्पनार्थसिंह---

और आखिरी बात यह है कि जो मैं खास तौर से कृषि मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि यह सही है कि उनको दिक्कतें हो सकती हैं । मैं इस विषय में उनसे सहमत हूं । यह भी सही है कि वे ऐसे वरिष्ठ लोगों में से हैं कि जिनके प्रति कम से कम हम लोगों की श्रद्धा है और यह भी सही है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी अगर मखौल बन जायगी इस हाउस में तो उसको रखने या न रखने का कोई अर्थ नहीं होता । अगर यह बात तय हो जाय कि माननीय सूचना मंत्री जी जो कह देंगे वह बात यहां के लिये निश्चित हो जायगी तो सारी बात समाप्त हो जाय और फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को तोड़ दिया जाय । यह दो मुख्य विषय हैं जिन पर आप सोचें । या तो इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और उस हालत में इस पर कल शाम तक बहस हो या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी भंग कर दी जाय । न रहे बांस, न बजे बांसुरी ।

श्री अधिष्ठाता---

(श्री भीखालाल के खड़े होने पर) माननीय भीखालाल जी, इस विषय में काफी बहस हो चुकी है । समय पूरा हो चुका है । अगर आप कोई नयी बात कहना चाहते हों तो एक मिनट में कह दें ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---

यह जो प्रश्न इस समय हाउस के सामने चल रहा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है । कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जब इस बिल पर विचार हुआ था, तो उसमें यह 'सर्वसम्मति से फैसला किया गया था कि इस बिल पर जैसी कि हम लोगों की डिमान्ड थी कि कल बहस करने के बाद इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय । यह सब की अन्डरस्टैंडिंग थी कि कल शाम तक इस पर बहस होगी । परन्तु शायद कृषि मंत्री जी इसके विरोध में है क्योंकि शायद कुछ अरजेन्सी है, इसको पास करने की । मैं यह कहूंगा कि यह बिल नया नहीं है और यह १९५४ में एक ऐक्ट बनाया गया था. . . . . .

श्री अधिष्ठाता---

आप अपने अमेन्डमेंन्ट को मुझे लिख कर भेज दें ।

श्री भीखालाल---

सरकार यह समझती है कि इसके मातहत कोई योजना कार्यान्वित नहीं की जा सकती, क्योंकि वह गलत पास हुआ । इसी कारण दूसरा बिल लाना पड़ा । मेरा तो ऐसा खयाल है कि जब ६ साल तक अरजेन्सी नहीं थी, तो एक महीने के अन्दर ही कौन सी बड़ी क्रांति हो जायगी कि वह इतना भी समय नहीं देना चाहते हैं कि वह सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाय ? मैं चाहता हूं कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय जहां कि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा सके । मेरा अन्त में आपसे यही अनुरोध है कि जो कल शाम को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ था कि शाम तक वादविवाद चले और फिर उसके बाद इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, उसी बात को स्वीकार किया जाना चाहिये ।

श्री यादवेन्द्रदत्त---

श्रीमन्, मेरा सुझाव तो स्वीकार कर लिया गया था ।

श्री चरणसिंह---

श्रीमन्, जो माननीय सदस्यों का कहना है कि यह वहां भेज दिया जाय, तो आप मेरी बात सुन लें । अगर नहीं मंजूर करें, तो जो आप चाहते हैं, वैसा ही करें । इससे आपको क्या दिक्कत हो सकती है ? मैं चाहूंगा कि यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चला जाय ।

श्री अधिष्ठाता---

इसमें यदि कोई एतराज नहीं है कि बिजनेस एडवाजरी कमेटी में यह हो, तो उसे चलने दें । अब काफी वाद-विवाद इस पर हो चुका है ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---

श्रीमन्, हमने २२४ और २२७ को पढ़ा तो मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि यदि एडवाइजरी कमेटी किसी काम को न कर सके, या कोई ऐसी अड़चने हों और जल्दी करना चाहते हों, तो उसकी राय के अनुसार सदन में प्रस्ताव आना चाहिये । अकेले २२७ नियम को नहीं पढ़ना चाहिये, जैसा कि कृषि मंत्री जी ने कहा । तो इसको एडवाइजरी समिति की जरूरत ही नहीं है, इसको सीधे सदन पास कर देगा । इसलिये सबको साथ पढ़ना चाहिये और एक दूसरे के खिलाफ नहीं पढ़ना चाहिये । कुछ हारमोनियस कान्सट्रक्शन का एप्लिकेशन करना चाहिये । इन सब बातों को विचार करते हुये ही आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री अधिष्ठाता---

अब वादविवाद काफी हो चुका है और निर्धारित समय से ५ मिनट ऊपर ही हो चुके हैं । प्रश्न केवल यह है कि साधारणतया जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी निश्चय करती है और वहां जो निश्चय होते हैं, उनको यह सदन वैसे ही पास करता रहा है । लेकिन ऐसी मिसाले हैं, जिनमें ऐसी आवश्यकता प्रतीत हुई कि जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के निश्चय थे, उनमें अमेन्डमेन्ट्स प्राप्त हुए । कुछ माननीय सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के महत्व को कम नहीं करना चाहिये । मैं मानता हूं कि यह उचित है लेकिन उसका महत्व तो अपनी जगह सुरक्षित रहता है । अब यह पुनः उस ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के रिकन्सिडरेशन के लिये भेजा जाता है, यह विचार रखते हुये कि २२७ नियम में यह प्राविधान है कि यदि कोई माननीय सदस्य चाहें तो रिकान्सिडरेशन का अमेन्डमेन्ट रख सकते हैं । आपकी जो आशंकाएं हैं, उनको छोड़ते हुये मेरे सामने केवल एक प्रस्ताव है और एक प्रस्ताव संशोधन का है । संशोधन को वापस लेने के लिये जैसा कि चौधरी साहब ने कहा, वह उसके ऊपर नहीं है । और जो माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये, उससे भी यह उचित ही मालूम होता है कि वह मामला फिर एडवाइजरी कमेटी के सामने विचार के लिये जा सके । इसलिये मैं पहले उस संशोधन पर राय लूंगा और फिर उस प्रस्ताव पर । पहले माननीय गंगाप्रसाद जी का

[श्री अधिष्ठाता]

है । प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३ पर कार्य मंत्रणा समिति के निश्चय पर पुनः विचार करने के लिये कार्य मंत्रणा समिति को पुनर्निर्दिष्ट कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि यह सदन नार्दर्न इण्डिया कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३ पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिये कार्य मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

†नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३ (क्रमागत)††

खंड २

ऐक्ट संख्या ८, १८७३ की धारा ३ का संशोधन

२---नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज ऐक्ट, १८७३ (जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा ३ के खंड (८) में पूर्णविराम के स्थान पर सेमीकोलन रख दिया जाये और तत्पश्चात् नये खंड (९) तथा (१०) के रूप में निम्न-लिखित बढ़ा दिया जाये :---

"(9) "irrigable command area" means such area of culturable land or grove land which, for purposes of irrigation, can be commanded through a single outlet in a canal or by a single tube-well and the limits of which are fixed in this behalf by the Divisional Canal Officer ; and

(10) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act."

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ में मूल अधिनियम की धारा ३ के प्रस्तावित उपखंड (९) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड जोड़ दिया जाय---

"(9) "Irrigable command area" means such area of culturable land or grove land which for purposes of actual irrigation can be commanded and irrigated through a single outlet in a canal or by a single tube-well and the limits of which are fixed in this behalf by the Divisional Canal Officer with the approval of the Gaon Sabha or Gaon Sabhas concerned."

इस संशोधन के अनुसार कमांड एरिया उसी लिहाज से रखा जाय जितना कि ऐक्चुअल इरिगेशन मौके पर कर सकें । अक्सर देखा गया है कि देहात में नहर या ट्यूबवेल का कमांड एरिया ८०० या १००० एकड़ रख देते हैं, नतीजा यह है कि ठीक तरीके से पानी नहीं मिलता और गांव में लाठियां चलती हैं । साथ ही अराजकता और घूसखोरी फैल रही है । इसलिये

---

†७ फरवरी, १९६३ की कार्यवाही में छपा है

††१२ फरवरी, १९६३ की कार्यवाही से ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कमांड एरिया उतना रखा जाय जितने में ऐक्चुअल इरिगेशन हो ताकि जनता अधिक से अधिक पानी अपनी फसल को दे सके। गेहूं में ३–४ पानी की आवश्यकता होती है लेकिन कमांड एरिया की वजह से एक पानी दे पाते हैं। साथ ही हम गांव सभाओं और सरकार की योजनाओं में समन्वय लाना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि हमारे गूल वगैरह जो जलमार्ग हैं उनका निर्माण गांव सभाएं करें जोकि नहरों या ट्यूबवेलों के कमांड एरिया में बनें। तो इसकी जिम्मेदारी हमने गांव सभाओं पर दी है और उसके लिये यह रखा गया कि गांव सभा या गांव के लोग उसको करने से इन्कार करते हैं या समय के अन्दर कन्सट्रक्ट नहीं कर पाते हैं तो सरकार उसको बनवा देगी और उसका रुपया उनसे मय व्याज के वसूल कर लेगी। जब ऐसी चीज है और गांव समाज के रुपये के बल पर आप इनको बनाना चाहते हैं तो सरकार के लिये यह लाजिमी है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले वह उनका एप्रूवल ले और इसीलिये एप्रूवल की बात रखी गयी है। इससे गांव समाज यह देख सकेगा कि जो प्लान बनाया गया है या जो कमांड एरिया रखा गया है वह हमारे गांव के लिये मौजूं है या नहीं। इसका नतीजा यह होगा कि गांव के लोग यह जान जायेंगे कि जो जल मार्ग उनके यहां बनाये जा रहे हैं, उनमें उन लोगों को सुभीता होगा।

जहां तक कमांड एरिया का प्रश्न है, आज तक यह होता आया है कि कमांड एरिया ८०० या १००० एकड़ का रख दिया जाता है जब कि सिंचाई केवल २०० एकड़ ही होती है और नलकूप जो कि केवल १५–२० हजार गैलन पानी देता है उसका कमांड एरिया रख दिया जाता है १००० एकड़, इससे होता यह है कि लोगों को पानी नहीं मिल पाता है, जनता को दिक्कत और परेशानी होती है। इसलिये हम चाहते हैं कि जिस एरिया में सिंचाई होनी हो उस एरिया का गांव समाज इस बात को निश्चित कर दे कि कितना एरिया उसके कमांड में होगा, उसके बाद कमांड एरिया निश्चित किया जाय। मैं समझता हूं कि यह चीज मानने के काबिल है। क्योंकि उससे इंटरेस्ट के साथ रुपया वसूल करने की बात रखी गयी है इसलिये गांव वालों पर ऊपर से कोई चीज थोपी न जाय बल्कि उनकी समस्या उनके ही द्वारा हल करानें की कोशिश की जाय तो उनमें अच्छी भावना पैदा होगी तथा जनता और सरकार दोनों के लिये यह चीज उपयोगी होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत करता हूं।

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)––

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय कमलासिंह जी ने दो बातों का जिक्र किया। एक तो कमांड एरिया के बारे में और दूसरा गांव सभा से एप्रूवल लेने के बारे में गूलों को बनाये जाते समय। जहां तक कमांड एरिया का ताल्लुक है, वह तो निश्चित है, ६ इंची के कुलाबे पर २०० एकड़ उससे कुछ ज्यादा या कम और ४ इंची के कुलाबे पर १०० एकड़, उससे कुछ ज्यादा या कम और ज्यादा का मतलब होता है, १०–५ एकड़ इधर या उधर। जहां ट्यूववैल्स के एरिया का ताल्लुक है, शुरू शुरू में वहां कमांड एरिया बहुत ज्यादा रख दिया गया था लेकिन ज्यों ज्यों लोगों का ध्यान आबपाशी की ओर गया जहां कमांड एरिया हजार–बारह सौ एकड़ था उसको घटा कर ८००, ६०० या ५०० कर दिया गया। मैंने अपने विभाग को ये हिदायत दे रखी है कि कमांड एरिया ज्यादा न बढ़ाया जाय बल्कि दो ट्यूबवैल्स के बीच में एक और ट्यूबवैल लगाकर उसको ठीक कर दिया जाय। कमांड एरिया जो सिंचाई विभाग की ओर से तय किया जाता है वह इस लिहाज से किया जाता है कि ४० प्रतिशत की सिंचाई हो जाय। हमेशा से ऐसा ही है। पश्चिमी जिलों में जहां गन्ने की खेती लोगों ने ज्यादा बो दी है वहां इतने पानी का इन्तजाम नहीं हो पाता लेकिन रबी के लिये यह निश्चित है कि किसी प्रदेश के ट्यूबवैल से उसके कमांड एरिया में अगर लोग करना चाहें तो ४० प्रतिशत सिंचाई कर सकते हैं। तो उस चीज को यहां लाने का एक्चुअली लफ्ज में कोई माने नहीं होता और इस कमांड एरिया के बारे में जो भ्रम हो गया है वह भी नहीं रहेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राममूर्ति]

दूसरी बात ग्राम सभा के बारे में माननीय कमला सिंह जी ने की । आपकी बात बड़ी अच्छी है और मैं आपकी राय की इज्जत करता हूं लेकिन उसमें दिक्कत वह होगी कि गांव सभाओं के पास नक्शा बनने के बाद भेजा जायगा ताकि वे उसे देख लें । इसके लिये इसमें काफी जोर दिया गया है और रूल में भी इसका जिक्र कर दिया जायगा कि गांव सभा के लोगों की ज्यादा से ज्यादा राय ली जाय क्योंकि वे मौके पर होने की वजह से सारी बातों को अच्छी तरह से जानते हैं कि पानी का बहाव कहां किस तरफ है । इर्रीगेशन विभाग के अधिकारी तो अपना काम करेंगे ही लेकिन बावजूद इसके ऐसी दिक्कत हो सकती है जिसको मौके पर रहने वाले गांव के लोग ही दूर कर सकते हैं । इस चीज का प्राविजन इसमें कर दिया गया है और इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया है कि उन लोगों की राय अवश्य ली जाय क्योंकि वे चप्पे-चप्पे हिस्से को जानते हैं ।

इसमें एक दिक्कत और होगी । कहीं कहीं नहर के कमांड एरिया में दो दो गांव सभायें आ जायेंगी और ट्यूबवेल में तो तीन तीन गांव सभायें तक आ जायेंगी, तो इस तरह से यह एक अजीब झगड़ा खड़ा हो जायगा । इसलिये उसे एवायड करने के लिये डिवीजनल कैनाल आफिसर के चार्ज में दे दिया गया है कि वह उसका फाइनल फैसला करे । लेकिन अगर कहीं गांव सभा को फिर कोई एतराज हो तो उसके लिये प्राविजन है कि उस पर फिर से गौर किया जाय और जरूरत हो तो टाइम का एक्सटेंशन भी कर दिया जाय । इसलिये मैं समझता हूं कि श्री कमला-सिंह जी ने जिन बातों का जिक्र किया उसका प्रोविजन इसमें है और इसलिये उनके दिमाग में कोई भ्रम नहीं रहना चाहिये । अगर कोई कमी होगी तो फिर उसको ठीक किया जायगा ।

श्री कमलासिंह यादव—

जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि गांव के लोगों की राय ली जायगी, तो इन कन्सल्टेशन विद दि ग्राम सभा या ग्राम समाज कर दिया जाय, तो इसमें क्या नुकसान है ?

श्री राममूर्ति—

जब आप इस बिल को पढ़ेंगे तो पायेंगे कि इसमें इसका प्रोविजन है कि पहले डिवीजनल कैनाल आफिसर नक्शा तैयार करके भेजेगा और उस नक्शे के आधार पर जहां जहां कमांड एरिया के अन्तर्गत गूलें बनने वाली हैं, उनके बारे में गांव सभा मीटिंग करके विचार करे और खूब सोच विचार करने के बाद अगर वह राजी हो तो उसके लिये अपना ऐप्रूवल देगी । नहीं तो फिर वह उसे डिवीजनल कैनाल आफिसर के पास वापस भेज देगी और जो तरमीम करना चाहिये उसका भी जिक्र कर देगी ताकि दोबारा उस पर गौर करके उसका सामंजस्य किया जा सके । इसके अलावा और भी दिक्कतें हो सकती हैं । अक्सर ऐसा होता है कि गांव सभा के अन्दर कुछ दल ऐसे हैं जो काफी मजबूत हैं लेकिन जिनमें अभी डेमोक्रेटिक सेंस डेवलप नहीं हुआ है, वे जो चाहते हैं करा लेते हैं । तो इसके लिये भी डिवीजनल कैनाल आफिसर पर छोड़ दिया गया है कि सारी बातों पर कंसीडर व रिकंसीडर करके जो एटिच्यूट लेना चाहें लें ।

श्री कमलासिंह यादव—

चूंकि माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि सब लोगों की बातों को सुनकर ही गूलें बनायी जायेंगी, इसलिये मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड २ विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३

ऐक्ट संख्या ८, १८७३ में नयी धारा ३०–ए से ३०–जी तक का बढ़ाया जाना

३—मूल अधिनियम की धारा ३० के पश्चात् नयी धारा ३०–ए से ३०-जी के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय —

Preparation of the scheme for an irrigable command area.

"30-A. The Divisional Canal Officer may, with a view to providing for or improving irrigation facilities in an irrigagle command area, prepare a scheme for the construction of water-courses and the carrying out of any work connected therewlth in such area, anything to the contrary contained in any other law not withstanding. The scheme shall contain—

(i) a plan showing the site of the outlet, the existing water-courses, if any, the proposed water-courses and works connected therewith, and the areas already served and to be served by the existing or proposed water-courses ;

(ii) a statement showing the estimated cost of constructing the proposed water-courses and works connected therewith ;

(iii) a memorandum showing the manner in which the scheme may be implemented ; and

(iv) such other particulars as may be prescribed.

Calling upon the Goan Sabhas to imprement the scheme.

30-B. (1) The Divisional Canal Officer shall, as soon as may be, forward a copy of the scheme prepared under section 30-A to cach of the Gaon Sabhas and Block Development Officers within whose jurisdiction the land affected thereby is situate, and call upon the Gaon Sabhas to submit to him, within a period of thirty days from the date of receipt of the copy, their approval of the scheme, or any objections, suggestions or modifications thereto.

(2) The copy of the scheme shall, within three days of its receipt by the Gaon Sabha, be affixed by it on its notice board, and shall, within twelve days thereafter, be considered in a meeting of the Gaon Panchayat convened for the purpose and the decision of the Gaon Panchayat shall be deemed to be for an on behalf of the Gaon Sabha concerned. The decision shall be communicated to the Divisional Canal Officer within the time allowed under sub-section (1).

(3) If no objections, modifications or suggestions are submitted by any of the Gaon Sabhas, within the time specified in sub-section (1), the Gaon Sabhas shall be deemed to have approved the scheme, which shall threreupon become final.

(4) Upon receipt of the objections, modifications or suggestions, made by the Gaon Sabhas under sub-section (2),

the Divisional Canal Officer may either eonfirm the scheme or amend, or modify it and thereupon the scheme so confirmed, amended or modified, shall become final.

(5) When the scheme has become final, the Divisional Canal Officer shall, by notice in writing, call upon the Gaon Sabhas concerned to take all such steps as may be necessary for the implementation of the scheme, and in particular to construct or cause to be constructed, the water-courses and carry out, or cause to be carried out, all works connected therewith, within the period fixed therefor in the notice, which may be ext ended from time to time.

Securing or acquiring land for the scheme.

30-C' (1) Upon receipt of the notice mentioned in sub-section (5) of section 30-B. the Gaon Sabha shall give to all persons on whose land any water-course is proposed to be constructed, or on which any work connected therewith is proposed to be carried out, option to transfer by way of gift or surrender as the case may be, free from all encumbrances, within the period provided therefor in the notice, so much of the said land in its favour as may be necessary for the implementation of the scheme.

(2) Where any land required for the implementation of the scheme is not transferred to or surrendered in favour of the Gaon Sabha under sub-section (1), it may—

(i) either purchase the land at such rates as may be prescribed ; or

(ii) move the State Government to acquire the same under the Land Acquisition Act, 1894 ; or

Act no. I of 1894

U. P. Act no. XXVII of 1948.

(iii) if the land for construction of water-courses is likely to be required for a limited period only, apply to the Requisitioning Authority under section 6 of U. P. Rural Development (Requisitioning of Land) Act, 1948 to requisition the land ;

Provided that if it appears after the construction of water-courses on the land so requisitioned that the alignment of the water-courses as constructed will be retained unchanged for long, the Gaon Sabha shall, as early as possible, move the State Government to acquire the land on a permanent basis.

Act no. I of 1894.

(3) Where, on the application of the Gaon Sabha under sub-section (2), any land has been acquired in accordance with the provisions of the Land Acquisition Act, 1894, the State Government shall, subject to such terms and conditions as may be imposed by it in this behalf, transfer to, or vest in, the Gaon Sabha, the land so acquired for the implementation of the scheme.

U. P. Act no. XXVII of 1948

(4) The land transferred to, or vested in, the Gaon Sabha under sub-section (3), or of which the management has been vested in the Gaon Sabha under section 11 of the U. P. Rural Development (Requisitioning of Land) Act, 1948,

shall be utilized by the Gaon Sabha for the implementation of the scheme, and it shall construct or cause to be constructed, in the manner hereinafter provided, the water-courses, and carry out or cause to be carried out, all works connected therewith, as may be necessary for the implementation of the scheme.

(5) In implementing the scheme the Gaon Sabha shall, in the first instance, give option, by notice in writing, published in the manner prescribed, to all persons having a holding in the irrigable command area, to construct, within such time as may be fixed therefor in the notice, the water-courses, and carry out all such work connected ther with, as may be necessary for the implementation of the scheme.

(6) Where the persons concerned fail to construct the whole or any part of any water-course, or to carry out any work connected therewith, in accordance with the scheme, the Gaon Sabha shall construct, or carry out, or cause to be constructed, or carried out, the same, in the manner provided under section 17 of the Uttar Pradesh Panchayat Raj Act, 1947, for the execution of small Irrigation projects. U. P. Act no XXVI of 1947

Inspection of works by the Divisional Canal Officer.

30-D. (1) On the expiry of the period or extended period, the case may be specified in the notice under sub-section (5) of section 30-B, the Divisional Canal Officer shall inspect, or cause to be inspected, the water-courses and all works connected therewith, constructed or carried out, by the Gaon Sabha, either directly or through the tenure-holders of the irrigable command area, and if the same are in accordance with the scheme and otherwise properly constructed, or carried out, approve the same.

(2) Where the water-courses, or all works connected therewith, have not been properly constructed or carried out in accordance with the scheme, the Divisional Canal Officer shall, by order in writing, require the Gaon Sabha concerned to remove and remedy, or cause to be removed and remedied, all the defects within the period specified in the order,

(3) On the expiry of the period allowed in the order under sub-section (2), the Divisional Canal Officer shall again inspect or cause to be inspected, the water-courses, and all works connected therewith, and shall either approve or disapprove the same.

30-E. Where the Gaon Sabha fails—

Implementation of the scheme by the State Government.

(i) to take all or any of the steps required to be taken by it in accordance with the provisions of section 30-C , or

(ii) to construct, or cause to be constructed, the whole of the water-courses, or to carry out all works connected therewith, in accordance with the scheme, within the period or

the extended period provided therefor in the notice under sub-section (5) of section 30-B : or

(iii) to remove the defects in the water-courses or in any work commenced therewtih as required to be done under sub-section (2) of section 30-D, or to obtain final approval of the Divisional Canal Officer in respect of them under sub-section (3) of the said section.

the State Government shall take all such steps, including acquisition of the land, as may be necessary for the implementation of the scheme, and cause to be constructed and carried out the water-courses and all works connected therewith in accordance with the scheme.

Vesting of water-courses, etc. in the Gaon Sabha.

30-F. With effect from the date a notification in this behalf is published in the *Gazette* by the State Government, and subject to such terms and conditions as may be prescribed, all the water-courses and all works carried out by the State Government in connection with the implementation of the scheme, shall vest in the Gaon Sabha within whose jurisdiction the same lie.

Maintenance of the water-courses, etc.

30-G. The Gaon Sabha shall, at all times, maintain and keep in good repairs all the water-courses, and all the works connected therewtith, constructed or carried out by it, or vested in it under section 30-F."

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि--खंड ३ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ३०-B (1) में शब्द "गांव सभा" निकाल कर शब्द "खंड विकास समिति" रख दिये जायं।

इसके उपस्थित करने से मेरा आशय यह है कि जहां पर २ गांव सभाओं से होकर वह गूल जायगी वहां यह हो सकता है कि आपस में कुछ खींचातानी पैदा हो और कुछ प्रैक्टिकल दिक्कत हो। अतः ज्यादा भाषण न करके मैं निवेदन करूंगा कि जहां पर २-३ गांव सभायें ऐसी होंगी कि जिनके क्षेत्र से प्रस्तावित गूल जायगी और उनमें आपस में उसको लेकर मतभेद होगा वहां पर यह क्षेत्र समिति ही ऐसा माध्यम होगी कि जिसके द्वारा यह सब तय किया जा सकेगा। मंत्री जी अगर इस पर सहमत न हों तो बतायें।

श्री राममूर्ति--

अधिष्ठाता जी, इसके संबंध में तो जो मैं कहूंगा वह कहूंगा ही लेकिन यदि आप की विशेष आज्ञा हो तो पहली बात जो उन्होंने अपने संशोधन में रखी थी जिसे उन्होंने पेश नहीं किया उसके बारे में दो शब्द कह दूं। उसमें उन्होंने रखा था कि 'असिस्टेंट इंजीनियर ट्यूबवेल' बढ़ा दिया जाय। बात यह है कि जब यह ऐक्ट बना था उस वक्त ट्यूबवेल नहीं थे लिहाजा उस वक्त जो डिवीजनल कैनाल आफिसर की परिभाषा हुई उसमें उसके बारे में चर्चा नहीं है और बाकी कायदे से डिवीजनल कैनाल आफिसर जो हैं उसमें दोनों शामिल हैं।

श्री अधिष्ठाता--

गालिबन माननीय कल्पनाथसिंह ने वह पढ़ लिया होगा।

श्री राममूर्ति--

इस संशोधन को पेश करते हुए माननीय कल्पनार्थसिंह जो ने अभी फरमाया कि इसमें "खंड विकास समिति" रख दिया जाय। मैंने कल भी जिक्र किया था कि विकास समिति को जो बी० डी० ओ० के लिये इसमें प्राविजन किया गया है कि जिस वक्त हमारा नक्शा गांव सभा के पास जायगा तो उसकी कापी बी० डी० ओ० के पास भी जायगी और हर गांव सभा के लोग जैसी कि आज कल हमारी परम्परा बनती जा रही है कि सारी दिक्कतों को बी० डी० ओ० के पास लोग ले जाते हैं और हमारे विभाग के अफसरों में ऐसी क्षमता हो गी भी चाहिये कि वह इस तरह के मामलों को वहीं तय करा दें। इसलिये जब बी० डी० ओ०का प्राविजन इसमें है तो ऐसा कोई मौका नहीं आयेगा कि ऐसा झगड़ा बढ़े।

श्री कल्पनार्थसिंह--

श्रीमन्, मन्त्री जी के उत्तर के बाद भी मेरा भ्रम साफ नहीं हुआ, इसलिये कि जहां मन्त्री जी कहते हैं कि बी० डी० ओ० को कापी जायगी लेकिन उसके प्रस्तावित योजना पर क्या क्या ऐक्शन्स होंगे यह कहीं दिया गया है। अगर उसमें गांव सभा के स्थान पर ब्लाक डेवलपमेंट कमेटी कर दिया जाय तो कुछ बात समझ में आ सकती है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि बी० डी० ओ० के पास महज सूचनार्थ जायगा कि आपके क्षेत्र के अन्तर्गत यह यह गूलें प्रस्तावित हैं। उस पर उसको कुछ करना नहीं है। अगर मन्त्री जी उसको ठीक समझते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं अपना यह भी संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ में प्रस्तावित नयी धारा ३०-बी के उपखंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित खंड ३ रख दिया जाय :--

"(3) If no objection, modification or suggestions are submitted by any of the Gaon Sabhas after their full consideration of the scheme or propo al the scheme shall thereupon become final."

मूल अधिनियम की ओरिजिनल धारा इस प्रकार है :

"If no objection, modification or suggestions are submitted by any of the Gaon Sabha, within the time specified in sub-section (1), the Gaon Sabhas shall be deemed to have approved the scheme, which shall thereupon be ome final."

दोनों में डिफरेंस यह है कि जो धारा रखी गई है विधेयक के जरिये उसमें यह दिया गया है कि एक फिक्स्ड समय १ महीने का दिया गया है जिसके अन्दर अगर कोई मोडीफिकेशन या अमेंडमेंट न आवे तो प्रीज्यूम किया जायगा कि गांव वालों को कोई एतराज नहीं है। मैं बताना चाहता हूं गांव सभा के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जैसे यहां पर होते हैं। तो उनसे यह उम्मीद करें कि ज्यों ही यह प्लान गांव सभा के पास भेजी जायगी वह फौरन अप्रूवल दे दें, यह मुश्किल चीज है। जिन लोगों से आप खर्चा वसूल करेंगे उनको मौका देना पड़ेगा कि गांव सभा के जितने सदस्य हैं अपनी कमेटी बुलायें और उस स्कीम को रखें, वाद विवाद करें, यानी फुल कंसीडरेशन करे, उसके बाद अगर किसी तरह का कोई अमेंडमेन्ट या मोडिफिकेशन न करें तो उसको फाइनल कर दिया जाय, हमें इसमें कोई एतराज नहीं होगा। अगर वह लोग अपने से न समझ सकें तो दूसरों से राय लेकर उसको समझें और फिर पूरा गौर करने के बाद प्लान में तरमीम न करें उस समय उसको फाइनल किया जाय तो ज्यादा सुन्दर होगा। इसीलिये मैंने संशोधन रखा है। मान लें प्रधान के पास स्कीम को भेजा और गांव सभा की मीटिंग में यह चीज नहीं रखी गई तो वाद विवाद नहीं होगा। इसलिये इस बात पर विचार करना है कि जिनकी भलाई के लिये योजना

[श्री कमलासिंह यादव]

बन रही है वह लोग उसके बारे में सुन लें, उस पर विचार कर लें । प्लान को देख लें, उस पर वाद विवाद कर लें और उसके बाद अगर कोई अमेंडमेन्ट न भेजें तो वह फाइनल मान लिया जाय। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी भी इस बात से अपनी सहमति प्रकट करेंगे क्योंकि अगर हम प्लान भेज दें और प्रधान उस प्लान को अपने पास रख ले और समय बीत जाय तो यह नहीं होना चाहिये कि जो अधिकार गांव सभा को दिया गया है उसको हम छीन लें । हमारी मंशा यह है कि किस तरह का नक्शा इरीगेशन का उनके लिये हो इस बात को गांव सभा वाले जानें, उस पर विवाद करें और फिर अगर वे कोई अमेंडमेन्ट न भेजें तो उसके लिये सरकार दोषी नहीं होगी बल्कि वे दोषी होंगे और उस वक्त अगर आप किसी स्कीम को एन्फोर्स करेंगे और उनसे जबरदस्ती बनवायेंगे और खर्चा उनसे वसूल करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह किसी तरह का अन्याय नहीं होगा बल्कि बड़ी सुन्दर चीज होगी । और अगर आप केवल एक महीने का टाइम देंगे और उस समय के भीतर वह प्लान गांव सभा के सामने पेश न हुआ और आपने उसको फाइनल कर दिया तो यह उचित नही होगा । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी यही भावना रखते हैं ।

श्री राममूर्ति--

चेयरमैन साहब, जरा एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कमलासिंह जी से । मैं उनके विचारों की कद्र करता हूं और जो बात वे कहते हैं उसको शामिल करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इससे तो मैं सहमत हुआ कि गांव सभा का प्रेसीडेन्ट अगर प्लान को गांव सभा के सामने नहीं रखता और दबा के बैठ जाय और महीने के बाद कह दे कि मंजूर है तो यह बहुत उचित नहीं होगा। लेकिन रास्ता क्या है यह जरा वे बतलायें जिससे कि हम गांव सभा के प्रेसीडेन्ट को मजबूर कर सकें कि तुम को गांव सभा के सामने रखना होगा। इसको जरा वे स्पष्ट करें कि वह लैंगुएज कैसे बढ़ायी जायगी ।

श्री कमलासिंह यादव--

अब इसको वे बनवा लें । आप इसमें यह संशोधन करें कि जो प्लान जायगा वह गांव सभा के सामने रखा जायगा । अगर इतना संशोधन कर दें तो कोई अड़चन नहीं होगी । मेरी मंशा यही है और आपका मामला भी हल हो जायगा ।

श्री राममूर्ति--

क्या लैंगुएज लिखी जायगी ?

श्री कमलासिंह यादव--

वह आप बनवा लें ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय कमलासिंह जी, आप तो स्वयं एक प्रतिभाशाली वकील हैं । फिर क्या आप अपने संशोधन में कोई और संशोधन कर सकते हैं जिससे आपकी मंशा भी पूरी हो जाय और माननीय मंत्री जी ने जो प्रश्न किया है उसका स्पष्टीकरण हो सके ?

श्री कमलासिंह यादव--

मंत्री जी बनवा लें । हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

अगर सिंचाई मंत्री जी चाहें तो इस अमेंडमेन्ट को लंच के बाद ले लिया जाय ।

श्री राममूर्ति--

जी हां ।

श्री अधिष्ठाता--

लंच तक के लिये यह स्थगित किया जाता है ।

श्री कमलासिंह यादव--

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "खंड ३ में प्रस्तावित धारा ३०-बी के खंड ४ के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड (४) रख दिया जाय ।

"(4) Upon receipt of the objection, modification or suggestions made by the Gaon Sabhas under sub-section (2) the Divisional Canal Officer shall either confirm the scheme or amend and modify it and forward the same to the Gaon Sabha concerned for its approval which shall thereupon become final.."

ओरीजनल (४) में इस प्रकार से दिया है कि--

"(4) Upon receipt of the objections, modifications or suggestions, made by the Gaon Sabhas under sub-section (2), the Divisional Canal Officer may either confirm the scheme or amend, or modify it and thereupon the scheme so confirmed, amended or modified, shall become final."

इसका मतलब यह है जैसा कि विधेयक में दिया है। अगर मान लें कि कोई मोडीफिकेशन गांव सभा ने किया है कि इस तरह की तरमीम हो जाय और इस तरमीम के साथ . . .

श्री अधिष्ठाता--

आप यह बता दें कि आपका जो पहिला संशोधन था जिसको स्थगित किया गया है अगर उसमें संशोधन किया गया तो उसका असर इस पर भी पड़ेगा, ऐसा समझते हों तो इसको भी बाद में ले लेंगे ।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं सबको फोरगो कर दूंगा अगर मंत्री जी हमारी इस बात को मान लें ।

श्री अधिष्ठाता--

इसको भी स्थगित करता हूं और लंच के बाद ले लेंगे ।

श्री राममूर्ति--

श्रीमन्, अब केवल, २-४ मिनट ही रह गये हैं । दो संशोधन स्थगित कर दिये गये हैं उनको ठीक करना है। अगर आपकी इजाजत हो तो इस समय हम उठ लें ।

श्री अधिष्ठाता--

अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे ।

(इस समय १२ बजकर ५७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अधिष्ठाता--

क्रम संख्या ७ के बारे में माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने क्या निश्चय किया है ।

श्री राममूर्ति--

अधिष्ठाता जी, मुझे अफसोस है कि कमलासिंह जी इस वक्त तशरीफ नहीं लाये । लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दूं । कमलासिंह जी का जोर यह था कि जैसा कि इस अमेंडमेंट में दिया हुआ--खंड ३ में प्रस्तावित नयी धारा ३०-त्री के उपखंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित खंड ३ रख दिया जाय--

"(3) If no objection, modification or suggestions are submitted by any of the Gaon Sabhas after there full consideration of the scheme or proposal the scheme shall thereupon become final".

फुल कंसीडरेशन पर उनका एम्फैसिस था । उनका शुबहा था कि ऐसा हो सकता है कि गांव सभा के प्रेसीडेंट जो स्कीम जाय उसको दबा कर बैठ जायं और लोग न जानें । मैं उनको

[श्री राममूर्ति]

बताना भूल गया था कि ३० (बी) का जो दूसरा हिस्सा है उसको पढ़ें तो इस बात की शंक नहीं रहती। मुझे खुशी है कि कमलासिंह जी आ गये। इसमें दिया हुआ है--

"The copy of the scheme, shall, within three days of its receip by the Gaon Sabha, be affixed by it on its notice board and shall, within twelve days thereafter, be considered in a meeting of the Gaon Panchayat convened for the purpose."

इसमें लफ्ज शैल का इस्तेमाल किया गया है। इसके मानी यह हैं कि अनिवार्य है। कोई आप्शन नहीं छोड़ा गया है। उसको नोटिस बोर्ड पर लगाना ही पड़ेगा। लेकिन चूंकि शंका पैदा हुई है मैं इसका रूल्स में प्राविजन कर दूंगा कि बीट आफ ड्रम से भी अनाउंस किया जाय। फिर पंचायत में जाकर लोग बात कह सकते हैं।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

(श्री कमलासिंह यादव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राममूर्ति--

माननीय कमलासिंह ने इन शब्दों पर बहुत जोर दिया है--

". . . . forward the same to the Gaon Sabha concerned for its approval which shall thereupon become final."

विधेयक में जो प्राविजन किया गया है उसमें तो यह है कि जो स्कीम होगी वह गांव सभा के सामने रखी जायगी और वह उसको पसन्द करे, या अगर चाहे तो उसमें कोई माडिफिकेशन या चेंज आदि करके कमिश्नर महोदय के पास भेज सकती है। उसको कमिश्नर महोदय फिर एग्जामिन करेंगे और अगर कोई माडिफिकेशन करना या चेंज करना ठीक समझते हैं तो वह कर सकते हैं। अगर उसकी जरूरत नहीं है तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। माननीय कमलासिंह जी यह चाहते हैं कि वह दोबारा फिर गांव सभा के पास जाय और उस पर उसका एप्रूवल हो। यहां तक तो ठीक है कि गांव सभा के सजेशन को कमिश्नर महोदय फिर एग्जामिन करें, लेकिन अगर कोई चेंज हो तो उसको फिर गांव सभा के पास भेजा जाय, इसमें दिक्कत हो सकती है। गांव सभा में पार्टी बन्दी भी हो सकती है। उसके आधार पर अगर वे कोई गलत काम को करवाना चाहती हैं, तो वे उसको करवाने के लिये कहेंगी कि उसे करो, इसलिये यह चीज ठीक नहीं है। वैसे हमारे जो विभाग के टैक्नीकल लोग हैं वे तो उसको देख ही लेंगे। अगर आपकी बात मान ली जाय तो फिर जिम्मेदारी की बात उन पर नहीं आयेगी। मैं समझता हूं कि माननीय कमलासिंह जी इससे संतुष्ट हो गये होंगे और अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

श्री कमलासिंह यादव--

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी मेरी बात को समझे नहीं। इसमें यह है कि जो प्लान होगी वह गांव सभा के पास कंसीडर करने के लिये भेजी जायेगी। गांव सभा अगर कोई माडिफिकेशन आदि चाहती है तो वह कमिश्नर कैनाल के पास भेजेगी। कमिश्नर साहब क्या करेंगे--

"Upon receipt of the objection, modification or suggestions made by the Gaon Sabhas under sub-section (2) the Divisional Canal Officer shall either confirm the scheme or amend and modify it and forward the same

to the Gaon Sabha concerned for its approval which shall thereupon become final"

मैं यह चाहता हूं कि वहां से आने के बाद यदि उसको नये तरीके से उसमें कोई माडिफिकेशन हो या अमेंडेमेंट हो तो यह जरूर होना चाहिये कि जो भी नया माडिफिकेशन या चेंज हो वह फिर गांव सभा को कम्युनिकेट हो। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि वहां पार्टी बन्दी हो सकती है, यह हो सकता है, मगर वहां तो हर काम मैजारिटी की राय से ही होता है। अगर मैजारिटी नहीं चाहेगी तो वह नहीं होगी। फिर अगर वहां मैजारिटी नहीं चाहेगी तो आपकी कोई स्कीम सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसलिये अगर उसमें कोई नये माडिफिकेशन की बात आये तो कमिश्नर साहब उसको गांव वालों को जाकर समझा दें कि हम यह चाहते हैं, यह ठीक रहेगा। मैं समझता हूं कि समझने के बाद कोई ऐसा न होगा जो अपने हित की बात को न करेगा और अपनी जिद पर ही डटा रहेगा। गांव वाले तो यह चाहते हैं कि अगर कोई बात गलत है तो कोई उनको जाकर समझा दे। और मैं समझता हूं कि बहुत सुन्दर वातावरण उससे होता है। इसी ध्येय से मैंने यह रखा है क्योंकि नया माडिफिकेशन जब किया जाय तो वह गांव सभा को कम्युनिकेट अवश्य कर दें। इससे आपकी मंशा में कोई फर्क नहीं पड़ता और जो मैं कह रहा हूं वह भी हल हो जाता है।

श्री अधिष्ठाता--

(श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट के खड़े होने पर), अब आपका अधिकार नहीं है कि आप बोलें क्योंकि कमलासिंह जी ने जबाव दे दिया है।

एक सदस्य--

कोई बोलने वाला तो है नहीं, और टाइम अभी काफी है.....

श्री अधिष्ठाता--

सिद्धान्ततः बोल सकते हैं या नहीं, यह प्रश्न है। टाइम तो हमारे पास काफी है। माननीय कमलासिंह जी अब जबाव दे चुके हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

वह तो आपने बीच में मौका ही नहीं दिया।

श्री अधिष्ठाता--

आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। जब पहली बार कमलासिंह जी बोले थे तो आप बोल सकते थे। लेकिन अब वह जबाव दे चुके हैं। इसलिए अब आपके लिए कोई मौका नहीं हो सकता। तरीका जो है, वही बरतना है। उन्होंने फाइनल स्पीच दे डाली है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

फाइनल तो नहीं दी है। माननीय मंत्री महोदय बोले हैं और फिर उसके बाद एक दम से आपने कमलासिंह जी को काल कर लिया, दूसरों को मौका ही नहीं दिया गया। आपको हमें मौका तो देना चाहिए क्योंकि इस विषय पर बोलने का औरों को भी अधिकार है।

श्री अधिष्ठाता--

आप खड़े होते तो जरूर आपको मौका मिलता। जब आप खड़े नहीं हुए तो मौका कैसे मिलता ?

श्री राममूर्ति--

चेयरमैन साहब, कमलासिंह जी ने जो बात फरमायी उसमें और जो यह कागज पर दिया हुआ है दोनों में फर्क है। इसमें तो यह है कि गांव सभा फिर उसको फाइनल अप्रूवल देगी तब डिवीजनल कैनाल आफिसर काम कर सकता है और आपने अपने भाषण में वह फरमाया कि अगर

[श्री राममूर्ति]

कोई माडिफिकेशन गांव सभा करती है, तो वह उसको डिवीजनल कैनाल आफिसर के पास भेजे और कैनाल आफिसर उसे माने या न माने, उसे पसन्द हो या न पसन्द हो, तो उसकी इनफार्मेशन वह गांव सभा को दे। खाली उसका कम्युनिकेशन आप चाहते हैं, जहां तक मैं आपकी मंशा को समझ सका। तो मैं समझता हूं इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि जो कोई चेंज हुआ है वह कम्युनिकेट कर दिया जाय लेकिन फाइनल अप्रूवल डिवीजनल कैनाल आफिसर का ही होगा।

श्री कमलासिंह यादव—

उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। (व्यवधान)

श्री राममूर्ति—

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कमलासिंह जी ने जो अपना यह अमेंडमेंट दिया है उसकी भाषा तो दूसरी है और उसका अभिप्राय भी दूसरा होगा, लेकिन जो भाषण उन्होंने दिया उसमें सिर्फ इतना चाहते हैं कि कोई माडिफिकेशन गांव सभा की स्कीम में डिवीजनल कैनाल आफिसर अगर करे तो उसकी इन्फार्मेशन गांव सभा को दे दे उसके बाद काम शुरू हो, तो इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

तो जिस रूप में आप करना चाहते हैं उस रूप में लिखकर मेरे पास भेजें तो मैं उसे ले सकता हूं।

श्री कमलासिंह यादव—

तो अब माननीय मन्त्री जी, उसको स्वयं बना कर आपके पास भेज दें।

श्री अधिष्ठाता—

तो मैं अभी इसको पोस्टपोन करता हूं।

श्री राममूर्ति—

लेकिन कमलासिंह जी के दिमाग में कोई गलतफहमी न रहे। मैंने अपने आपको बिलकुल साफ कर दिया कि डिवीजनल कैनाल आफिसर गांव सभा की स्कीम को माडिफाई करता है तो उस माडिफिकेशन के लिए उनको इन्फार्म कर देगा।

श्री कमलासिंह यादव—

जी हां, मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री राममूर्ति—

उसकी लैंगुएज मैं अभी बताये देता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

तो क्या माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव को वापस लेते हैं?

श्री कमलासिंह यादव—

मैं वापस लेता हूं।

श्री राममूर्ति—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं एक बात अर्ज करूं। मैं इसको देख लूंगा, अगर रूल्स में इसका प्राविजन हो सकता है तो रूल्स में प्रोवाइड कर देंगे।

श्री अधिष्ठाता—

इस वक्त इस संशोधन को क्या किया जाय?

श्री राममूर्ति—

वह तो कमलासिंह जी ने विदड्रा कर लिया।

श्री कमलासिंह यादव—

वह इस शर्त पर विदड्रा किया है कि आप इसको कहीं ला देंगे।

श्री अधिष्ठाता—

तो सदन का यह निश्चय रहा कि यह संशोधन वापस हुआ।

श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्,.....

श्री अधिष्ठाता—

इसमें जो एक कमी है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ओरिजिनल ऐक्ट अंग्रेजी में है और आपने हिन्दी में संशोधन दिया है, वह इसमें किस तरह से फिट-इन किया जाय, इसके बारे में आप बतलायें तब मैं इसको सदन के सामने रखूंगा।

श्री कल्पनाथसिंह—

मुझे प्रसन्नता है कि इस बात की ओर प्वाइंट आउट किया गया। यह बात पहले ही सदन के सामने आनी चाहिये थी। परन्तु यह खुशी की बात है कि यह प्रश्न सामने आया। इस सदन की भाषा हिन्दी है। वह ऐक्ट अंग्रेजों के जमाने में बना था। माननीय मंत्री जी अब उसको संशोधित करना चाहते हैं। तो उनको अंग्रेजी बोलने और लिखने का एतराज नहीं है लेकिन मुझे इस हाउस में अंग्रेजी को इस्तेमाल करने में सख्त एतराज है और इसीलिये मैंने इसको हिन्दी में लिखकर दिया है। अब यह एक और बात इस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि मेरा एतराज उपस्थित करने के लिये नहीं था। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो हिन्दी के नाम पर कुछ दूसरी तरह की बात कह डालें लेकिन एक बात यह कहना चाहता हूं कि हिन्दी भाषा ही चलनी चाहिये और संशोधन भी हिन्दी में ही आना चाहिये तब विधेयक को पास किया जाय। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, मन्त्री जी अपनी भाषा में इसको जैसा फिट-इन करना चाहें कर लें।

श्री अधिष्ठाता—

आपको मालूम होना चाहिये कि इस पर कई मर्तबा रूलिंग दी जा चुकी है कि जब ओरिजिनल ऐक्ट अंग्रेजी में हो तो संशोधन भी उस पर अंग्रेजी में ही होने चाहिये। इसलिये वही बात फालो की जायगी।

श्री कल्पनाथसिंह—

ओरिजिनल ऐक्ट अंग्रेजी में है और मन्त्री जी जो संशोधन उपस्थित कर रहे हैं वह भी अंग्रेजी में है लेकिन हमारा जो संशोधन है वह उस रूलिंग से कहीं बाहर तो है नहीं। मैं समझता हूं यह संशोधन पेश हो सकता है। अभी आपके पूर्व जो अधिष्ठाता महोदय बैठे थे, उन्होंने एक नहीं अनेक ऐसे संशोधन उपस्थित करने की आज्ञा प्रदान की।

श्री अधिष्ठाता—

मेरी जानकारी यह है कि उन्होंने यह रूलिंग दी थी और सदैव की यह रूलिंग है कि यदि ओरिजिनल ऐक्ट अंग्रेजी में हो तो उस पर संशोधन भी अंग्रेजी में ही आने चाहिये।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैं आपकी आज्ञा से यह निवेदन कर दूं कि अभी पहले नम्बर २, ३, ४, और ५, ६ यह सब इसके पहले हिन्दी में ही पेश किये जा चुके हैं।

श्री अधिष्ठाता—

यह जितने अमेंडमेंट आपने बतलाये, मेरी जानकारी यह है कि उनमें से एक भी मूव नहीं हुआ।

श्री कल्पनाथसिंह—

वह मूव किये गये थे और बाद को मूव करके वापस ले लिया। यह तो मुझे बड़ी दिलचस्प बात मालूम होती है .....

श्री अधिष्ठाता--

मेरी जानकारी यह है कि नम्बर २, ३, ५ और ६ इनमें से एक भी मूव नहीं हुआ। अब इस पर और जानकारी की आवश्यकता नहीं है।

श्री कल्पनाथसिंह--

मेरी भी यही जानकारी है कि मूव हुये थे। यदि आपको कुछ सन्देह हो तो आप हाउस की प्रोसीडिंग को उठाकर देख सकते हैं। इनमें से नम्बर २, ३, ४ को मैंने मूव किया था और मूव करने के बाद मैंने वापस ले लिया। अब मैं इसको वापस नहीं ले सकता, इस ग्राउन्ड पर कि यह हिन्दी में है और वह मूव नहीं हो सकता। इनको मैं मूव करने के बाद सन्तुष्ट हो गया था तो मूव करना नहीं चाहा और वापस ले लिया। इन दोनों बातों में अन्तर है। इस चेयर से जो व्यवस्था होती है उसका बड़ा मूल्य है, वैसे अगर कोई दिक्कत है तो बात दूसरी है। मैं कोई भी अमेंडमेंट वापस लेने को तैयार हूं, लेकिन अगर इस बात की सुविधा मिल जाय कि इस तरह के अमेंडमेंट भविष्य में आ सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था हो जाय तो मैं अपने सारे अमेंडमेंट वापस लेने के लिये तैयार हूं।

श्री अधिष्ठाता--

कई बार इस बारे में चेयर की रूलिंग हो चुकी है और इस आपत्ति को समझकर ही मैं अपनी रूलिंग दे चुका हूं। अच्छा है कि आप इस पर और ज्यादा बहस न करें।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं कि जब एक खास भावना व्यक्त करने वाला संशोधन हिन्दी में है और सदन में उस पर विचार होना नितांत आवश्यक है तो आपकी आज्ञा मिलनी चाहिये, कि मैं अथवा कोई अन्य सदस्य उसे अंग्रेजी में मूव कर सकें।

श्री अधिष्ठाता--

आप अपना स्थान ग्रहण करें, यह विधान सभा कानून बनाने के लिये बनायी गयी है। यह कानून अदालतों में जायंगे। आपकी भावना का यहां कोई सवाल नहीं है। मैं भावना का आदर करते हुए चाहता हूं कि कानून ऐसे बनें कि जिनका बाद में मखौल न उड़ाया जाय।

श्री रक्षपालसिंह--

मैं अपना अमेंडमेंट अंग्रेजी में मूव करना चाहता हूं।

श्री कमलासिंह यादव--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि.....

श्री कल्पनाथसिंह--

आपकी आज्ञा से.....

श्री अधिष्ठाता--

क्या आपका प्वाइंट आफ आर्डर है ?

श्री कल्पनाथसिंह--

जी हां, इसी पर है। आप मेरी बात सुन तो लें।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने कमलासिंह जी का नाम पुकार दिया है। वे नम्बर १० का संशोधन पेश कर रहे हैं। क्या इस पर आपका व्यवस्था का प्रश्न है ? जो हो चुका है उसके बारे में आप बात नहीं कर सकते।

श्री कल्पनाथसिंह--

मेरा प्रोसीजर के बारे में प्वाइंट आफ आर्डर है। उत्तर प्रदेश की विधान सभा की कार्य सूची, बुधवार, दिनांक २४ माघ, शक संवत् १८८४ (१३ फरवरी, १९६३ ई०) को साढ़े दस बजे दिन से शुरू होने की बैठक के लिये जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया था उसमें

यह संशोधन छपा हुआ है। अगर यह नियमानुकूल नहीं था तो इसको छापने की आवश्यकता नहीं थी। जो संशोधन मैंने दिया था अगर वह नियमानुकूल नहीं था तो उसकी मुझे विधिवत् सूचना पहले से ही प्राप्त हो जानी चाहिये थी।

श्री अधिष्ठाता—

आपकी बात मैंने सुन ली, आप बैठ जायं। कोई भी संशोधन यदि नियमानुकूल न हो तो मुझे अधिकार है कि मैं उसको अवैध करार दे दूं, यहां भी, भले ही वह एजेंडा में छप गया हो। छप जाने से ही आपका कोई क्लेम नहीं बन जाता।

कमलासिंह जी अपना भाषण जारी रखें।

श्री कल्पनाथसिंह—

मुझे दुख है कि यह भाषा का, सदन की कार्यवाही का सवाल है। इस चेयर का पूर्ण सम्मान करते हुए इस सदन में जब तक इस अंग्रेजी भाषा भाषी विधेयकों का कार्यक्रम चलता है तब तक के लिये मैं सदन का परित्याग करता हूं। यह नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३ जब तक चल रहा है तब तक के लिये मैं सदन का परित्याग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

इसके लिये आपको अधिकार है, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो नियम हैं उन के अनुसार ही यहां कार्य होगा।

(इसके उपरान्त श्री कल्पनाथसिंह सदन त्याग कर चले गये।)

*श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव रखता हूं कि "खंड ३ में प्रस्तावित धारा ३० B के उपखंड (५) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड (५) रख दिया जाय।

"(5) When the scheme has become final the Divisional Canal Officer shall get the land acquisitioned or preserved by the Consolidation Office if the land or village is under consolidation scheme and shall by notice in writing call upon the Pradhan concerned for the implementation of the scheme, and in particular to construct or cause to be constructed the water courses and carry out or cause to be carried out all works connected therewith within the period fixed therefor in the notice which may be extended from time to time at Government cost or semi-Government cost."

श्रीमन्, जो संशोधन मैं लाया हूं उसकी मंशा यह है कि यह जब गांवों में कहीं भी नहर वगैरह बनाई जाय, तो उसमें हमारे सामने कठिनाई यह है कि हम जब पहले गांव वालों से कहते हैं कि वह अपनी जमीन दे दें तो वह अपनी जमीन नहीं देते हैं। तब हम जबर्दस्ती उनकी जमीन लेने की कोशिश करते हैं। उस जमीन को लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्दर एक्वायर कर लिया जाता है। यह एक प्रकार से जबर्दस्ती ही कही जायगी क्योंकि आप १०० रुपये की चीज के केवल ३–४ रुपये ही देते हैं। यह नहीं है कि ऐसा इसी प्रदेश में हो रहा है बल्कि यह काम पंजाब और बिहार आदि प्रदेशों में भी किया गया है। परन्तु मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि वहां पर जो कम्पेनसेशन लोगों को दिया गया है वह करीब ५–६ गुना है जो कि इस प्रदेश में दिया जाता है। एक तरह से इस प्रदेश में किसानों की जमीन मुफ्त में ही ली जा रही है। १०० रुपये की चीज को ५–६ रुपये में ही ले लिया जाय, मैं यह पूछता हूं कि यह कहां का न्याय है? मैं चाहता हूं कि आपके यहां पर समन्वय होना चाहिए। जो नहरों का रेट हमारे यहां हो, वही दूसरी जगह भी होना चाहिए। इसमें सुधा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

होना चाहिये। कई बार इस आदरणीय सदन के सामने भी लैंड एक्यूजीशन का प्रश्न आ चुका है, परन्तु उसमें सुधार के लिये कोई आवश्यक कदम नहीं उठाये गये हैं। हमारे प्रदेश में जो दिया जा रहा है वह पंजाब और बिहार के मुकाबले में बहुत कम है। इसलिये इसमें संशोधन होना चाहिये, ताकि किसानों से जो जमीन ली जाय, उसमें उन्हें कोई दुख न हो। उनके पड़ोसी प्रदेश में चूंकि अधिक रुपया जमीन के बदले में दिया जाता है इसलिये उनको दुख होता है।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में बहुत से गांव ऐसे है कि जहां कंसालिडेशन का काम चल रहा है। तो उसके लिये हम किसी आदमी या गांव सभा से यह कहें कि तुम इतनी जमीन दो। अगर कंसालिडेशन का काम शुरू हो गया हो, गांव में, उसके पहले हम उस गांव सभा में अपने नलकूप लगाने जायें, या कोई नहर लगवाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वह सारी स्कीम उस गांव सभा के पास पहले भेजी जानी चाहिए कि वह यह जान ले कि किस तरह से हम बनाना चाहते हैं और अगर कंसालिडेशन स्कीम वहां लागू हो, उसके मुताबिक कंसालिडेशन अफसरों के जरिये। हम गांवों में यह तय कर दें कि इस तरह से योजना होगी या इन मेम्बरान या खेतों के जरिये हमारी वह गूलें जायेंगी, तो मैं समझता हूं कि यह बहुत उचित और ठीक होगा। इस तरह से वह प्लांड वे में स्कीम होगी। माननीय मंत्री अगर कभी पंजाब की तरफ गये हों, मुझे तो जाने का कभी मौका मिला नहीं है, लेकिन यह अवश्य सुना है कि पंजाब में सब स्कीमें प्लांड वे में चल रही है। जितनी सिंचाई की गूलें हैं और जितने नलकूप लगे, वह सब पहले ही कंसालिडेशन के जरिये से पहले ही हो सकता था और गांव की सब योजनायें उसी रूप में रखी जातीं। आज जब आपकी चकबन्दी खत्म हो जाती है तब आपका हथियार शुरू होता है और आप कहते हैं कि हम सिंचाई की स्कीम लागू करेंगे। और नतीजा यह होता है कि जो अधिकारी गांव में जाते हैं वह नहर ऐसी बनाते हैं कि किसी किसी काश्तकार का चक दो हिस्सों में बंट जाता है, वह किसी काम का नहीं रहता और ५० परसेंट केसेज में कैनाल चक के बीच से जाती है। आपकी स्कीम है कि सीधे नहर ले जाओ, अब जिसका एक बीघे का खेत है और नहर की गूल में चला गया तो वह तो मर जायगा। गांवों में लोग कृषि पर गुजर करते हैं। एक तरफ आप अधिक अन्न उपजाने की बात करते हैं, दूसरी ओर लैंडलेस बना रहे हैं लोगों को। तो या तो कम्पेंसेशन अधिक दीजिये या चक के किनारे से ले जाइये। इसलिये मैंने रखा है कि अगर कंसालिडेशन स्कीम चल रही है तो प्लान उसको दे दें कि उसके मुताबिक गांव की जमीन छोड़ दे। इसमें सब दिक्कत दूर होगी। कम्पेंसेशन का सवाल भी नहीं आयेगा, क्योंकि अन्य लैंड जो गांव की होगी उसमें से भूमि दे सकेंगे।

दूसरी चीज यह है कि पश्चिमी जिलों में गूल वगैरह नहर की बनाना किसानों का काम है, लेकिन अधिष्ठाता महोदय, मैं माफी चाहूंगा, पूर्वी जिलों में अभी गांवों में ऐसी स्कीम नहीं है। हमने तो नलकूप नहीं देखे थे। मेहरबानी है मंत्री जी की कि देख लिये, थोड़ा फायदा भी उनसे उठा रहे हैं, लेकिन उतना नहीं हो रहा है जितना कि होना चाहिये।

श्री राममूर्ति---

और बनेंगे।

श्री कमलासिंह यादव---

मेहरबानी है आपकी। ठेकेदार वहां काम करता है। यहां कोशिश की गयी कि गूल वगैरह बनाने या गांव को ऊंचा करने का काम गांव पंचायत को दिया जाय और सरकार से भी कुछ जी०ओ० भेजा गया और कोशिश की गयी कि गांव प्रधान या गांव के लोग जो कंट्रैक्ट

लेना चाहते हैं तो लें और इस तरह से गांव का कोष बढ़ाया जाय। इससे गांव वालों को प्रोत्साहन मिला, लेकिन दिक्कत यह पड़ी कि जो डिपार्टमेंट हैं उससे उतना कोआपरेशन नहीं मिला जितना कि मिलना चाहिये। इससे गांव की आर्थिक दशा सुधारने या मदद करने की योजना फेल कर गयी। तो पूर्वी जिलों में जो विकास के काम होते हैं, नहर, सड़क बनती है तो वहां दो तिहाई, एक तिहाई या तीन चौथाई, एक चौथाई या हाफहाफ बेसिस पर कराते हैं। इसी तरह से अगर गूल वगैरह बनाने के काम में भी शेयर किया गया और लोगों को प्रोत्साहन दिया गया कि जो पहले गूल बना लेगा उसको सिंचाई में कंसेशन मिलेगा तो इससे लोगों में जो भावना है कि हम बेगार करने क्यों जायं, वह दूर होगी और गांव की उन्नति होगी। अगर आप सब पर एक साथ यह भार डाल दें कि लोगों से रुपया वसूल करें और ठेकेदार से गूलें बनवाई जायं तो इससे लोगों की भावना को ठेस पहुंचेगी। इसलिये मैं चाहूंगा कि कुछ न कुछ ऐसा कदम बढ़ाइये कि बड़े आदमी तो जहां आसानी से पैसा दे सकेंगे, वहां गरीब जनता जिसके पास छोटे छोटे अलाभकर खेत हैं, वह पैसा नहीं दे सकेगी और हाथ से काम करना पसन्द करेगी, उन्हें कुछ काम मिल सके। उन्हें लगान तक देने में मुश्किल पड़ती है। ऐसे लोगों के लिये हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन देना होगा। अगर वैरियेशन थोड़ा सा होगा तो उससे पिछड़े हुये लोगों को, गरीब लोगों को, राहत मिलेगी। अमीर आदमी हाथ से काम न करके पैसा दे देंगे, लेकिन गरीब हाथ से ही काम करना चाहेगा। मान लीजिये कि एक गांव सभा में एक अमीर आदमी है और एक गरीब आदमी है। अमीर हाथ से काम नहीं करना चाहता है, गरीब चाहता है, तो आपकी स्कीम गई। अगर गांव सभा नहीं करती है तो आप स्वयं उसे बनवा देंगे और उसकी कीमत गांव के सभी लोगों से वसूल करेंगे। मैं उन लोगों की यादगार आपके दिल में करना चाहता हूं जो अपने हाथ से काम करना चाहते हैं। जैसा मैंने पहले भाषण में कहा था, हम जितना काम किसी गांव में करना चाहते हैं वह सब उसी गांव के लोगों से लें, इससे यह नतीजा होगा कि गांव के वे मजदूर जो इस विधेयक द्वारा महरूम रखे जा रहे हैं उन्हें मजबूर किया जा रहा है पैसा देने के लिये, परन्तु मैं चाहता हूं कि वे स्वयं मौके पर जाकर काम करें और मजदूरी के रूप में उस पैसे को वापिस ले लें। इसलिये आप कोई ऐसा उपाय करें कि उस गांव के मजदूरों को प्राथमिकता दी जाय।

दूसरी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कमेटी हमारे यहां गई थी। उसके सामने हमारे यहां के सब लोगों ने एक मत से यह व्यक्त किया था कि २ आने और ४ आने मजदूरी है। माननीय कृष्णानन्द राय जी भी यहां हैं। कोई जाकर देख सकता है कि २ और ४ आने की मजदूरी पर भी काम नहीं मिल रहा है। जो आदमी गांव छोड़कर शहर में रिक्शा खींचकर अपनी जिन्दगी बैल और जानवर की तरह बिता रहा है, उसे राहत मिलेगी। हमारे यहां के विद्यार्थी फारेन कंट्रीज में जाते हैं, आप उन्हें केवल आने जाने का खर्चा देते हैं। वे वहां कोई काम करके होटल इत्यादि में काम करके, अपना अध्ययन का खर्चा चलाते हैं। तो आज जब हम हाथ से, काम करना चाहते हैं तो सरकार उसे नहीं दे पा रही है। हम चाहते हैं कि सरकार का दिमाग मंत्री जी साफ करेंगे, थोड़ा मंत्री जी का रुझान उन गरीब पिछड़े जिलों की ओर होना चाहिये जहां के लोग काम हाथ से करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

४ बजे इस विधेयक को समाप्त हो जाना है। ३।। बजे से इसकी तीसरी रीडिंग होगी। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य उन्हीं संशोधनों को रखें और प्रेस करें जिन्हें वे बहुत जरूरी समझते हैं। अन्यथा मुझे कुछ संशोधन, गिलोटीन करने होंगे। इसलिये समय का नियंत्रण आप लोग अपने आप करें। मुझे यह बार-बार कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिये।

श्री कमलासिंह यादव—

चूंकि समय कम है, इसलिये मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूं और माननीय मंत्री जी को आप आज्ञा दें कि वह इस पर रोशनी डालें।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---

यह माननीय मन्त्री जी की अदूरदर्शिता है कि यह जानते हुये भी कि अभी बहुत से जिलों में चकबन्दी नहीं हुई है, कोई ऐसी चीज इस विधेयक में उन्होंने नहीं रखी है कि जो लोग अपने हाथ से काम करना चाहें वे कर सकें, भले ही कुछ धनीमानी लोग, बड़े आदमी, न करना चाहें। हर जिले में कंसालिडेशन में कुछ कटौती की जाती है जिसमें गांव की बहुत सी जरूरी बातों के लिये, बहुत से जरूरी कामों के लिये, जमीन निकाली जाती है। इस बिल में यह है कि एक्वायर की जाय। एक्वीजीशन में बहुत समय लगता है और पैसा भी खर्च होता है। जब कंसालिडेशन होने जा रहा है उस समय या उसके पूर्व ही आवश्यक कार्यों के लिये कार्यवाही होनी चाहिये। जैसे सींचने के जलमार्ग हैं। इससे बहुत समय और पैसा खर्च होने से बच जायगा। इस संशोधन में २ बातें रखी गई हैं। एक तो कंसालिडेशन के समय जलमार्गों इत्यादि के लिये प्रबन्ध किया जाय और दूसरा कास्ट के लिये रखा गया है। डेवलपमेंट के लिये बहुत कुछ हद तक विकास खंड में दिया जाता है। अगर वहां के ही लोगों से काम कराया जायगा, जैसा कि कमलासिंह जी ने कहा है, तो इससे उन्हें काम मिलेगा और उनका पैसा उन्हीं के पास रहेगा।

श्री रक्षपालसिंह---

मैं कमलासिंह जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं। चकबन्दी के समय इस स्कीम के लागू हो जाने पर एक प्लान बहुत आवश्यक है। कोई भी आदमी जमीन देना नहीं चाहता है चाहे जितने पवित्र कार्य के लिये हो, अड़ंगे लगते हैं और आपत्तियां और परेशानियां होती हैं। लेकिन अगर चकबन्दी होते समय मान लीजिये कि नालियों के लिये १० बीघा जमीन चाहिये, वह निकाल ली जाय, या जहां नालियां बनाई गई है वहां के काश्तकारों को मुआवजा जमीन के रूप में दिया जाय, ऐसी व्यवस्था अगर हो तो उन लोगों की बहुत सहायता हो सकती है।

दूसरी बात यह है कि सरकार के नियमों के द्वारा कैसे इसका पालन होगा। यह स्कीम गांव सभा के द्वारा कराई जायगी। वहां १ आना टैक्स वसूल करने की बात तो गांव सभायें कर ही नहीं पाती हैं। फिर यह जमीन एक्वायर कर लें और वहां नालियां बनवा दें, यह केवल कल्पना करने वाली बात है, सम्भव नहीं है। इसके अन्दर समय भी लगेगा। गांव सभा के लोगों को स्वयं खर्च करना पड़ेगा, ये सब विरोधी बातें है। इसलिये सरकार की तरफ से खर्चा करने के बारे में तय किया जाय और जहां तक लैंड के एक्वीजीशन की बात है उसको कंसोलिडेशन के समय कर लिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। इन दो कारणों से मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा है मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

*श्री राममूर्ति---

अधिष्ठाता जी, तीन बातों का जिक्र किया गया। जहां तक कंसोलिडेशन के द्वारा जमीन लेने का ताल्लुक है, हमने कांफ्रेंस के द्वारा यह तय कर लिया है कि जिस भी गांव में सिंचाई का काम होने जा रहा है उसके लिये चकबन्दी अधिकारियों के पास नक्शा भेज दिया जायगा और वे उस जमीन को छोड़ देंगे। कल भीखालाल जी ने इसका अपने भाषण में जिक्र भी किया था कि इस प्रकार से जमीन छोड़ी भी गयी है। यह एक दिक्कत जरूर है जो रफा नहीं हुई है, वह यह कि जिस जगह सिंचाई विभाग एलाइनमेंट बनाता है कभी-कभी सिंचाई विभाग उसको नहीं मानता है और चाहता है कि वह चक के कोने से निकल जाय। इस दिक्कत को रफा करने के लिये सोचा जा रहा है कि कंसोलिडेशन विभाग को, यह बताया जाय कि पानी का ढाल जिधर से होगा उधर से ही एलाइनमेंट होगा और वह ऐसा होना चाहिये कि दोनों ओर पानी मिल सके।

एक बात रेट्स के बारे में कही गयी। वह इस बिल में तय नहीं हो सकती है, वह अलग की चीज है, वह हमारा महकमा नहीं है। इसके लिये मैंने लिखा है, माननीय सदस्य भी कहते रहते हैं, वह रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के सामने विचाराधीन है। मुझे नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मालूम कि बिहार और पंजाब में क्या रेट्स हैं। तमाम राज्यों से एक्वीजीशन के रेट्स मांगे गये हैं, वे कागजात इस समय मेरे पास नहीं हैं। इसलिये जब तक रेट्स नहीं बदलते तब तक हमारी मजबूरी है, पुराने रेट्स से ही ली जायगी।

जहां तक पक्की गूलों का ताल्लुक है जो ट्यूबवैल में बनायी जाती हैं वे तो सरकार की तरफ से बनायी जाती हैं। ये तो वे कच्ची गूलें हैं जो किसानों के खेतों में से जायंगी, उनको आज भी किसान बनाता है। सिर्फ दिक्कत यह है कि जो आगे पानी को ले जाना चाहता है अगर बीच में कोई दिक्कत डालता है तो उसको वह दिक्कत न हो। यह केवल २०–२५ इंच की होती है। आज भी कुयें से पानी लेते समय किसान उनको बनाता है।

एक बात जरूर है जिसका प्रावीजन इसमें नहीं है। जैसा कि कमलासिंह जी ने कहा–– कोई गूल बनने जा रही है, बीच में कोई रईस साहब गांव समाज से मिल कर उसको नहीं बनाते तो उनको किस प्रकार से मजबूर किया जाय, यह प्रावीजन इसमें नहीं है। एक प्रावीजन है कि बावजूद नोटीफिकेशन के अगर लोग चाहते हैं कि सरकार काम करे तो सरकार करेगी। उस वक्त भी यह खयाल रखा जायगा कि अगर वह काम दैनिक वेजेज पर होता है तो वह उसी गांव के लोगों को दिया जायगा। एक तरह से सारा पैसा उनको ही दे दिया जायगा और दूसरी तरह से उनसे बाद में वसूल कर लिया जायगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। इस जेब से उस जेब में पैसा चला जायगा जो एक उलट-पलट की बात है। इसमें कोई व्यावहारिक दिक्कत लोगों को नहीं हो सकती है। लेकिन जैसा कि माननीय कमलासिंह जी ने एक बड़ी दूरदर्शिता की बात कही-ऐसा हो सकता है कि २० आदमी तो काम करने के लिये तैयार हों लेकिन उनमें से एक आदमी काम नहीं करना चाहता, तो उसके लिये कौन काम करे? तो इसके लिये इसमें ऐसा कोई प्राविजन नहीं है कि सरकार उससे काम करा सके। जब कोई काम करना है और कोई स्कीम उसकी वजह से पूरी नहीं होती तो यह ग्राम पंचायतों की सद्भावना के ऊपर छोड़ दिया गया है कि जो काम न करना चाहे उससे मजदूरी लेकर काम को करा लें तो यह मसला हल हो जाय। फिर सरकार को या डिवीजनल कैनाल आफिसर को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट––

फिर इसका हल क्या है?

श्री राममूर्ति––

इसका हल तो यही है कि सरकार दूसरों से इस काम को करा ले और उनसे मजदूरी का रुपया वसूल कर ले। लेकिन यह पंचायतों के अन्दर उनकी सद्भावना पर ही छोड़ दिया गया है कि जो काम न करना चाहे उससे रुपया ले करके मजदूरों से उस काम को करा ले।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय कमलासिंह जी, क्या आप अपने संशोधन को वापस लेते हैं?

श्री कमलासिंह यादव––

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो एक्सप्लेनेशन दिया वह बिलकुल सेटिस्फैक्टरी नहीं है, इसलिये मेरी मजबूरी है। मैं सदन का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि––

खंड ३ में प्रस्तावित धारा ३०बी के उपखंड (५) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड (५) रख दिया जाय:

"(5) When the scheme has become final the Divisional Canal Officer shall get the land acquisitioned or preserved by the Consolidation Office if the land or village is under consolidation scheme and shall by notice in wr'ting call upon the Pradhan concerned for the imple—

[श्री अधिष्ठाता]

mentation of the scheme, and in particular to construct or cause to be constructed the water courses and carry out or cause to be carried out all works connected therewith within the period fixed therefor in the notice which may be extended from time to time at Government cost or semi-Government cost."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव---

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ में प्रस्तावित धारा ३०-C के उपखंड (1) की तीसरी पंक्ति में 'Shall' के स्थान पर 'May' रख दिया जाय।

श्रीमन्, 'शैल' रखने का मतलब यह है कि गांव सभा के लिये उस काम को करने की मजबूरी हो जायगी जब कि 'में' रखने से उसके डिस्क्रिशन पर रहेगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस पर वे जरा सोचें। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री राममूर्ति---

जो लैंगुएज लिखी गयी है वह ठीक है। जो गांव सभा है उसको एक आप्शन दिया गया है, उस पर एक ड्यूटी डाली गयी है कि वह उस काम को करावे। अगर वह उस काम को नहीं करायेगी तो सरकार तो उस काम को करायेगी ही।

श्री अधिष्ठाता---

तो आप अपने संशोधन को वापस लेते हैं?

श्री कमलासिंह यादव---

मैं मजबूर हूं। मेरा खयाल है कि किसी काम को करने के लिये गांव सभा को फोर्स नहीं कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि खंड ३ में प्रस्तावित धारा ३०-C के उपखंड (1) की तीसरी पंक्ति में "shall" के स्थान पर "May" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ में प्रस्तावित धारा ३०-C के उपखंड (2) की तीसरी पंक्ति में 'it may' के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ दिया जाय :—'through a resolution'.

श्री अधिष्ठाता---

माननीय कमलासिंह जी, ये सभी संशोधन आपके हैं और खंड ३ में भी आपके संशोधन हैं, तो मैं चाहता हूं कि समय की बचत के लिये आप सब को एक साथ ही उपस्थित कर दें।

श्री कमलासिंह यादव---

श्रीमन्, सब के अलग-अलग उसूल हैं।

श्री अधिष्ठाता---

इस तरह से तो सारा समय साढ़े ३ बजे तक आप ही ले लेंगे।

श्री कमलासिंह यादव---

समय की बचत के लिये ही मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। उतना ही बोल रहा हूं जितना कि जरूरत है।

श्री अधिष्ठाता---

मैं तो आप ही लोगों के हित की बात कह रहा था।

*श्री कमलासिंह यादव--

अधिष्ठाता महोदय, मैंने अपने संशोधन को पेश कर दिया है, अब आप जैसा मुनासिब समझें। पंचायत राज ऐक्ट की किताब मैंने मंगायी है, यहां मेरे पास नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि १९ (ए०) जो पंचायत राज ऐक्ट की धारा है उस में यह दिया है कि "बाई ए रिजोलूशन" ही तमाम काम होंगे। जैसा कि मंत्री जी ने विधेयक में दिया है उसके अनुसार बाई ए रिजोलूशन या किसी तरह से भी नहीं होगा। जबतक ऐसे विषयों में प्रस्ताव नहीं होगा तब तक कोई भी ऐसा काम अगर गांव सभा करना चाहेंगी तो उन का इम्पलीमेंटेशन न हो सकेगा। इसलिये पंचायत राज ऐक्ट की धारा १९(ए०) में साफ लिखा है कि बाई ए रिजोलूशन वह साल में ९६ घंटे का फोर्स्ड लेबर ले सकते हैं, मंत्री जी इस पंचायत राज ऐक्ट की धारा को पढ़ लें। पंचायत राज मंत्री जी भी बैठे हैं, उन से भी वह बात कर लें और देखें कि इन दोनों में विरोधाभास तो नहीं होता है, मैं चाहता हूं कि दोनों विभागों में समन्वय रहे। इसलिये उन को इसके मानने में कोई संकोच न होना चाहिये। हम जब गांव सभा से कोई फोर्स्ड लेबर लेना चाहते हैं तो पंचायत राज ऐक्ट की धारा के अनुसार गांव सभा बाउन्ड है, उसमें बाई ए रिजोलूशन लिखा है। आप इसको थ्रू ए रिजोलूशन या बाई ए रिजोलूशन कुछ भी कर सकते हैं। १९(ए०) में दिया है कि:--

Power to require compulsory labour in certain cases—(1) A Gaon Panchayat may by a resolution passed by a majority of not less than two-thirds of its members for the time being direct in respect of any work of general public utility prescribed by rule and meant exclusively for the benefit of the Gaon Sabha which the Gaon Panchayat proposes to undertake, that such work shall be done or constructed with manual labour of the male members of the Gaon Sabha not above the age of 45 years, each such member being required to render such labour in relation to the work for such number of days as the Gaon Panchayat may determine :

Provided that such compulsory labour shall not—

(*a*) exceed 96 hours in a year, or

(*b*) extend to more than 48 days in a year or eight hours on that day."

और जहां कैनाल का काम करने का सवाल है वहां धारा १७(ई०) में दिया है कि:--

"With the sanction of the prescribed authority and where a canal exists under the Northern Indian Canal and Drainage Act, 1873, with the sanction also of such officer of the Irrigation Department as the State Government may prescribe, undertake small irrigation projects,"

इस तरह से पंचायत राज ऐक्ट में प्राविजन है कि ऐसी चीजों को हम ला सकते हैं और गांव सभाओं के लिये सेक्शन १९(ए०) में उसके निफाज का तरीका भी दिया हुआ है कि प्रस्ताव से हम ऐसा कर सकते हैं। हर आदमी जो ४५ वर्ष से ऊपर है या स्त्री नहीं है उस से साल में ९६ घंटे का फोर्स्ड लेबर लिया जा सकता है। यह प्राविजन साफतौर से पंचायत राज ऐक्ट में दिया है। अगर दोनों चीजें कांट्रेडिक्टरी होंगी तो काम नहीं चल सकेगा और एक रिट सब को खत्म कर देगा। मैं समय नहीं लूंगा इस पर आप गम्भीरता से विचार करें। इसलिये बाई ए रिजोलूशन से गांव सभाओं के लिये आसानी होगी और कोई दिक्कत न होगी। तो उस वक्त कोई रिट नहीं ला सकता है और मजबूर भी नहीं कर सकता है, वह बाउन्ड होंगे अपने कंट्रेक्ट से। अतः मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो मेरा संशोधन है वह बहुत ही बढ़िया है और जो ला की टैक्नीकेलिटीज हैं उनसे आपको बचायेगा और किसान का तथा आपका दोनों का भला होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राममूर्ति--

अधिष्ठाता जी, जो बात माननीय कमलासिंह जी ने कही वह अपनी जगह पर कही। लेकिन साधारणतः जो हमारी वर्किंग है, चाहे असेम्बली की हो, चाहे किसी डेमोक्रेटिक जमात की हो हर चीज रिजोल्यूशन से ही तय की जाती है। जब गांव पंचायत के सामने मसला जायेगा और स्कीम तय करेंगे तो निश्चित है कि रिजोल्यूशन करना पड़ेगा कि हमारे पास जो स्कीम आयी है उसको पसन्द करते हैं।

श्री कमलासिंह यादव--

माफ करें मुझे बीच में कहना पड़ रहा है। दो प्रोवीजन्स हैं एक तो यह कि अमेंड करे या ऐप्रूव करे। लेकिन उस समय जब कोई अमेंडमेंट न होगा उस समय क्या पोजीशन होगी। उस समय तो कोई रिजोल्यूशन आपके पास भेजता नहीं। तो कंट्रेक्ट उसी समय होगा जब आफर और ऐक्सेप्टेंस दोनों हों। तो आप गांव सभा के पास भेजते हैं और ३० दिन बीत गये उसके बाद अमेंड करना चाहें तो आप स्वीकार नहीं करेंगे। उस समय आपको दिक्कत बढ़ेगी और जो रिजोल्यूशन के मने आप लेरहे हैं कि प्लान भेज देंगे वह एक्सेप्ट कर लें वही रिजोल्यूशन माना जायगा, यह बात नहीं है।

श्री राममूर्ति--

जब वह हमारी स्कीम को डिस्कस करेंगे या डिस्कस नहीं करते हैं और पढ़ लेते हैं तो यह तो इत्तला देंगे कि हमने आपकी स्कीम को मान लिया और हम इसको कार्यान्वित करेंगे। अगर वह नहीं करते हैं तो लिखेंगे, हम आपकी स्कीम नहीं मानते हैं--हम उसमें संशोधन करना चाहते हैं। तो जो भी पंचायत के जरिये से काम होगा वह तो मैजोरिटी से तय करना होगा वही रिजोल्यूशन है। कोई काम चाहे असेम्बली में करें या गांव पंचायत में करें या जिला परिषद् में करें बगैर रिजोल्यूशन के स्कीम हो नहीं सकती।

श्री कमलासिंह यादव--

क्लाज (३) जरा आप पढ़ लें तो साफ हो जायगा।

If no objections, modifications or suggestions are submitted by any of the Gaon Sabha, within the time specified in sub-section (1), the Gaon Sabha, shall be deemed to have approved the scheme, which shall thereupon become final.

तो कहीं रिजोल्यूशन आप पाते हैं? और आफर और एक्सेपटेंस कंट्रेक्ट में जो होता है वह इसमें मिलता नहीं जिसका नतीजा यह होगा कि सब आल्ट्रावायर्स होगा।

श्री राममूर्ति--

मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि हमने अपनी एक स्कीम भेजी और गांव-सभा कोई जवाब नहीं देती तो हमारे पास क्या अथारिटी है कि हम समझें कि रिजोल्यूशन करके भेजा जाय। विधेयक में इसलिये प्रावीजन किया गया है कि अगर जवाब नहीं देते तो प्रोज्यूम कर लिया जायगा कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ३ में प्रस्तावित धारा ३०-C के उपखंड (२) की तीसरी पंक्ति में "it may" के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ दिया जाय:--"through a resolution"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ में प्रस्तावित धारा ३०-C के उपखंड (२) के (ii) के बाद निम्नलिखित Proviso के रूप में रख दिया जाय :

"Provided that on taking possession of the land the compensation shall be determined regard being had to the average net annual income from the land desired during the tehree years immediately preceding the date of poss-

ession and in case of land having no such income the average net annual income from similar land in the locality desired during that period.

Provided also that the damage, if any, sustained by the person as a result of dispossession or uprooting the crop shall also be taken into account in determining the compensation."

यह सभी लोगों को जानकारी है कि हमारे प्रदेश में लैंड एक्वीजीशन के सिलसिले में जो कम्पेनसेशन दिया जाता है वह और प्रदेशों के मुकाबले में बहुत ही कम है। जब तक उस ऐक्ट में अमेंडमेंट नहीं हो जाता तब तक हम किसी तरह की कार्यवाही नहीं कर सकते। लेकिन यहां सरकार को रुपया देना नहीं है बल्कि गांव के लोगों से ही रुपया ले कर देना है, क्योंकि कोई भी स्कीम हम चालू करेंगे तो लैंड एक्वायर करेंगे और फिर उस पर कांस्ट्रक्शन करेंगे। लैंड एक्वीजीशन के लिये सिर्फ ४० नये पैसे रखा है और कांस्ट्रक्शन का दाम ६० नये पैसे रखा है। तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि जिस किसान की जमीन हम ले रहे हैं उसको कुछ राहत देनी है। अगर उसकी फसल खड़ी है और आपने ओवरसियर को आदेश दे दिया कि उसको कटवा लो और नाली बनाओ तो उस फसल की कीमत का कौन जिम्मेदर होगा। उसके लिये कुछ कम्पेन्सेशन उसको मिलना चाहिये। इसीलिये मैंने यह प्राविजन रखा है।

दूसरे चूंकि कम्पेन्सेशन ऐक्ट के मातहत बहुत कम कम्पेन्सेशन मिलता है इसलिये यह रखा है कि उस लैंड की तीन साल की नेट इन्कम को ध्यान में रखें और अगर वह जमीन ऐसी है जो जोती बोई नहीं जाती है तो उसके बगल की जमीन की तीन साल की नेट इन्कम को ध्यान में रख कर कम्पेन्सेशन दिया करें। सौभाग्य से हमारे कृषि मंत्री जी बैठे हैं जो कि रेवेन्यू मिनिस्टर भी रह चुके हैं और उनका एक संशोधन विधेयक इसी तरह का आ रहा है। उसमें तीन साल पहले की इन्कम देख कर कम्पेन्सेशन देने की बात है। तो कम से कम जो हमारे रेवेन्यू के एक्सपर्ट हैं उन्हीं की बात माननीय सिंचाई मंत्री जी मान लें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी को समझा दें।

(हंसी)

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को सदन के सामने रखता हूं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस संशोधन के समर्थन में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। मंत्री जी को ज्ञात है कि लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट में कम्पेंसेशन बहुत कम मिलता है और इस विधेयक में कम्पेंसेशन जो देना है वह काश्तकारों से ही वसूल करके देना है जिसका हिसाब ४० नये पैसे या ६० नये पैसे होगा। अगर लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के हिसाब से मुआवजा दिया जायगा तो बहुत कम मिलेगा। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि मुआवजा मार्केट वैल्यू से दिलाया जाय। अगर मार्केट वैल्यू से मुआवजा दिलाया जायगा तो किसी को अपनी जमीन देने में कोई आपत्ति भी नहीं होगी। अगर उसको कम कीमत दी जायगी तो वह अपनी जमीन देने में आनाकानी करेगा। इसलिये उसको मार्केट रेट से मुआवजा दिया जाय।

श्री राममूर्ति—

अधिष्ठाता जी, दो बातों की तरफ इशारा किया गया है। कोई फसल खड़ी हो तो उसका मुआवजा मिलना चाहिये। सही बात है और लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट में इसका प्रावीजन भी किया गया है। पिछले १०, १२ साल से जो मेरे मुहकमे की प्रैक्टिस है उसको बताना चाहता हूं। हमारे यहां कोई जमीन ली जाती है तो हमने तरीका बना लिया है कि जब तक फसल नहीं कट जाती है तब तक काम शुरू नहीं करते हैं और यदि काम जल्दी करना जरूरी होता हैं तो उसका मुआवजा दे देते हैं। इसके बारे में किसी को शक नहीं होना चाहिये।

दूसरी चीज जैसा कि माननीय कमलासिंह जी ने फरमाया कि उत्तर प्रदेश सिंचाय ऐण्ड वाटर कंजर्वेशन बिल, १९६३ के अनुसार जो रेट होगा वही हम दे देंगे।

श्री अधिष्ठाता---

आप संशोधन को प्रेस करते हैं ?

श्री कमलासिंह यादव---

मंत्री जी ने जब मान लिया तो प्रेस करने की क्या जरूरत है ? मंत्री जी बतायें कि इसमें क्या फर्क है ?

श्री राममूर्ति---

मैंने अर्ज कर दिया कि उत्तर प्रदेश स्वायल ऐण्ड वाटर कंजर्वेशन बिल, १९६३ का जो रेट होगा वही हम भी दे देंगे ।

श्री कमलासिंह यादव---

श्रीमन्, हमें कोई विरोध नहीं है । हम इसको वापस लेते हैं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री कमलासिंह यादव ---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन पेश करता हूं कि खंड ३ में प्रस्तावित धारा ३०-c के उपखंड (5) के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं ।

"Under the supervision of the overseer or the Divisional Canal Officer."

३०-c की उपधारा (5) इस प्रकार है कि---

"In implementing the scheme the Gaon Sabha shall, in the first instance give option, by notice in writing, published in the manner prescribed, to all persons having a holding in the irrigable command area, to construct within such time as therefor in the notice, the water courses, and carry out all such work connected therewith, as may be necessary for the implementation of the scheme."

श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक का सवाल है इस धारा के बाद एक प्राविजन ऐसा भी है कि अगर गांव का आदमी खुद अपने लेबर से कोई भी गूल बनायेगा और कोई भी गलती पायी जायगी तो डिवीजनल कैनाल आफिसर ऐप्रूव नहीं करेगा और गांव सभा के आदमियों को यह भी आर्डर देगा कि मिट्टी वगैरह को वहां से हटा दो। अभी हम लोगों ने देखा कि पहला गणतंत्र दिवस था उसमें हम लोगों ने श्रमदान किया । बड़ी अच्छी भावना थी कि सड़कें बनायें, नहरें बनायें । लेकिन नतीजा यह हुआ कि गवर्नमेंट उसको मेंटेन न कर सकी और बाढ़ में जितना गांव का श्रम था वह बेकार बह गया । हम गांव के लोगों में यह भावना पैदा करना चाहते हैं कि वे अपना काम स्वयं करें। यही इस विधेयक के पीछे भावना है। तो अगर ईमानदारी से आपकी यह भावना है, मैं माननीय मंत्री जी की नीयत में शक नहीं करता लेकिन यह कहना चाहता हूं कि अगर आप गांव के लोगों से जो टेक्निकल हैंड नहीं हैं एक टेक्निकल काम करवाना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप का कोई ओवरसियर या दूसरा अफसर रहे जो जा कर मौके पर इंस्पेक्ट करे और देखे कि काम हुआ है ठीक तरीके पर या नहीं। अगर वह रहेगा तो अगर कोई गलती होगी तो उसी वक्त सुधारी जा सकती है। अगर कोई चीज बन गई और उसके बाद बिगाड़ने को कहते हैं तो लोगों के दिल में चोट पहुंचती है। इसलिये अगर आप ईमानदारी से चाहते हैं कि गांव वाले खुद अपना काम करना सीखें और इस तरह से विकेंद्रीकरण की ट्रेनिंग आप देना चाहते हैं, तो इस भावना को जाग्रत करने के लिये यह जरूरी ह कि जो काम आप गांव सभा के लोगों से करवायें उसका कोई उपयुक्त अधिकारी निरीक्षण करे और बराबर देखभाल करता रहे ताकि गांव के लोग गलती न कर सकें। इसी मंशा से मैं संशोधन लाया हूं। मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपको ऐतराज नहीं होगा । इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को रखता हूं।

श्री राममूर्ति—

अधिष्ठाता महोदय, हम रूल्स में ऐसा प्राविजन कर देंगे कि जहां कहीं गांव सभा ओवरसियर या हमारे अफसरों की मदद लेना चाहे, तो वह डाइरेक्शंस उनको दे दी जायं, होगा भी यही। जब कोई प्लान दिया जायगा तो उसकी टाकबेल वगैरह हमारे लोग ही लगायेंगे।

श्री कमलासिंह यादव—

मेरी बात दूसरी है। मैं कहता हूं कि वह काम आपकी देखभाल में होना चाहिये। अगर कोई गलती हो तो जिम्मेदार आपका ओवरसियर होगा गांव का आदमी जिम्मेदार नहीं होगा, अगर किसी अधिकारी की देखभाल में कोई चीज होती है तो गलती नहीं होगी, और फिर उसको बिगाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

श्री राममूर्ति—

अधिष्ठाता जी, इसमें ऐक्ट में चेंज करने का सवाल नहीं। एग्जिक्यूटिव आर्डर्स की बात है, वह करदी जायगी।

श्री अधिष्ठाता—

तो आप वापस ले रहे हैं?

श्री कमलासिंह यादव—

इस आश्वासन पर जो मंत्री जी दे रहे हैं, मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

*श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ में प्रस्तावित धारा ३०-G के बाद ३०-H निम्नलिखित रूप में जोड़ दिया जाय—

"The Gaon Sabha or Gaon Sabhas being in the command area of a tube-well if agreed to take over the tube-well the Government shall, subject to such terms and conditions as may be imposed by it in this behalf, transfer to or vest in the Gaon Sabha or Gaon Sabhas the tube-well and the land covered with the water courses constructed or carried out for the purpose."

श्रीमन्, इस संशोधन का मंशा यह है कि आप विकेंद्रीकरण चाहते हैं और चाहते हैं कि गांव के लोगों को ज्यादा से ज्यादा पावर्स दें और इसीलिये अन्तरिम जिला परिषद् गांव सभाओं और न्याय पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा पावर्स दे रहे हैं किसानों के सामने यह दिक्कत बराबर आती रही है कि अगर वह किसी नलकूप से सिंचाई करना चाहते हैं लेकिन कमांड एरिया में होने से उसको परेशानी होती है। ट्यूबवेल आपरेटर्स का ऐक्चुअल कंट्रोल उस पर कोई नहीं है। वह घूसखोरी करता है और अगर ज्यादा रुपया वह कमाता है तो मैकेनिक भी ट्यूबवेल को बिगाड़ देता है। नतीजा यह होता है कि वह ट्यूबवेल जिससे सरकार यह उम्मीद करती थी कि अधिक से अधिक सिंचाई हो सके, उससे अधिक से अधिक लोग पैदा करें और टैक्स के रूप में ज्यादा मिले वह पूरा नहीं होता। कभी-कभी यह भी होता है कि आपके ट्यूबवेल का जो बिजली का रेट है वह बराबर बढ़ता जाता है और आपके रिहन्द डैम से जिस रेट पर बिजली अल्यूमिनियम फैक्ट्री को मिलती है उसके मुकाबले में आपके रेट्स में जमीन आसमान का फर्क है। यह ऐसी बातें हैं जिन पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना है कि अगर गांव के लोग ज्यादा से ज्यादा सिंचाई करना चाहते हैं तो कर सकें। आप गांव के अन्दर नयी भावना लाना चाहते हैं तो गांव वालों को ट्यूबवेल के मामले में अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिये जिससे वे अधिक से अधिक नलकूप से पानी का इस्तेमाल कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

सके और अच्छी से अच्छी पैदावार कर सकें। कलेक्शन विभाग में मैंने देखा है कि वहां माल विभाग ने एक प्रोत्साहन दे रखा है कि वह गांव सभा जो कि अपना टैक्स या मालगुजारी वसूल करना चाहती है उनको ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है और इस तरह का प्रोत्साहन हमारी सरकार ने बहुत जगह पर किया है और यह देखा गया कि मालगुजारी भी लोगों ने वसूल किया है, तो ऐसी भावना अगर सरकार सही माने में जागृत करना चाहती है तो एक प्राविजन ऐसा वह ले आये और उसके जरिये अगर कोई भी गांव सभा यह चाहे कि नलकूप उसको दे दिया जाय तो उन टर्म्स और कंडीशंस पर जो आप लगायें, वह उनको आप दे दें ताकि उससे वह फायदा भी उठा सकें और आपकी कीमत भी अदा कर सकें। इस तरीके पर गांव वालों में एक नयी भावना, एक नयी चेतना जाग्रत होगी और उनका भला भी होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को सदन के सामने पेश करता हूं।

लघु उद्योग मंत्री के सभा-सचिव (श्री वीरसेन)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह अमेंडमेंट आउट आफ आर्डर है। इस बिल का स्कोप केवल जल-मार्गों तक ही सीमित है और इसमें ट्यूबवेल्स के ट्रांसफर वगैरह की बात है जो इसके स्कोप के बाहर है। इसलिये यह आउट आफ आर्डर है।

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस वक्त मैंने यह संशोधन पेश किया, माननीय सदस्य को उस वक्त यह एतराज करने का हक था। लेकिन अब मैंने उसके ऊपर विचार भी व्यक्त कर दिये, वह सदन के सामने पेश भी हो चुका तो कोई कायदा ऐसा नहीं है कि अब वह इसके ऊपर एतराज कर सकें। अगर कोई अपनी अक्ल का ठीक समय से इस्तेमाल न कर सके तो उसके लिये म दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

कोई आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री राममूर्ति—

माननीय अधिष्ठाता जी, कमलासिंह जी का कहना यह है कि सरकार विकेंद्रीकरण चीजों का करे, यह सही है और सरकार ने इसकी कोशिश भी की है। माननीय सदस्यों को विदित होगा कि सरकार करोड़ों रुपया ब्लाक डेवलपमेंट कमेटियों के जरिये से मेसोनरी वेल्स छोटे-छोटे कुवें बनाने के लिये देती है और सरकार ने पिछले जमाने में यह भी किया कि कोआपरेटिव ट्यूबवेल्स के लिये सब्सिडी और तकाबी भी दी। लेकिन यह भी आपको विदित है कि वह ट्यूबवेल बहुधा सभी फेल हो गये और सारे नहीं तो कम से कम बहुत बड़ी संख्या में सरकार को उन्हें फिर वापस लेना पड़ा। उस नजरिये से आप देखें ट्यूववेल की एकोनामी ऐसी है कि कितने ही स्पेयर पार्ट्स का सवाल होता है, इंजिन का प्रश्न रहता है और बिजली का खर्चा है, इन सबके लिये जब तक पहले से काफी पैसा लगाने के लिये न हो तब तक उसका काम नहीं हो पाता। इसलिये यह कोई मुनासिब बात नहीं होगी और इसका इससे कोई वास्ता भी नहीं है, इस मौके पर यह कहना भी मुनासिब नहीं है कि ट्यूबवेल्स ट्रांसफर कर दिये जायं। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी को सुनकर मुझे दुख हुआ कि इतनी भी बात वह उस मंशा से नहीं समझ सके जो मैं चाहता था। एक तरफ आपकी भावना यह है कि गांव के लोग कोआपरेटिव बेसिस पर बनायें तब तो आप रुपया उसके लिये देने को तैयार हैं लेकिन दूसरी तरफ आपके बने बनाये ट्यूबवेल्स के लिये जब हम कहते हैं कि उसकी कीमत लेकर दे दीजिये तो उसमें आपका क्या नुक्सान है? अगर कोई गांव सभा आपकी शर्तों को मानते हुये उसको लेने के लिये तैयार है तो वह आप उसको दे दें। (व्यवधान) लेकिन आप तो उसका दरवाजा बन्द कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि

दरवाजा बन्द न रहे। अगर कोई गांव सभा ऐसी है या कई गांव सभायें मिलकर चाहती हैं ऐसा करना तो जैसे कोआपरेटिव के लिये आप कहते हैं कि ट्यूबवेल बनाओ, हम मदद करेंगे उसी तरह इसमें भी आपकी यह भावना होनी चाहिये कि जो आपके बने बनाये ट्यूबवेल्स हैं वह आप उनको दें और किस्तों में अपना रुपया उनसे ले लें। ३०-एफ मैं पढ़ दूं, आप देखें वह कितना फनी है--

"30-F. With effect from the date, a notification in this behalf is published in the *Gazette* by the State Government, and subject to such terms and conditions as may be prescribed, all the water-courses and all works carried out by the State Government in connection with the implementation of the scheme, shall vest in the Gaon Sabha within whose jurisdiction the same lie."

मैं कहता हूं कि अगर वाकई आपकी यह मंशा नहीं है तो थोड़ी-सी जो यह गूल वगैरह आप उनको देने जा रहे हैं, उससे गांव सभा का क्या फायदा होगा। यह तो केवल मजाक है और मैं तो सोचता हूं कि अगर वाकई आपकी मंशा है कि आप गांव की भलाई चाहते हैं तो ट्यूबवैल का हिस्सा या नहर का पार्ट गांव सभा को दे देते हैं तो मैं समझता हूं यह बहुत भलाई का काम है। अगर आपका इरादा है कि गांव की भलाई हो तो आप वाटर चैनल्स, नहर और नलकूपों को गांव वालों को देकर ट्रायल कीजिये कि वह काम चला सकते हैं या नहीं। आज जिस तरह से ट्यूबवैल्स चल रहे हैं अगर गांव वालों के सिपुर्द कर दिये जाते हैं तो आप देखिये कि गांव वाले उससे फायदा उठा सकते हैं या नहीं। ग्रो मोर फूड के सिलसिले में वह पैदावार बढ़ा सकते हैं या नहीं। मैं कहता हूं कि इसकी ट्रायल कीजिये और मेरा खयाल है कि इससे उनका भला हो सकता है और वे यह काम कर सकते है। मैं समझता हूं मंत्री जी इस भावना से इस संशोधन पर विचार करेंगे तो ज्यादा सुन्दर होगा। अगर कोई मजबूरी की भावना से काम करता है तो वह काम उतना सुन्दर नहीं होता है। अगर मंत्री जी इस भावना की कद्र करेंगे और कोशिश करेंगे तो गांव वालों के लिये एक दरवाजा खुल सकता है। उनके लिये दरवाजा बन्द नहीं होना चाहिये। वह खुला रहना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

समय कम है, उसका भी ध्यान रखिये।

श्री कमलासिंह यादव--

इसी कारण मैं संक्षेप में कह रहा हूं। इन बातों का ध्यान रखते हुये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरी बातों पर खयाल करें और उन गांव वालों के लिये दरवाजा खुला रखें ताकि कहीं भी कोई गांव सभा चाहे तो उसको प्रोत्साहन मिल सके।

*श्री राममूर्ति--

अधिष्ठाता महोदय, मैं पहले कह चुका हूं और फिर दोहराता हूं कि सिंचाई विभाग जब से खुला है उस वक्त से गूल सब कृषक की जायदाद रही हैं। वही उनको मेंटेन करता रहा है और वही उनको बढ़ाता रहा है। नया विधेयक नहीं आ रहा है जिसमें गूल की नई बात हो। गूल जब बनती हैं तो वह किसान को दी जाती हैं और वह उनकी प्रापर्टी है। जहां तक ट्यूबवैल देने का ताल्लुक है उसके लिये जो कठिनाई है उसका जिक्र किया। किसान लोग उनको पूरा भी नहीं कर सकते हैं जो दिक्कतें उनके सामने आयेंगी और इस मौके पर इन बातों का कोई संबंध भी नहीं है। जहां पर लोग काम करने के लिये आगे आयेंगे और १०,२० गांव सभा मिलकर इस बात की डिमांड करेंगी कि उनके पास इतना रुपया है जिससे वह एक ट्यूबवेल बना लेना चाहती हैं तो उसके बाद उस पर विचार किया जा सकता है। इस समय गूल बनाने के काम से इसका क्या संबंध है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ३ में प्रस्तावित धारा 30-G के बाद 30-H निम्नलिखित रूप में जोड़ दी जाय :—

"The Gaon Sabha or Gaon Sabhas being in the command area of a tube-well if agreed to take over the tube-well the Government shall, subject to such terms and conditions as may be imposed by it in this behalf, transfer to or vest in the Gaon Sabha or Gaon Sabhas the tube-well and the land covered with the water courses constructed or carried out for the purpose."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

ऐक्ट संख्या ८, १८७४ में नयी धारा ३६–ए का बढ़ाया जाना

४—मूल अधिनियम की धारा ३६ के पश्चात् नयी धारा ३६–ए० के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये—

"36-A. (1) There shall be levied on, and collected from, in the manner prescribed, the persons mentioned in sub-section (2) a development charge for recovering the cost of the land acquired or requisitioned and the cost of construction and maintaining the water-courses, and all works carried out, in connection with the implementation of the scheme, calculated—

(i) for the cost of acquisition and requisition of the land at the rate of 40 Naye Paise per acre per annum ; and

(ii) for the cost of constructing the water-courses and for carrying out the works connected therewith, at the rate of 60 Naye Paise per acre per annum.

(2) Every person having a holding in the irrigable command area except those who have surrendered or transferred by way of gift, as the case may be, to the Gaon Sabha such portion of their land on which any water-course has been constructed, or on which any work connected therewith has been carried out, shall be liable and pay till such time as the cost together wih interest at six per cent per annum on the same, has been reaized in full to the State Government, if the cost of acquisition has been met out of the Consolidated Fund of the State, or to the Gaon Sabha, if the compensation for acquisition or requisition has been paid by the Gaon Sabha, a development charge levied under clause (i) of sub-section (1), and every person in that area, who has failed to implement the scheme in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 30-C, or sub-section (2)of section 30-D,so far as it relates to his land, shall, in lieu of the benefits derived from the implementation of the scheme, pay till such time as the expenditure incurred in this connection, together with interest at six per cent per annum

on the same, has been realized in full, to the State Government or the Gaon Sabha, whosoever may have constructed the water-courses or carried out the works connected therewith, in the implementation of the scheme, a development charge levied at the rate provided in clause (ii) of sub-section (1) :

Provided however that the development charges shall in the first instance be payable to the State Government till such time as the expenditure incurred by it in this connection, together with interet at six per cent per annum on the same, has been realized in full."

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ४ में प्रस्तावित नयी धारा 36-A के उपखण्ड (१) में उल्लिखित शब्द "And main aining" को हटा दिया जाय तथा उसके स्थान पर शब्द 'of' रख दिया जाय ।

अधिष्ठाता महोदय, हमारा संशोधन बहुत छोटा है लेकिन बड़ी अहमियत का है। मेन्टेनिंग शब्द रह गया था । जो लैबी लग रही है वह कंस्ट्रक्शन पर लग रही है। इस शब्द के रहने पर मेन्टेनिंग पर भी लग जायगी । हटा देने पर वह कांस्ट्रक्शन पर ही रह जायगी । मैं समझता हूं मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री राममूर्ति--

मैं इसको स्वीकार करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खण्ड ४ में प्रस्तावित नयी धारा 36 A के उपखंड (१) में उल्लिखित शब्द "And maintaining" को हटा दिया जाय तथा उसके स्थान पर शब्द 'of' रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*श्री कमलासिंह यादव--

अधिष्ठाता महोदय, मैं धारा ४ का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इसमें पहले तो कम्पेंसेशन बहुत कम है । इसमें दिया हुआ है कि ४० नया पैसा जमीन की और ६० नया पैसा कंस्ट्रक्शन की कीमत दी जायगी । जमीन पर कोई भी आदमी मिट्टी डाल दे तो कीमत ड्योढ़ी हो जायगी । इसके साथ ही ६ परसेंट इंटरेस्ट की बात दी हुई है । यह बहुत ज्यादा है । ४ परसेंट पर आप लोन ले रहे हैं और उसे भी आप किसी के पास रहने नहीं देते । आपकी स्कीम पूरी होते ही आप इंटरेस्ट के साथ कीमत वसूल करेंगे । यह ब्याज बहुत ज्यादा है । आप देखें कि डेवलपमेंट की स्कीमों में भी इंस्टालमेंट में रुपया वसूल किया जाता है, लेकिन इसमें आप डाइरेक्ट तरीके से एक किस्त में रुपया भी लेना चाहते हैं और ६ परसेंट का सूद भी । मैं समझता हूं कि यह अच्छी बात नहीं है । इससे गांव वालों को अच्छी प्रेरणा नहीं मिलेगी । आपको तो चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा साढ़े चार या ५ परसेंट सूद लें, लेकिन ६ परसेंट बहुत ज्यादा होगा । यह एक प्रकार का अन्याय है । पहले आपने उसकी जमीन छीनी और दूसरे ५ पेंसेशन भी नहीं देते । वह तो रुपया वसूल करने के बाद आप देंगे । आप देखें कि १९५४ में आपका नहर की सिंचाई का रेट कितना ज्यादा था । उसके लिये पी० एस० पी० आदि ने आन्दोलन किया तब ३ आने रुपये की छूट दी गयी । आज भी सिंचाई के रेट ज्यादा हैं और इससे किसान को बड़ी दिक्कत होती है । आप इस स्कीम का इंप्लीमेंटेशन भी किसान के जरिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]
से कराना चाहते हैं और अगर उसकी मजबूरी होती है तो सरकार इस काम को करके उसमें लगे रुपये पर ६ परसेंट सूद लेगी। यह उचित नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इस धारा ४ का विरोध करता हूं।

श्री राममूर्ति---

कमला सिंह जी की बात के बाद मैं इतना संशोधन करने के लिये तैयार हूं कि बजाय ६ परसेंट के इसको साढ़े चार परसेंट कर दिया जाय। जहां शब्द "६ परसेंट" है उसके स्थान पर "साढ़े ४ परसेंट" रख दिया जाय।

श्री कमलासिंह यादव---

मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय मंत्री जी जरा ध्यान दें। जो संशोधन है, वह आप पढ़ दें, तो मैं सदन की राय इसमें ले लूं।

श्री राममूर्ति---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि "खंड ४ में प्रस्तावित नई धारा 36-A के उपखंड (२) में शब्द "Six percent" के स्थान पर शब्द "Four and a half percent", रख दिये जायें।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि "खंड ४ में प्रस्तावित नई धारा ३६-ए के उपखंड (२) की पंक्ति ७ में शब्द "Six percent" के स्थान पर शब्द "Four and a half percent" रख दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५ तथा ६

ऐक्ट संख्या ८,१८७३ की धारा ७५ का संशोधन

५---मूल अधिनियम की धारा ७५ को उसकी उपधारा (१) कर दिया जाय और तत्पश्चात् उसकी उपधारा (२) तथा (३) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये:---

"(2) Without prejudice to the generality of the powers contained under sub-section (1), the rules may provide for---

(i) the particulars to be mentioned in the scheme prepared under this chapter;

(ii) the manner of implementation of the scheme ;

(iii) the manner of publication of the scheme and giving or publishing of notice under this chapter ; and

(iv) the manner of doing or execution of such other things as can be, or may be, prescribed for giving effect to the provisions of this chapter.

(3) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature while it is in session, for a total period of four-

teen days extending in its one session or more than one successive sessions and shall, unless some later date is appointed, take effect, from the date of their publication in the *Gazette*, subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may agree to make, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder."

निरसन और अपवाद उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १, १९६३

६--(१) नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९६३ निरस्त किया जाता है ।

(२) इस निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम २९ जनवरी, १९६३ को प्रारम्भ हुआ हो ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ५ व ६ इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐंड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३

ऐक्ट संख्या, ८, १८७३

नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज ऐक्ट, १८७३ को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधित करने के लिये,

विधेयक

ऐक्ट संख्या ८, १८७३ उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १, १९६३

नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज ऐक्ट, १८७३ को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधित करने के लिये राज्यपाल द्वारा २९ जनवरी, १९६३ को नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९६३ प्रख्यापित किया गया था;

और यह इष्टकर तथा आवश्यक है कि उक्त अध्यादेश विधान मंडल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाये ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त शीर्षक नाम और प्रसार

१--(१) यह अधिनियम नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राममूर्ति--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३ पारित किया जाय ।"

श्री कमलासिंह यादव--

माननीय अधिष्ठाता जी, समय बहुत कम है । सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं आपके द्वारा कि माननीय मंत्री जी की महान् कृपा है कि काफी कोआपरेशन के साथ उन्होंने इस बिल को पास कराया है और मैं समझता हूं कि जिस भावना को उन्होंने जाग्रत किया है, यदि वैसी भावना रहे, तो यह डिपार्टमेन्ट भी काफी कामयाबी हासिल कर सकता है । मैं माननीय मंत्री जी को पुनः इसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं । इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री रक्षपालसिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का यह विधेयक सदन में लाया गया है । यह प्रसन्नता की बात है कि इसके अन्दर कुछ अच्छे-अच्छे संशोधन दिये गये, परन्तु सरकार ने उन्हें मानने से इंकार कर दिया है कुछ माने भी । इस सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि इसके लिये क्या वास्तव में यह सरकार बधाई की पात्र है । मुझे इसके सम्बन्ध में २-१ बातें कहनी हैं । मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया कि इस विधेयक के बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जिनका वे इसमें समावेश कर लेंगे । इस विधेयक के बारे में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि पानी उचित स्थान तक पहुंचाया ही नहीं जा सकता है । पानी नहीं पहुंचता है और उधर किसान के ऊपर यह लांछन लगाया जाता है कि सरकार तो पानी देती है परन्तु किसान उसका उपयोग नहीं करते हैं । पानी पहुंचाने या न पहुंचाने की बात नहीं है । आप देखें कि यह योजना खाली कागजात पर ही रह जायगी और वैसे ही पड़ी रहेगी । इसलिये पानी समय-समय पर पहुंचना चाहिये । आप देखें कि खेत सूख जाते हैं और फसलें बरबाद हो जाती हैं और फिर भी यही कहा जाता है कि नहरें और गूलें नहीं बन रही हैं । यह ऐसी बातें हैं, जिनका कि विधेयक के अन्दर समावेश होना चाहिये । आप देखें कि नई गूलें लगाने की भी कहीं-कहीं पर आवश्यकता पड़ गई है । मैं आपको बता दूं कि किसी खेत में किसान पानी दे पाता है और कभी नहीं दे पाता है । ऐसी भी कहीं-कहीं पर किसानों की तरफ से दरख्वास्तें आई हैं कि वहां पर नये स्थानों पर गूलों को बनाकर लगाया जाय ।

एक बात और कहूंगा कि यह जो गांव सभाओं के द्वारा काम करने की बात कही गई है, वैसे मैं यह मानता हूं कि इससे प्रजातंत्र का विकेन्द्रीयकरण होता है और यह बात बड़ी अच्छी है, परन्तु इसमें एक खराबी यह है कि सरकार अपना कार्य सम्भवतः पूर्ण नहीं कर पाती है । अब आप यह जब स्वयं ही नहीं कर पाते हैं तो गांव सभा कसे कर पायेगी । हम यह चाहते हैं कि इसका सुधार होना चाहिये । मैं यह चाहता हूं कि जो हमारे अफसर हैं वह जो भी स्कीम गांव सभा की हो उसे देखें । यह देखना चाहिये कि वह जो स्कीम बनाई गई है, वह गांव सभा द्वारा पूरी की जाती है या नहीं ? परन्तु ऐसा नहीं होता है । माननीय मंत्री जी को कम से कम इतना तो अवश्य मान लेना चाहिये कि जिसमें गांव सभायें संशोधन कर दें, तो उनको फिर से गांव सभा में जाकर, जो माडिफिकेशन हों उनको देखना च हिये । इस पर अफसरों को काफी ध्यान देना चाहिये । यदि अफसर गांव सभा की भावना पर ध्यान नहीं रखेगा तो इसमें अपील की व्यवस्था होनी चाहिये । परन्तु मैं यह देखता हूं कि वैसी बात नहीं है । इस बात की सम्भावना नहीं है । क्षेत्र समिति और जिला परिषद् का यह काम है कि अभी जितनी उसमें खामियां हैं, उनको दूर किया जाय । जो योजनायें किसानों के फायदे के लिये हैं, कि उनको फायदा पहुंचे सिंचाई के द्वारा, वह नहीं हो पाता है । मैं एक बात और यह कहूंगा कि जो पैसा किसानों को देना होता है वह उनसे मारकेट रेट से लेने में क्या कठिनाई होती है और मैं समझता हूं कि इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये । जो प्रैस्क्राइब्ड रेट है वही लिया जाना चाहिये । मैं तो कहता हूं कि यदि मारकेट रेट पर पैसा लिया जाय तो कोई कठिनाई नहीं थी । इस पर फिर से विचार होना चाहिये । यह कार्य इस तरह से किये जाने चाहिये कि जिससे स्कीम पर अच्छे रूप में और सही रूप में काम हो सके ।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि पूर्व वक्ता माननीय रक्षपाल सिंह ने बतलाया, यह स्वागत के योग्य है, लेकिन इसमें बहुत से दोष हैं जिससे उनको फिर तरमीम करने की आवश्यकता होगी। पहले तो यह है कि अफसरान द्वारा पहले से स्कीम बनायी जायगी जिनको पता नहीं है कि गांव में कहां जल-मार्ग बनाना चाहिये और कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। ज्यादा उचित होता अगर उसे गांव वाले बनाते, जिससे कठिनाई न होती और शिकायत का मौका न होता, लेकिन उल्टा चल रहे हैं।

दूसरी चीज है अपील। स्कीम कैनाल अफसर बनावे, उसके बाद फाइनल भी वही कर दे। जहां पर गांव सभा कुछ कहती है, कैनाल अफसर कुछ कहता है, उसका फैसला कौन करेगा। वह हमेशा के लिये विरोधात्मक भावना पैदा करेगा। गांव वाले कहेंगे कि इस तरफ से जाना चाहिये और माडिफिकेशन आया है तो कैनाल अफसर फाइनल करता है। तो डिसाइड करने के लिये तीसरा आदमी होना चाहिये। गांव सभा वाले नहीं मानेंगे तो आपत्ति होगी।

इसके अलावा ३०-सी० में पिछली धारा के सब-सेक्शन (५) के अनुसार सब आदमियों के लिये रखा है, यह बहुत खराब है। सभी लोग कैसे तैयार हो जायेंगे? इसलिये गांव सभा के लिये इसको रखा जाय और जिन आदमियों की जायदाद ली जाय उनसे संबंधित रहे, सब के लिये न रखा जाय, इसमें समय लगेगा। वह कैसे चूज करेंगे?

चौथे, मार्केट वैल्यू के लिये कहा गया है। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि जो रेट्स रखे जायेंगे वह लैन्ड एक्वीजीशन के न होकर दूसरे होंगे। तो इन चीजों को देख कर और कोई संशोधन माननीय मंत्री जी करें तो ज्यादा उचित होगा।

*श्री राममूर्ति--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यद्यपि कल से कई बातों का दोबारा फिर जिक्र किया गया, मैं कई बार कह चुका हूं कि यह कहना मुनासिब नहीं है कि हम कोई चीज गांव वालों पर थोपना चाहते हैं। हमने इस विधेयक के अन्दर पूरा प्रावीजन किया है कि पहले लोग खुद काम करें और जो टेक्निकल मदद की जरूरत होती है वह सिंचाई विभाग के अफसरान नक्शों के जरिये से पहुंचायेंगे, जाकर लोगों को बतलायेंगे। फिर गांव पंचायत के लिये काफी समय इसमें दिया जा रहा है कि वह बैठ कर सोचें, क्योंकि वह गांव के हर हिस्से के चप्पे-चप्पे से वाकिफयत रखते हैं, पानी के बहाव से भी। उसके लिहाज से जो भी तब्दीली आप करना चाहेंगे वह बतलायेंगे और हम लोगों को खुशी होगी कि उनके सुझावों और मालूमात से फायदा उठायें। जितना भी काम किया जा रहा है वह लोगों की सुविधा के लिये किया जा रहा है, इसलिये अपने दिमाग में इस कदर भ्रम में नहीं रखना चाहिये कि हम कोई जबरदस्ती करना चाहते हैं। मैं इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों के प्रति, जिन्होंने इस विधेयक के विचार में और पारित करने में जो मेरे साथ सहयोग प्रदान किया है और मदद की है उसके लिये मैं आपके द्वारा, अपना आभार प्रकट करता हूं और इस बात की पूर्ण आशा है कि इस विधेयक के जरिये से, जैसा कि इसके उद्देश्य में बताया गया, इस प्रदेश में सिंचाई विभाग और सरकार के जरिये जो सिंचाई के नये साधन उपलब्ध कराये गये हैं, और जिनको अभी लोग अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इस विधेयक के जरिये से उनकी वह दिक्कत दूर की गयी है। इस प्रकार से उपलब्ध साधनों को जो लोग इस्तेमाल करेंगे, उनकी दौलत बढ़ेगी और उससे हम सबका कल्याण होगा। इन शब्दों के साथ में एक बार फिर अधिष्ठाता महोदय आपको और माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३†

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाय।

अधिष्ठाता महोदय, यह विधेयक माननीय सदन की मेज पर गालिबन ८ फरवरी को रख दिया गया था। उस रोज इंट्रोड्यूस हो चुका था। आज पांच रोज हो गये हैं। मैं समझता हूं माननीय मित्रों ने इसका अध्ययन कर लिया होगा। कोई मनुष्य बिना खेती की पैदावार के जिन्दा नहीं रह सकता। खेती की पैदावार के लिये यह आवश्यक है कि खेतों की भूमि बनी रहे। राष्ट्र की भूमि का संरक्षण किसी भी राज्य के लिये उतना ही आवश्यक है और अनिवार्य है, जितना की भूमि में पैदावार का बढ़ाना, अब तक हमारे यहां खेतों की पैदावार को बढ़ाने की ओर ही जोर दिया जाता रहा है लेकिन भूमि की रक्षा हो और भूमि बाद में आने वाली पीढ़ियों के पास काबिल इस्तेमाल रही आये इस पर उचित ध्यान हम लोगों ने नहीं दिया।

अधिष्ठाता महोदय, कारखाने, हवाई जहाज, रेल और इंजिन और भी तरह-तरह की सम्पत्ति हर मुल्क में दिखाई देती है लेकिन ये सब धीरे-धीरे डेटोरियेट होकर नष्ट हो जाने वाली हैं लेकिन भूमि एक ऐसी सम्पत्ति है कि मुनासिब इस्तेमाल से वह हमेशा बेहतर ही होती जाती है। हर चीज के बिना काम चल सकता है लेकिन भूमि के बिना काम नहीं चल सकता। अस्पताल, स्कूल, कालेज, हवाई जहाज यहां तक कि मकान और कपड़ों के बिना भी काम चल सकता है लेकिन भोजन के बिना काम नहीं चल सकता है। इसलिये किसी भी राज्य के लिये भूमि सबसे बड़ी निधि और सम्पत्ति है।

(इस समय ३ बजकर ५९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

हर पीढ़ी का यह फर्ज है कि जिस हालत में उसने पहली पीढ़ी से जमीन को पाया है उसको बेहतर हालत में छोड़ कर जाय। अगर ऐसा न हो सके तो कम से कम उसी हालत में छोड़े वरना हम उन नस्लों के साथ अन्याय करेंगे जो अपने हितों की रक्षा के लिये इस समय मौजूद नहीं हैं। इसलिये वह किसान जो अपनी जमीन का क्षरण होने देता है, जो भूमि को खराब होते देख रहा है और उसकी रक्षा नहीं कर रहा है वह दुनियां के पर्दे से अपनी कौम को मिटा दिया करता है। वे कौमें दुनियां के पर्दे से मिट जाया करती हैं। ऐसी बहुत-सी मिसालें हैं जिनको हम इतिहास में पढ़ते हैं कि वहां की बड़ी ऊंची सभ्यता थी या वह बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र था लेकिन वहां की जमीन के इरोजन के कारण आज वहां रेगिस्तान है और वहां कोई लोग रहते नहीं हैं, वह कौम बिल्कुल मिट गयी। इसलिये अधिष्ठाता महोदय, मैं केवल इन शब्दों के द्वारा अपने माननीय मित्रों के जेहन में यह अंकित करने की कोशिश कर रहा हूं कि भूमि संरक्षण का काम जहां हमारे सामने और बहुत से काम हैं, उनसे किसी भी प्रकार कम महत्व का नहीं है।

खेती का काम ऐसा है जिसको बहुत से शहरी लोग—हमारे शहर के जितने पढ़े लिखे लोग हैं चाहे वकील हों, डाक्टर हों, पत्रकार हों या और लोग हों, सब की दृष्टि में खेती का काम गंवारपन के साथ, जहालत के साथ, गरीबी के साथ जुड़ा हुआ है। सब की यही कल्पना है। लिहाजा एग्रीकल्चर की तरफ उतना ध्यान नहीं देते। जितना कुछ अखबारों में पढ़ते भी हैं वह केवल जबान तक ही सीमित है। कभी इस बात को पूरी तरह से अहसास नहीं किया गया कि खेती कितना महत्व हमारे आर्थिक विकास की पृष्ठभूमि में रखती है। मैं माननीय सदन का और समय न लेकर केवल यह अर्ज करना चाहता हूं कि भूमि का जो इरोजन होता है उसके दो मुख्य कारण हैं—जल और वायु। गर्मी के दिनों में जब तेज हवा चलती है तो वह जमीन के एक-एक जर्रे को उड़ा कर ले जाती है और जिसकी वजह से वहां कोई वनस्पति नहीं होती है। पश्चिमी जिलों में और पंजाब तथा देहली के आसपास के इलाके में बड़ी जबरदस्त आंधी आती है। वैसी आंधी

†८ फरवरी, १९६३ की कार्यवाही में छपा है।

लखनऊ या बनारस में नहीं आती। इधर बहुत कम आंधी आती है। इसीलिये दिल्ली और पश्चिमी जिलों के इलाके की जमीनों की यह हालत है कि आज पंजाब, राजस्थान व पश्चिमी जिलों में कोई वनस्पति नहीं है। वहां कोई फसल नहीं हो पाती है। यही कारण है कि वहां कोई बागात, जंगलात व वृक्ष आदि नहीं हैं। जब आंधी आती है और जमीन के कणों को उड़ा कर ले जाती है तो देखा गया है कि हर आंधी के बाद खेत कमजोर हो जाता है और उसकी पैदावार में कमी आती है। तो यह वायु के जरिये होता है।

जल के जरिये इससे भी ज्यादा तेजी के साथ स्वायल का इरोजन या जमीन की ताकत कम होती जाती है। वह इरोजन तीन प्रकार से होता है। एक तो शीट इरोजन है, दूसरा गली इरोजन है और तीसरा रिल इरोजन है। शीट इरोजन को कोई आंख से नहीं देख पाता है। जो किसान अपने खेत की मेंड़ कम से कम आधा फुट या एक-एक फुट नहीं बांधते हैं, उनके खेत में बारिश के दिनों में भी पानी नहीं रुकता है और पानी के साथ ही उस खेत की मिट्टी भी बह जाती है। अगर किसी किसान के खेत में आधा-आधा फुट या एक-एक फुट की मेंड़ बनी होती है तो वहां तक उस खेत में पानी भरा रहता है, वह बहता नहीं है, उसके ऊपर जो पानी होता है वह ऊपर-ऊपर ही उतर जाता है। इस तरह से वह जमीन नहीं कटती। लेकिन अगर मेंड़ न हो तो वह पानी जमा नहीं होगा और आधा इंच या एक इंच तक जो पानी जज्ब होगा उसके अलावा सारा पानी बह जायेगा और जमीन कट कर चली जायगी। अधिष्ठाता महोदय, खेती के महकमे की ओर से पहले इस बात की कोशिश होती रही है कि किसानों में मेंड़बन्धी की आदत डाली जाय। लेकिन उसमें कोई बहुत बड़ी कामयाबी हमें नहीं मिली और इसका नतीजा यह है कि शीट इरोजन हर खेत में जारी है। अब पानी चूंकि जबरदस्त रफ्तार के साथ और बहुत ज्यादा मिकदार में नहीं बहता इसलिए हम यह समझते हैं कि खेत नहीं बहता, लेकिन यद्यपि इरोजन दिखाई नहीं देता पर होता वह रहता है।

दूसरा गली इरोजन होता है, यह वहां होता है जहां नदी नाले अधिक होते हैं और उन से मिट्टी कटती रहती है। तीसरा है रिल इरोजन जहां पानी का जोर होता है, वाटरलांगिग होता है, और उससे जमीन खराब होती जाती है। तफसील में न जाकर मैं यह कहूंगा कि हवा और पानी ही दो ऐसे मुख्य कारण हैं जिनसे इरोजन होता है।

आज हमारे प्रदेश की जमीन का कुल क्षेत्र सवा सात करोड़ एकड़ के करीब है, एक दो लाख एकड़ का फर्क है जियालोजिकल सर्वे विभाग और माल विभाग के रिकार्ड्स में लेकिन मोटे-तौर पर सवा सात करोड़ एकड़ के करीब कुल भूमि है। इसमें से साढ़े ४ करोड़ एकड़ के करीब पर खेती होती है। सवा सात करोड़ एकड़ में से उस जमीन को छोड़ कर जिस को कि हम राकी कहते हैं, जिसमें कि पैदावार की पोटेन्शियलिटी नहीं है। १ करोड ७० लाख एकड़ के करीब जमीन ऐसी है जो पोटेन्शियली प्रोडक्टिव है जिसमें कि खेती की जा सकती है, अगर नाम मात्र को भी हो सकती है तो उसकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। जिसकी तफसील भी मैं बताये देता हूं। सिवा राक्स को छोड़ कर परमात्मा की जितनी बनाई हुई भूमि है मनुष्य अगर बुद्धि और बाहुबल से काम ले तो हर बीघा, एकड़ या किसी भी रकबे से वह लाभ उठा सकता है लेकिन ऐसी जमीन से भी हम एक करोड़ ७० लाख एकड़ से लाभ नहीं उठा रहे है और ऐसा रकबा आगे और बढ़ता जाता है, जमीन जो खराब हो चुकी है या आधी खराब हो चुकी है या जो पूरी पैदावार नहीं दे रही है उसका क्षेत्र बढ़ता जाता है। सब मार्जिनल लैंड के क्षेत्र का अनुमान ६० लाख एकड़ के करीब है जिस में खेती करने से लाभ है ही नहीं लेकिन उस पर किसान मजबूरन खेती करता है क्योंकि उसको कुछ न कुछ करना है, जितनी कास्ट उस खेती पर आती है वह भी उस से वापस नहीं आती। हमारे सर्वेक्षकों का अनुमान है कि इसमें से ३० लाख एकड़ जमीन ऐसी है कि जिसमें नार्मल जमीन की पैदावार से आधी या ५० प्रतिशत पैदावार होती है और बाकी ३० लाख एकड़ जमीन ऐसी है उसमें नार्मल लैंड की पैदावार का केवल २५ प्रतिशत ही पैदा होती है। इस तरह से ६० लाख एकड़ में कुल ३० का आधा १५ और फिर ३० का चौथाई साढ़े सात यानी कुल मिला कर साढ़े २२ लाख एकड़ की ही पैदावार होती है। ३० लाख एकड़ जमीन ऐसी है कि जो रेवीन्स लैंड है। मथुरा से फतेहपुर

[श्री चरणसिंह]

तक नीचे इलाहाबाद तक और जमुना के किनारे कौथम की झील फतेहपुर तक एक जबरदस्त खार या खालें जमुना के खादर की हैं और चम्बल की भी हैं। तो रेवीन्स जो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं जिनके मुताल्लिक कभी-कभी लोग तजवीज करते हैं कि बुलडोजर्स से उस जमीन को समतल कर दिया जाय और फिर खेती की जाय .....

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

श्रीमन्, जरा समझ नहीं पा रहा हूं जो माननीय मन्त्री जी जमुना खादर के बारे में बात कह रहे हैं, जरा जोर से उस को समझायें।

श्री चरणसिंह--

मैं आपकी इजाजत से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जमुना जो माननीय लखीसिंह के जिले में होकर बहती है उस नदी पर ही सब से ज्यादा खारें हैं, रेवीन्स हैं, जिनमें हाथी समा जाय और दिखाई न दे, जिसमें डाकू लोग विचरते हैं आगरा और इटावा जिले के इलाके में। यह रेवीन्स जमुना नदी पर ही सब से ज्यादा हैं और चम्बल में भी हैं जो हमारे प्रदेश के इटावा जिले में बहती है। गोमती में भी हैं, गोमती लखनऊ से जितना नीचे चलती है रेवीन्स बढ़ती जाती हैं। सई नदी जो रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और शायद जौनपुर में बहती है जो गोमती में मिलती है उसमें भी हैं। छोटी-मोटी और भी नदियां हैं। कुछ नदियां ऐसी हैं जैसे गंगा, सरजू, राप्ती आदि इन पर रेवीन्स नहीं हैं। तो इन रेवीन्स का रकबा ३० लाख एकड़ है। हमारे डिप्टी डायरेक्टर, स्वायल कंजरवेशन ने जब यह आंकड़े लिख कर भेजे तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वह मेरे पास नक्शे लाये तो मुझे यकीन हुआ कि ३० लाख एकड़ से कम रकबा रेवीन्स का नहीं होगा।

इसी प्रकार ऊसर भूमि का रकबा ३१ लाख एकड़ आंका जाता है, ऐसा अनुमान है क्योंकि लेखपाल स्वायल यूटीलाइजेशन के लिहाज से केटेगरीज नहीं बनाता है क्योंकि वह इतना ट्रेन्ड नहीं है जो इतना डिस्टिंक्शन कर सके इसीलिए हम सही आंकड़े नहीं बता सकते। हमारे विभाग का अनुमान है कि ३१ लाख एकड़ ऐसा ऊसर का रकबा होगा, यह नहीं कहा जा सकता कि यह रकबा ३२ लाख एकड़ नहीं होगा या २८ लाख एकड़ नहीं होगा। अनुमानतः ३१ लाख एकड़ रकबा ऊसर का है। इसके अलावा ५० लाख एकड़ वह जमीन है जिसमें वीड्स होती है, जैसे कांस है या और तरह की घास है या झाड़ियां हैं जहां कभी खेती नहीं हुई आज तक।

इसके अलावा जिसका ड्रेनेज बहुत खराब है। यह ड्रेनेज खराब होना शुरू हुआ, पहले तो प्राकृतिक तरीके से पानी बहने का स्लोप बना हुआ था कुदरत की तरफ़ से। लेकिन सौ साल पहले नहरें, रेलवे ट्रैक्स और रोड्स जब बननी शुरू हुईं तो नेचुरल ड्रेनेज अपसेट हो गया। इतने पुल नहरों, रेलों और सड़कों के नीचे नहीं बनाये जा सकते थे कि जितना पानी बहता था वह बिला किसी रुकावट के जैसे पहले बहता था वैसे बहता रहे। इसके अलावा जब ये बनाये गये थे अब उससे ज्यादा बारिश होने लगी। नतीजा यह है कि जितना पानी पड़ता है उसको ये पुल ड्रेन आउट नहीं कर सकते जिसकी वजह से पानी जमा हो जाता है और वह जमीन खराब हो जाती है। कहीं-कहीं दो, तीन महीने बाद पानी सूख जाता है तो लोग मटर वगैरह बो लेते हैं। लेकिन कुछ जमीन ऐसी है जहां पहले पानी जमा नहीं होता था लेकिन अब मुस्तकिल तरीके से जमा रहता है और वह जमीन खराब हो चुकी है। तो ऐसा रकबा भी ५० लाख एकड़ में शामिल है और इस तरह से १ करोड़ ७१ लाख एकड़ जमीन सवा ७ करोड़ में से ऐसी है जो आदमी की गफलत से या कुदरती कारणों से या हमारे आलस से य हमारे कामों से खराब हो गयी और आज भी अगर हम सब लोग कोशिश करें तो यह जमीन कृषि योग्य बनायी जा सकती है और हमारे सूबे की पैदावार बढ़ सकती है।

इसके बाद वह रकबा रहा जिसमें कोई पोटेन्शल है ही नहीं, जैसे पहाड़ वगैरह। उपाध्यक्ष महोदय, हर साल हजारों एकड़ जमीन १ करोड़ ७१ लाख में बढ़ जाती है।

हजारों एकड़ जमीन मार्जिनल हो जाती है, यानी जिसमें यह कहना मुश्किल है कि खेती करने से फायदा होगा या नुकसान और हजारों एकड़ जमीन जिसको आज हम मार्जिनल कहते हैं वह सब-मार्जिनल हो जाती है। अनुमान यह है कि ४० करोड़ टन मिट्टी उत्तर प्रदेश के खेतों से हर साल बह जाती है। यानी खाद वगैरह डाल कर जो फर्टाइल लेयर आदमी बनाता है उसका बहुत-सा हिस्सा हमारे नानमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट या गलत तरह से खेती करने से बह जाता है।

ऊसर हमारे यहां २२ लाख एकड़ आंका गया था सन् १९३८ में। तब गवर्नमेन्ट ने एक कमेटी मुकर्रर की थी उसकी यह रिपोर्ट थी। अब जैसा कि मैंने आप को बताया वह ३१ लाख एकड़ हो गया। यह समझिये कि २०–२५ साल में ९ लाख एकड़ ऊसर का रकबा हमारे प्रदेश में बढ़ गया। बुंदेलखंड में ३२ हजार एकड़ जमीन हर साल खराब हो जाती है। वह कई कारणों से और ज्यादा खराब हो रही है और कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ५०० वर्ष में, कुछ का कहना है कि एक हजार वर्ष में अगर हमारी तरफ से ग़फलत रही तो उस में कोई पत्ता भी नहीं पैदा होगा, कोई पेड़ नहीं रह जायगा, रेगिस्तान हो जायगा, अगर इसी रफ्तार से जमीन का क्षरण वहां होता रहा। यह समस्या हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश में कहीं कम और कहीं ज्यादा है। अब तक हमारी गवर्नमेन्ट्स का ध्यान इधर बहुत कम गया लेकिन अब प्लानिंग कमीशन का ध्यान इधर बहुत ज्यादा है अगर्चे थर्ड प्लान में जितना रुपया रखना चाहिये था उतना एक्र माने में नहीं रखा गया है। इस माने में कि जितनी बड़ी समस्या है उतना रुपया नहीं रखा गया है। लेकिन दूसरे मानी में रुपया मौजूद है। वह यह कि जितना रुपया रखते हैं उसको खर्च नहीं कर पाते हैं। जितना रुपया मुख्तलिफ प्रदेशों को दिया जाता है, सिर्फ एक ही प्रदेश उसको इस्तेमाल कर पा रहा है, बाकी नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण है और वह यह माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा दीपनारायण सिंह जी से कहूंगा कि इसमें केवल गवर्नमेन्ट की ही गफ़लत नहीं है। यों तो गवर्नमेन्ट की गफलत होती है लेकिन सारी सोसाइटी का ही इधर ध्यान नहीं है। इसके अलावा ट्रेण्ड परसोनेल की भी कमी है। सोइल कंजर्वेशन का काम करने के लिए तीन प्रकार का ज्ञान चाहिये। एग्रोनोमी, फोरेस्ट्री और इंजीनियरिंग। ऐसा कोई आदमी नहीं मिलता है जिसे तीनों प्रकार का ज्ञान हो। हमारे यहां खेती का काम करने वाले मिल जाते हैं, फारेस्ट में फारेस्ट्री के ज्ञान वाले मिल जाते हैं और इरीगेशन में इंजीनियर मिल जाते हैं, हमारे यहां डायरेक्टर आफ सोइल कंजर्वेशन हैं, ऐसे एक आध अफसर हैं। देहरादून में ६ महीने का शार्ट कोर्स होता है। जो लोग वहां से आते हैं वे थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं लेकिन जितना ज्ञान आवश्यक है उतना उनको भी नहीं होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट के अवसर पर यह बात आती लेकिन मैं कहे देता हूं। हमारी स्टेट पहला कदम उठा रही है। पोस्ट ग्रेजुयेट क्लास हम जुलाई से खोलने जा रहे हैं। उसमें ग्रेजुएट्स को फारेस्ट्री और इंजीनियरिंग की भी शिक्षा देना चाहते हैं। दो साल का कोर्स होगा। इसको हम सोइल कंजर्वेशन के काम के लिये ही खोल रहे हैं जिससे ट्रेण्ड परसोनेल मिल सकें।

दूसरा कारण यह है, जैसा कि मैंने अर्ज किया, कि ६० लाख एकड़ जमीन हल के नीचे है और इसके अलावा भी जमीन है जो किसान के कब्जे में है। अब स्वाइल कजर्वेशन को रोकने के लिये हमें किसान से कहना पड़ेगा कि वे नदी के स्लोप की तरफ जो खेती करते हैं उससे वारिश में मिट्टी बह कर नदी में चली जाती है, इसलिये उसकी प्रैक्टिस के खिलाफ खेती करने के लिये कहना पड़ेगा। अगर वह स्लोप के पैरेलल बोता है तो मिट्टी बह कर नदी में चली जायगी। मतलब यह है कि जो आजकल उसकी आदत है उसके खिलाफ काम करने के लिये कहना पड़ेगा।

श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

अगर जमीन को दो बार जोतना हो तो क्या करें?

श्री चरणसिंह—

यह बात ठीक है। दो के बजाय तीन तरफ से जोते लेकिन पानी के बहाव के खिलाफ बोये। रेलगाड़ी से जाते हुए देखेंगे कि बहुत-सी जगह किसान ठीक तरह से खेती कर रहा है। लेकिन बहुत सी जगह ऐसा कर रहा है कि जब बारिश होती है तो मिट्टी कट कर नदी में चली जाती है। उसमें हमको किसान को उस की आदत के खिलाफ प्रैक्टिस सिखानी है। इसके अलावा पेड़ लगवाने हैं। ऐसी भी जमीन होगी जिसके लिए हमें कहना पड़ेगा कि यह खेती के लायक नहीं है, उससे ऊपर जो जमीन है उसकी भी रक्षा करनी है, क्योंकि नीचे स्लोप पर गलत तरीके से खेती हो रही है। पानी जो आता है वह तेजी से बह जाता है। उसका असर तीन फर्लांग तक पड़ता है। लेकिन उससे क्या मतलब कि ऊपर की भी जमीन खराब हो रही है? अगर उससे यह कहें कि तुम्हारी जमीन पर पेड़ लगाने होंगे तो वह उस की समझ में नहीं आता क्योंकि इमीडिएट गेन तो उसका गया। यह बहुत-सी कठिनाइयां हैं?

तीसरी बात यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जिस तरह से स्कीम बनायी है, बहुत जल्द उसका इलाज हो जाय और जमीन रिक्लेम हो जाय, बहुत कास्ट लगे वह हमारे पास कास्ट है नहीं। जो मैंने स्वायल कंजरवेशन की तारीफ की है वह यह है —"भूमि एवं जल संरक्षण" का तात्पर्य भूमि एवं जल साधनों के उद्धार, अनुरक्षण तथा सुधार से है। जो जमीन खराब हो चुकी है उसको रेस्टोर करना, जो जमीन आज जेरे काश्त है उसकी स्वायल फर्टिलिटी को मेंटेन करना— कंजरवेशन और जिस जमीन में खेती हो रही है उस को बेहतर करना। यह बहुत आसान काम भी नहीं है। ट्रेंड परसोनेल नहीं, किसान उस की जरूरत को समझा नहीं, तीसरे, यह कि गवर्नमेन्ट और किसान के साधन भी नहीं हैं और बहुत-सी ऐसी जमीन है मस्लन वीड इनफेस्टेड जिसका विशेषज्ञ कोई इलाज नहीं कर पाये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, झांसी में ट्रेक्टरों से कांस उखाड़ी गयी। बड़ा खर्च पड़ा। वह खर्च हम से गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने ले लिया १२ या १५ लाख रुपया। झांसी का किसान वह रुपया नहीं दे रहा है। वह कह रहा है कि यह ज्यादा है या हमको फायदा नहीं हुआ। तीस तीस फीट गहरी कांस की जड़ जाती है। ट्रैक्टर एक दो फीट उखाड़ सकता है। उसका इलाज आज तक नहीं मिला। अब सुनते हैं कि कुछ केमिकल इलाज निकलने वाला है। लेकिन वह भी एस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं है। तो यह बड़ा मुश्किल काम है। जो प्लानिंग कमीशन रुपया दे रहा है उसको हम अभी इस्तेमाल नहीं कर पाये हैं। किसी प्रदेश में स्वायल कंजर्वेशन का कानून नहीं बनाया गया था। १९५४ में हमने कानून बनाया जो कि मई, १९५४ का ऐक्ट हो गया। मैं नहीं जानता कि क्या कारण रहे होंगे, १९५९ में उसके नियम बने और उसके बाद यह फोर्स में आया। तो हमारे सामने एक कठिनाई है प्रोसीजर की। माननीय भीखालाल जो इस समय नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि ९ साल में सरकार को पता चला है कि क्या खराबी है और अब यह ९ दिन भी इंतजार नहीं करना चाहती। तो मैं कहूंगा कि ५९ से तो इस पर कुछ जिलों में काम आरम्भ हुआ।

पहले यह रखा गया कि स्वायल कंजर्वेशन कमेटी प्लान बनायेगी लेकिन प्रेलीमिनरी ऐप्रुवल के लिये स्टेट बोर्ड के पास भेजेगी। अगर यह सूबे के स्तर पर जो बोर्ड होगा वह तय कर देगा कि यह प्लान फायदेमन्द नहीं है, या फायदा इससे बहुत थोड़ा भी होने की उम्मीद नहीं है तो यह रिजेक्ट हो जायगा। माडीफाई करके या वैसा ही कहें कि ठीक है तो पब्लिश हो जाता था अखबारात में या डोंडी पीट कर जिन गांवों पर असर होता है उनसे एतराजात मांगे जाते थे। अगर वह आये तो डिस्ट्रिक्ट स्वायल कंजर्वेशन आफिसर कलेक्टर के जरिये से स्टेट बोर्ड के पास भेजता था और जब यहां फायनल हो जाय तब गजट में पब्लिश हो। तो उपाध्यक्ष महोदय, दो बार तो स्टेट बोर्ड के पास आये और जब वह कन्फर्म कर दे तब पब्लिश हो गजट में। और इस तरह से एक प्लान को दो बार बोर्ड का ऐप्रूवल लेने के लिये सवा साल लगता था। बहुत समय लगता था और अगर फिर डिस्ट्रिक्ट स्वायल कंजर्वेशन बोर्ड को रिफर हो गया तो फिर और देर लगती थी। ७१५ प्लान्स में से १८१ प्लान्स ऐसे थे जो फायनल हो गये स्वायल कंजरवेशन बोर्ड से। अब गजट का जहां तक सवाल है मालूम हुआ कि एक प्लान को गजट म पब्लिश होने में ५ हजार रुपये खर्च होंगे। जब यह मालूम हुआ तो

फिर गाड़ी अटकी। जिस वक्त यह बिल बना था फरवरी, १९५४ में तब हमारे जेहन में यह बात नहीं थी कि ५ हजार रुपया एक प्लान पर खर्च हो सकता है, लेकिन वह इतने तफसील से बनता है कि एक एक इंच का उसमें हिसाब होता है, नक्शा होता है और इस प्लान को मेंटेन करने के लिये कहीं ५ हजार,७ हजार और ४ हजार यानी औसतन ५ हजार रुपया खर्च होता है। तो १८१ प्लान्स के लिये पब्लिश करने में ९ लाख रुपये खर्च होंगे और अब तक १८१ ही प्लान बने हैं। परमात्मा करे यह सिलसिला जोर पकड़ जाय और ५० हजार या २५ हजार तो प्लान्स बन ही जायेंगे और उनके पब्लिकेशन में करोड़ों रुपया जायगा।

दूसरी बात यह है कि इसमें स्टेट स्वायल कंजर्वेशन बोर्ड को इसमें लिखा गया है और मैंने तो इसको इस लिहाज से रखा था कि लोगों की जमीन के रेट्स पर इसका प्रभाव पड़ेगा। बहुत इम्पार्टेन्ट चीज है। तो केवल डिस्ट्रिक्ट स्वायल कंजर्वेशन आफिसर को जितनी टेकनिकल नालेज है उस पर या लेमैन जो होंगे डिस्ट्रिक्ट स्वायल कंजर्वेशन कमेटी के मेम्बर, उनकी बुद्धि पर छोड़ना ठीक नहीं होगा। इसलिये मैंने अपनी बुद्धि, अपने तजुर्बे के आधार पर यह जरूरी समझा कि नहीं, हमारे पास जितनी टेकनिकल नालेज स्टेट लेविल पर है जब तक उसका फायदा प्लान वालों को न हो, तब तक फाइनल न हो। इस ख्याल से हमने अप्रूवल जरूरी रख दिया प्रेलिमिनरी और फाइनल भी ताकि प्लान में कोई खराबी न रह जाय क्योंकि अगर कोई खराबी रह गई तो यही नहीं कि उस व्यक्ति और उस गांव पर उसका असर पड़े, दूसरे व्यक्तियों और दूसरे गांवों पर भी उसका असर पड़ सकता है। लेकिन अब यह मालूम हुआ कि जो एहतियात बरती गई थी दूसरे लोगों के हित में वही अब बाधक हो गई। तो यह दो सब से बड़ी रुकावटें थीं। अगर ये रुकावटें न होतीं तो मैं शायद इस बिल को लेकर माननीय सदन के सामने न आता। वह रुकावटें दूर करनी थीं।

दूसरी जो तरमीम इसमें है वह नाम की है। कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। हमने नाम इसका रख दिया स्वायल ऐंड वाटर कंजर्वेशन ऐक्ट क्योंकि स्वायल और वाटर दोनों साथ-साथ चलता है। स्वायल का कंजर्वेशन भी जरूरी है और वाटर का भी जरूरी है। मसलन मेड़ बनाई गई तो उससे स्वायल भी रुकता है और वाटर भी रुकता है। दोनों इंटीमेटली कनेक्टेड चीजें हैं। इसलिये हमने कहा कि इसको और व्यापक बनाया जाय। जैसा मैंने कहा फर्क कोई नहीं, सिर्फ नाम का है।

तीसरी चीज यह कि स्वायल कंजर्वेशन कमेटी जो जिले के स्तर पर बनी थी उसमें कोई नान-आफिशियल नहीं थे, केवल आफिसर लोग थे। मैं आपकी इजाजत से उसका कान्स्टीट्यूशन पढ़ देता हूं। उसमें यह थे—कलेक्टर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो डेवलपमेन्ट के जिम्मेदार अफसर हों, यानी डी० पी० ओ०, डिवीजनल फारेस्ट आफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर, और डिस्ट्रक्ट स्वायल कंजर्वेशन आफिसर तो अब यह तो सब हैं। हमने इसमें ये और बढ़ा दिये हैं—एक तो जिला परिषद् का अध्यक्ष और दूसरा, जिस गांव का प्लान बनता हो, तो जिस ब्लाक में वह गांव पड़ता हो, उस ब्लाक का प्रमुख। लेकिन यह प्रमुख उसी मीटिंग में बैठ सकेगा कि जिस मीटिंग में उसके ब्लाक के किसी गांव का जिक्र होगा, वरना अगर सारे प्रमुखों को इकट्ठा बना लें तो वहां भीड़ हो जायगी। तो प्रमुख और जिला परिषद् के अध्यक्ष दो ये, और तीन सज्जनों को कलेक्टर और नामिनेट कर सकेगा जिनको कि वह समझे कि भूमि संरक्षण के मामले में दिलचस्पी अपने जिले में है, यह उसी के ऊपर छोड़ दिया है। वह आम तौर पर मैं समझता हूं कि जिनको कुछ ज्ञान है, दिलचस्पी है, उनको रखेंगे। (व्यवधान) अगर यह कहें आप तो मैं निकाल दूंगा इनको। खैर (व्यवधान) इसमें मैं समझता हूं शायद कल उस चीज का जिक्र आयेगा, अभी मैं करना नहीं चाहता। यह ततैयों बर्रों का छत्ता होगा। डिस्ट्रिक्ट स्वायल कंजर्वेशन कमेटी जो होगी उसका काम आसान नहीं होगा। हजारों किसानों से इसका वास्ता होगा और चाहे वह किसानों के फायदे का काम करें लेकिन किसान उस चीज को समझेगा नहीं। बहुत कम बात के लिये तैयार होंगे जो यह कहें कि यह हमारे फायदे की चीज है। तो इन बर्रों के छत्ते में अगर जनाब का इरादा मुंह डालने का हो, तो ठीक है। एक बार एक गीदड़ ने शहद की मक्खी समझकर उसमें मुंह डाल दिया था।

[श्री चरणसिंह]

तो यह वही छत्ता है। तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप कहें तो मैं इसको निकाल दूंगा। मैं समझता हूं कम से कम हर जिले में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको जमीन के मामले से कुछ दिलचस्पी होती है। परमिट, लाइसेंस और पुलिस वगैरह से तो बहुत लोगों की दिलचस्पी होती है लेकिन भूमि की पैदावार कैसे बढ़े, भूमि की रक्षा कैसे हो, हमारे जानवरों की नस्ल का कैसे सुधार हो इसमें कम लोगों की दिलचस्पी होती है। यह तीसरा इसमें अन्तर है।

चौथा अन्तर यह है कि पहले इसमें यह था कि डिस्ट्रिक्ट स्वायल कंजर्वेशन आफिसर किसी भी किसान से यह कह सकता है कि तुम अमुक काम करो। वह न करे या कह दे कि करूंगा और फिर उसमें हीला हवाला करे तो डिस्ट्रिक्ट स्वायल कंजर्वेशन आफिसर अपनी तरफ से काम करा सकता था और खर्चा वसूल कर लेता था। अब हम यह करना चाहते हैं कि कलेक्टर अगर यह समझे कि किसान कर ही नहीं सकता है, किसी सूरत में नहीं कर सकता है और कई किसान भी मिल कर नहीं कर सकते हैं या करने में देर करते हैं तो इस बात की लिमिटेशन उसकी डिस्क्रीशन पर रख दिया है कि किसान को क्यों कहने की जरूरत नहीं है, किस माने में नोटिस देने की जरूरत नहीं है। वह बिना उनको कहे और नोटिस दिये अपनी तरफ से कर सकता है और जो कास्ट होगी उसको उनसे वसूल कर सकता है। यह ४ तरमीम हैं। २ तो नामिनल हैं, एक सब्स्टेन्शियल और एक नान आफिशियल रखने की छोटी तरमीम है। बाकी तरमीमों के बिना काम चल सकता था लेकिन हमारे लीगल एडवाइजर ने यह सलाह दी कि इसमें इतने छोटे-छोटे सेक्शन्स करने होंगे कि उससे बेहतर यही है कि एक नया बिल ले आयें। तो यह बिल आपके सामने है। इसमें यह संशोधन है कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। जब वह संशोधन आयेगा तो मैं आपकी इजाजत से फिर माननीय सदन के सामने अपनी दलील और तर्क पेश करूंगा कि इसमें क्यों देर करने की जरूरत नहीं है। इन शब्दों के साथ में अपने प्रस्ताव को पेश करता हूं।

*श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३ को एक प्रवर समिति को भेजा जाय और समिति को विधेयक का अधिकार क्षेत्र भी बढ़ाने का अधिकार प्राप्त हो और जो १५ दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दे।

जहां तक इस विधेयक के उसूल का सवाल है मैं कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को सदन के सामने रखा। जहां तक मंत्री जी का इस विधेयक से संबंधित भाषण का सम्बन्ध है वह भी इतना महत्वपूर्ण भाषण है कि जिसमें उन्होंने आंकड़े और भाव दोनों उभारने की कोशिश की। इसके लिये भी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं मन्त्री जी का। यह विधेयक प्रवर समिति में क्यों भेजा जाय, अभी सुबह भी इस पर चर्चा हुई थी कि इसको भेजा जाना चाहिये। यह कार्य संचालन परामर्शदात्री समिति के सिलसिले में डिस्कशन हुआ था। ऐसा लगता है कि इस बिल में कुछ खामियां है और उनमें जाने के पहले मंत्री जी के भाषण से संबंधित दो, तीन बातों की तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। इसके उद्देश्य और कारण में लिखा है कि यह १९५४ में ऐक्ट बना और १९५९ में इसके नियम बने। इतनी जल्दी तो उस समय की गयी थी कि जब सदन ने यह विधेयक पारित कर दिया था, जिसके आधार पर यह बिल पेश हुआ है। सारे आंकड़े मंत्री जी ने दिये, लेकिन एक बात मुझे खटकती है। यह आंकड़े नहीं मिले कि १९५९ से १९६३ तक क्या प्रगति हुई इसमें और इस कार्य पर कितना रुपया व्यय हुआ और इससे कितनी भूमि का संरक्षण किया जा सका तथा कितना उत्पादन इसके द्वारा बढ़ा। यह आंकड़े मिल जाते तो विचार करने में अधिक सुविधा होती। इसके उद्देश्य और कारण में दिया है कि अनुभव से यह मालूम हुआ है कि इस अधिनियम में जिस तंत्र की व्यवस्था की गयी थी, वह वास्तव में बिलम्बकारी थी। उस समय तंत्र दो थे—एक राज्य स्तर पर और दूसरा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिला स्तर पर। यह दोनों तंत्र आज भी मौजूद है जैसा कि मंत्री जी कबूल करते हैं। इस बिल में भी दोनों तंत्रों की गुंजायश है। फर्क इतना ही है कि उसमें अधिकारी सदस्य थे इसमें कुछ गैर सरकारी व्यक्तियों को भी जोड़ने की कोशिश की गई है। यह गैर सरकारी सदस्य कौन-कौन है ? जिला परिषद् के या अंतरिम जिला परिषद् के तीन प्रतिनिधि हैं। एक तो कृषि अधिकारी, दूसरे विकास अधिकारी और तीसरे अध्यक्ष महोदय स्वयं। यह तीन व्यक्ति प्रतिनिधित्व करते हैं केवल एक विभाग का। और इस बात की तरफ जब इशारा हुआ कि इसमें विधायक क्यों नहीं हैं तो मंत्री जी ने कहा कि वह बर्र के छत्ते में हाथ डालना होगा उसको शहद का छत्ता समझ कर। उदाहरण बड़ा बढ़िया है। यह ठीक है कि उसमें गलतफहमी हो सकती है, लेकिन समझ में एक बात नहीं आयी। अगर आप अधिकारियों को बर्र के छत्ते में हाथ डालने के लिये छोड़ देते हैं और तीन व्यक्तियों को आप नामजद भी करेंगे उस छत्ते में हाथ डालने के लिये और उनको आशीर्वाद प्राप्त होगा अपका कि तुमको एक भी बर्र नहीं काटेगी, तुम्हारे सिर पर हमारा आशीर्वाद का हाथ है तो आपको.....

श्री उपाध्यक्ष—

सदन में बातें बहुत हो रही हैं।

श्री कल्पनायसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मन्त्री जी का आशीर्वाद जिला परिषद् के अध्यक्ष को मिल सकता है, क्षेत्र समिति के प्रमुख को मिल सकता है, तीन नामजद प्रतिनिधियों को मिल सकता है, तो इस सदन में बैठने वाले सदस्यों ने कौन-सा गुनाह किया है कि उनको उनका आशीर्वाद नहीं मिल सकता, इसका क्या कारण है ? मैं तो कहूंगा कि यह भी एक बात जरा खटकती है इस बिल में। एक बात मैं और यह कहना चाहता हूं कि और जैसा कि मैं समझता हूं उस ओर मन्त्री जी का ध्यान जाना चाहिये। मैं आपसे नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा यह स्पष्ट विचार है कि मन्त्री जी जैसे अनुभवी और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति इसको उचित समझते हैं कि यह काम होना चाहिये। ऊपर की सतह से वही इस बात को भी कहे। मेरा ऐसा खयाल है कि मंत्री जी महसूस करते होंगे कि इसमें कहीं कमी मौलिक दोष है। वह दोष यह है कि इसको गांव सभा के स्तर पर विचार नहीं किया गया। जहां किसान स्वयं खेती करता है उसकी दिक्कतें होती है। उसको उस भूमि से ममता होती है। जो आंकड़ा अभी मन्त्री जी ने दिया ६० लाख एकड़ का, उससे कोई लाभ नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी वह खेती किये जाता है। पुश्त-दर-पुश्त उस ममता के कारण उसे छोड़ कर नहीं जाता है। तो जब इतनी ममता है तो हम उस खेती की उन्नति के लिये कोई काम क्यों नहीं करेंगे अगर हमें ठीक ढंग से समझाया जाय। मेरा खयाल है कि इसमें मौलिक प्रेरणा की कमी है। वह कहां से आये ? राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा, जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा या स्वयं किसानों के अन्दर प्रेरणा आये कि वह अपने काम को संपादित कर सकें। और राज्य इस काम में उसको प्रत्येक समय सहायता प्रदान कर सके। जिला स्तर पर योजनायें बनेंगी और कहीं भी इसकी गुंजायश नहीं है कि अव्वलन तो यह गांव और क्षेत्र स्तर पर योजनायें बनें और फिर जिला स्तर पर आयें तो उसमें वह प्रेरणा मिल सकेगी जो इस कार्य के लिये अपेक्षित है।

श्रीमन्, एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जहां इस बिल में और भाषण में भी यह बात कबूल की जाती है कि ऐसे भी किसान हैं जिनको खेती से कोई लाभ नहीं होता, लेकिन परम्परा और मोहब्बत के नाते येन-केन-प्रकारेण उस खेती के सहारे पड़े हुए हैं फिर भी इस योजना का खर्चा मालगुजारी के रूप में उनसे वसूल किया जायगा। यह बात सिद्धांततः समझ में नहीं आती। जब आवश्यकता है कि किसान को खेती का सुअवसर मिले और साधन उसको दिये जायं—मैंने माना कि इसमें पैसा अधिक व्यय होगा, लेकिन ऐसे स्थानों से पैसा दिया जाय जहां उसका स्रोत है और वह उस स्थान पर खर्च किया जाय जहां पर पैदावार अधिक बढ़ सके और उन लोगों को उसका पूरा हक है जो लोग उस खर्च को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह भी मैंने माना कि उस भूमि के लालच में वे मालगुजारी की बकाया की तरह सरकार को पैसा देंगे लेकिन किसानों पर एक बोझ हो जायगा और उनकी कर्जदारी बढ़ेगी।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

श्रीमन्, एक और प्रतिबन्ध लगाया गया है कि इस कार्यवाही से कोई भी क्षुब्ध व्यक्ति किसी विधि न्यायालय में नहीं जायगा। मैं यह कैसे कहूं कि यह बहुत अनुचित होगा लेकिन यह बात हमको कुछ ठीक लगी नहीं चूंकि किसी भी व्यक्ति को न्याय पाने का हक है। अगर न्याय कहता है कि हमको जहर खाने का हक है और सरकार समझती है कि नहीं, तो इस उदाहरण के साथ भी मैं यह मानता हूं कि न्याय पाने का हक सबसे बड़ा हक है और हमें न्याय पाने का अधिकारी रहना चाहिये। इस बिल में एक जगह नहीं, कई जगह पर विधि न्यायालय में जाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। उल्टी बात हो गई। कुछ विभागीय कार्यवाहियां होती हैं। इसमें इस बात का भी समावेश है कि जिला भूमि संरक्षण अधिकारी जो कार्यवाही करेगा वह जिलाधीश जो कार्यवाही करेगा वह, और मंडलायुक्त जो कार्यवाही करेगा वह, ये सब अदालत की कार्यवाहियां समझी जावेंगीं। अगर इन अधिकारियों की कार्यवाहियां अदालत की कार्यवाहियां हैं तो वे कौन-सी कार्यवाहियां हैं जो विभागीय कार्यवाहियों की शक्ल में कही जावेंगी? जिनको विभागीय कार्यवाही कहना चाहिये उन्हें आपने अदालत की कार्यवाहियां कह दिया और जो उनसे क्षुब्ध हैं उन्हें आपने अदालत में जाने से रोक दिया। ये दोनों बातें कुछ समझ में आई नहीं। मैं इससे सहमत हूं कि इस बिल के उद्देश्य से इसमें देर होने की गुंजायश है विधि न्यायालय में जाने पर। लेकिन फिर भी कोई न कोई इस प्रकार का प्रावीजन जरूर होना चाहिये। जहां एक तरफ आप इस बात की गुंजायश करते हैं कि किसानों के स्तर को उठावें, इस देश में कृषि को बल मिले, यह जिन्दा कौम कही जाय, वहीं इस बात की भी तकलीफ होती है कि एक जिन्दा कौम को न्यायालय में जाने से रोकने वाली बात कुछ अच्छी नहीं मालूम होती। श्रीमन्, अच्छा हुआ होता कि जिन अधिकारियों के नाम मैंने अभी गिनाये उनकी कार्यवाहियों को विभागीय मानकर इसके लिये अलग से कोई एक अदालत बैठा दी जाती जहां देर लगने की भी गुंजाइश नहीं होती। इस तरह का इसमें विधान होता कि मुकदमों के फैसले १५ दिन के अन्दर कर दिये जावेंगे। एक महीने के अन्दर फैसला कर दिया जाय। यह अच्छा था लेकिन लाभ के नाम पर न्याय का गला घोंटना उचित नहीं है। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा कि खेती का काम जहालत और गरीबी से जुड़ा हुआ है।

श्री चरणसिंह—

मैंने यह कहा था कि कुछ लोगों के दिमाग में ऐसी बात है।

श्री कल्पनाथसिंह —

लेकिन वास्तविकता क्या है यह तो आपने बताया नहीं। लेकिन वास्तविकता यह है कि आपके आंकड़ों के ही अनुसार अगर वह जहालत से जुड़ा हुआ नहीं है तो गरीबी से जुड़ा हुआ जरूर है और जब आदमी गरीबी से जुड़ता है तो जहालत से भी जुड़ ही जाता है। इसलिये ऐसे लोगों को थोड़ा प्रश्रय मिलना चाहिये।

मन्त्री जी ने कहा कि आंधी से इरोजन बढ़ता है और यह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में बहुत हो रहा है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता लेकन गरमी के दिनों में जो साधारण लू चलती है उससे भी इरोजन होता है, कहीं अधिक संख्या में तो कहीं कम संख्या में।

जैसा कि मन्त्री जी ने जिक्र किया, सई आदि नदियों का हवाला दिया, अगर मन्त्री जी कुछ पूर्वी जिलों का भी जिक्र कर देते तो मुझे खुशी होती। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि आजमगढ़, गाजीपुर और गोरखपुर में सभी जगह अधिक से अधिक ऊसर बिराजमान है। लेकिन उनके लिये जो जिलों की लिस्ट दी गयी उनमें इसके लिये कोई योजना नहीं है। इन जिलों का भी कहीं नाम नहीं है। जब मन्त्री जी यह जानते हैं कि सई जौनपुर से होकर जाती है फिर भी उसका नाम इस लिस्ट में नहीं दिया गया है। पूर्वी जिलों में ऊसर की लाखों एकड़ जमीन है और मैं ऐसा समझता हूं कि मन्त्री जी के पास वे आंकड़े मौजूद हैं कि किस जिले में कितनी जमीन ऐसी है। और वह जमीन, जिसके बारे में माननीय मन्त्री जी ने कहा कि उसका रकबा ६० लाख एकड़ है, वैसी जमीन भी पूर्वी जिलों में कम नहीं है। लेकिन इन १३ जिलों में एक भी पूर्वी जिले

का नाम न आना जरा खटकता है। अवध के जिले जरूर हैं, मिर्जापुर एक है। लेकिन वे जिले जो बहुत ज्यादा मशहूर हैं ऊसर के लिये, जैसे---आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर--- ये सभी जिले इसमें नहीं शामिल किये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं पिछले महीने में अपने जिले की एक स्कीम के बारे में एक सवाल किया था और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि हमारे उपमन्त्री जी ने जवाब दिया था कि आपके जिले में स्वायल कंजर्वेशन कमेटी है और आप वहां से पता लगा लें। मैंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि मेरे जिले में कोई ऐसी कमेटी है ही नहीं। इतना ही नहीं, उसके बाद मैंने एक पत्र लिखा कि उसका रकबा जिसका मैंने जिक्र किया था उस पार्टिक्यूलर क्वेश्चन में कि एक हजार एकड़ है, वह तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात थी, अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी अन्य स्थानों में भी बहुत है। और उस नदी का का नाम तेरना है जो सई नदी की तरह ही है। यह जरूर कहा गया था या कहा जा सकता है कि हमारे पास पैसे की कमी है इसलिये सभी काम एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं और जिसको अधिक प्राथमिकता देने की बात है उसको स्थान दे रहे हैं। यह तर्क उपस्थित हो सकता है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वहीं माननीय मन्त्री जी ने यह भी कहा कि केन्द्रीय सरकार ने जितना रुपया इस काम के लिये दिया है वह रुपया हमारे प्रदेश में खर्च हो रहा, यह प्रसन्नता की बात है।

श्री चरणसिंह---

मैंने तो यह नहीं कहा था।

श्री कल्पनाथसिंह---

फिर क्या कहा था?

श्री चरणसिंह---

बहुत-सी बातें गलत कह रहे हो, सबका कैसे जवाब दूं। मैंने यह कहा था कि देश भर में इस काम के लिये जितना रुपया मिला है, सिवा एक को छोड़ कर या मुमकिन है दो हों, कोई प्रदेश खर्च नहीं कर पाया है और उत्तर प्रदेश भी उन प्रदेशों में से एक है।

श्री कल्पनाथसिंह---

मेरा काम और आसान हो गया। एक तरफ रुपया खर्च भी न हो पाया और दूसरी तरफ ऐसी जमीन इसलिये पड़ी रही कि वह योजना में शामिल नहीं हुई। तो ये दो तर्क एक साथ मैं समझ नहीं पाया। श्रीमन्, यह बिल जैसा कि मैंने पहले कहा--- सिद्धांत की दृष्टि से मैं इसको उत्तम मानता हूं। कुछ कार्यवाही और कुछ अन्य विधियों का इसमें दोष है और उसके निवारण के लिये मैं यह आवश्यक समझता हूं और शायद मन्त्री जी भी इस बात से सहमत होंगे कि जो दिक्कतें उनको पिछले सन् १९५४ से लगायत १९६३ तक हुई होंगी, उन दिक्कतों के निबटारे के लिये यदि इस सदन के माननीय सदस्यों की राय एक साथ प्रवर समिति में बैठ कर मिल सके और जहां आवश्यक हो वहां इसमें तरमीम की जा सके, इस उद्देश्य से मैं यह निवेदन करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस संशोधन को स्वीकार करें कि इस बिल को प्रवर समिति में भेज दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति में भेजने के संशोधन का प्रस्ताव करता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, संयुक्त प्रवर समिति में भेजने के अपने प्रस्ताव को मैं प्रेस नहीं करता हूं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है श्रीमन्, वह यह कि कल जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठी थी तो सरकारी दल की ओर से यह बात आई थी कि इस पर आज शाम तक विचार किया जायगा और उसके बाद इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जायगा विचार के लिये। आप प्रोसीडिंग देख कर मालूम कर सकते हैं कि कल इस को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बात थी। तो जब यह प्रस्ताव विचार के लिये रख दिया गया और माननीय मन्त्री जी ने इस पर अपना

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

विचार करने के लिये भाषण भी दे दिया तो अब श्री कल्पनाथ सिंह के संशोधन के बाद सदन का समय क्यों खराब किया जा रहा है, जब इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजना ही है तो इस को वहां भेजा जाय .....

श्री उपाध्यक्ष —

बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी में यह तय नहीं होता कि किसी बिल को सलेक्ट कमेटी में भेजा जाय या न भेजा जाय, वहां तो विचार के लिये केवल समय तय होता है।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

आप श्रीमन्, कल नहीं थे आप इस की पुन: जानकारी करा लें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो मुझे मालूम हुआ है कि कल वहां कमेटी में ऐसी कोई बात हुई थी और उसके बाद आज यह यहां सदन में पेश हुआ। लेकिन अब फिर वह बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी को रिफर कर दिया गया है और जिसकी मीटिंग अभी दस पन्द्रह मिनट बाद होगी। बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी का काम यही है कि वह हाउस का काम ठीक से चले इसके लिये समय निर्धारित कर देती है। जो वहां शाम को आज तय होगा उसके अनुसार ही आगे कार्य किया जायगा।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि पांडेय जी यह कह रहे थे कि बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी जब बैठती है तो इस बात का खयाल कर के समय निर्धारित किया जाता है कि अमुक बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाना है या संशोधन के साथ उस को पास करना है। उनका कहना है कि आज शाम तक का समय इसीलिये बिजिनेस कमेटी ने रखा था कि इस पर बहस हो जायगी और यह सेलेक्ट कमेटी में चला जायगा। इसी खयाल से ऐसा कहा गया है कि ...

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने अर्ज किया कि वह बात सदन में तय नहीं हुई, अब उस पर विचार करने की बात हो गई है, मैंने स्वयं अर्ज कर दिया कि अन्ततोगत्वा यह बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी का काम भी नहीं है, उसका काम तो केवल कार्यक्रम का सिलसिला लगाना और समय निर्धारण है....

श्री कमलासिंह यादव—

समय तो उसने निर्धारित किया यह समझ कर कि यह सेलेक्ट कमेटी में जायगा...

श्री उपाध्यक्ष—

यह ठीक है कि इस पर विचार किया जायगा और सब पर विचार कर के ही निर्णय लिया जायगा। अब यह बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी को फिर जा रहा है, वहां पर जैसा आपस में मिलकर तय किया जायगा और बात करके जो फैसला होगा उसके मुताबिक काम किया जायगा।

*श्री चन्द्रजीत यादव—

श्रीमन्, आज सुबह आप यहां नहीं थे, जिस बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी के निर्णय की बात हो रही है उसमें कोई विवाद का प्रश्न नहीं है, यह बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी को अधिकार नहीं है कि वह किसी विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बात करे, यह वह तय नहीं करती। लेकिन सरकार की ओर से जिन चीफ व्हिप ने वहां सेलेक्ट कमेटी की बात कही उनको कोई अधिकार नहीं था। उनको चाहिये था कि वह जो मिनिस्टर इसको पाइलट कर रहे हैं उनसे राय करके वह बात करते। जो कुछ उन्होंने बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने कहा उसको वहां समझा गया कि वह सरकार की तरफ से कह रहे हैं। लेकिन जब यह बात मन्त्री जी को मालूम हुई.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं कह रहा हूं कि जब अभी कुछ मिनटों में बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी बैठ रही है तो क्यों यह सब प्रश्न उठाये जा रहे हैं.....

श्री चन्द्रजीत यादव---

आप बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की बात कह रहे हैं लेकिन जब उस कमेटी में चीफ व्हिप ने कहा था कि यह सेलेक्ट कमेटी में जायगा तो उस पर सेलेक्ट कमेटी ने तय कर दिया कि इसे सेलेक्ट कमेटी में शाम को आज भेज दिया जायगा और अगर ऐसा आश्वासन चीफ व्हिप का न होता तो दूसरी पार्टियों के नेताओं से बात होती और तय किया जाता कि कितना समय चाहिये या सेलेक्ट कमेटी में यह जायगा या नहीं। आप उसको अब फिर बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी के पास भेजने की बात करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने यह नहीं कहा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। मैंने यह कहा कि विचार होगा और उसमें अगर तय हो गया तो झगड़ा किस बात का। अतः इस समय बात न करके १० मिनट बाद ही इस सम्बन्ध में बात कर लेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

श्रीमन्, प्रक्रिया नियमावली के नियम २२५ सब-सेक्शन ३ को देखें। जब अध्यक्ष स्वयं उस समिति की अध्यक्षता करते हैं और एक बात तय हो गई कि सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाय तो मैं समझता हूं माननीय कल्पनाथसिंह के प्रस्ताव के बाद मन्त्री जी इसको मान लें और इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। उस समय अध्यक्ष ने एतराज नहीं किया। तो नियम के अनुसार वह बात तय समझी गई कि सेलेक्ट कमेटी में चला गया। अतः जब परामर्श-दात्री समिति ने तय कर दिया तो बहस नहीं हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिये सर्वसम्मति से कोई बात निकल आये। अगर निकल आयी तो ठीक है। इस समय माननीय रामायण राय जी बोल लें और १०, ११ मिनट बाद समिति की बैठक होने वाली है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

जो आपने कहा वह तो बिल्कुल सही है कि ऐडवाइजरी कमेटी का काम नहीं था। लेकिन चीफ व्हिप सरकार के कोई प्रस्ताव ले आये, यूनानीमसली तय हो जाता है और आपकी अध्यक्षता में तय हो जाता है तो ऐसी अवस्था में वह बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी का रिजोल्यूशन माना जायगा या यूनानिमस रिजोल्यूशन माना जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

बिजनेस कमेटी का काम यही है कि समय का बटवारा करती है हरएक बिल के लिये जो सरकार की तरफ से रखे जाते हैं। अगर कोई गलती हो जाती है किसी माननीय सदस्य से तो उस पर फिर से विचार किया जा सकता है। समय जितना इस बिल के लिये निर्धारित किया था उसमें अब अगर कोई नई बात पैदा हुई कि बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी को यह भेजा जाय कि न भेजा जाय। हाउस में चर्चा हुई, हाउस में कहा गया न भेजा जाय। उस तरफ से कहा गया भेजा जाय। तो इस पर फिर विचार हो जायगा और जितनी भी बात करनी है वह तो कल आप कर सकते हैं। मैं इन्कार कहां करता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव---

श्रीमन्, मन्त्री जी बता दें कि क्या वह इस बात से सहमत हैं या असहमत हैं कि जो चीफ व्हिप ने कहा था, सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बात को मान लिया था क्या उससे मन्त्री जी सहमत हैं या असहमत हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह बात हाउस के बजाय अलग से कर सकते हैं, मन्त्री जी को भी बुलाया है कि वह अपनी बात समझा दें। अतः वहीं बात कर लें तो अच्छा रहेगा।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---

श्रीमन्, जो संशोधन है अगर माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने नहीं पेश किया है तो उसको मैं प्रेस करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

ठीक है, मैंने एक साहब के बारे में पूछा था और आगे चल दिया था। माननीय रक्षपाल सिंह जी का भी नाम है।

श्री रक्षपालसिंह---

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३ को एक संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजा जाय जिसे परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और वह अपना प्रतिवेदन तीन सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

श्रीमन्, कृषि मन्त्री जी के द्वारा यह बिल सदन में पेश किया गया। इसके उद्देश्य और कारण ऐसे हैं जिनका स्वागत प्रत्येक को करना चाहिये कि अधिक से अधिक जमीन का संरक्षण हो सके, कटाव से बच सके, खेती के लिये जो आवश्यक पानी है उसका ठीक ढंग से उपयोग हो सके। इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात दूसरी हो नहीं सकती लेकिन यह सब होने के पश्चात् भी मैं प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को सपोर्ट करने के लिये मजबूर हूं। कृषि मन्त्री जी जिस भावना से इसको लाये हैं वह बहुत अच्छी है। मन्त्री महोदय इसको पायलट जरूर कर रहे हैं लेकिन यह है तो उसी सरकार का जो सतत् इस सदन में बिल लाती रहती है। पुराने कानून को समाप्त करके नये कानून द्वारा काम करने की बात इस बिल में की गयी है। इस सरकार द्वारा लाये गये बिल बार-बार संशोधित होते रहते हैं। उदाहरण के लिये आप क्षेत्र समिति का कानून ले लें। सन् १९६१ में वह पास हुआ और ६२ में फिर संशोधन आ गया। चकबन्दी कानून को ले लीजिये। हर तीन महीने, छः महीने के बाद उसमें संशोधन आते रहते हैं . . .

श्री चरणसिंह ---

माननीय मित्र अगर राजी हों तो एक बात पूछ लूं। आपका संशोधन है कि इस विधेयक की परिधि बढ़ायी जाय, यानी यह सीमित परिधि है और आप इसको विस्तृत करना चाहते हैं। तो समय का अच्छा उपयोग तभी होगा जब आप हमको यह समझा दें कि परिधि बढ़ा कर आप इसमें क्या और शामिल करना चाहते हैं जो इसमें नहीं है।

श्री रक्षपालसिंह --

माननीय मन्त्री जी का मैं बड़ा आभारी हूं कि मैं विषय के बाहर जा रहा था और उन्होंने उसको लिमिट करने की बात की। स्वायल कन्जरवेशन क्या है, इस सबका समावेश इसके अन्दर है परन्तु क्या गारन्टी है कि आपका यह कानून चल सकेगा। आप कहते तो हैं कि जमीन बच जायगी, पैदावार बढ़ जायगी लेकिन कोई गारन्टी नहीं है। हां, यह गारन्टी निश्चित रूप से हो जायगी कि आप किसानों से पैसा वसूल कर लेंगे। मेरा मतलब यह है कि जो किसान पर बर्डन पड़ने वाला है उस पर अच्छी तरह से विचार होना चाहिये और क्या काम होना चाहिये उस पर विचार होना चाहिये। यह बिल्कुल सही है कि मन्त्री महोदय बहुत योग्य व्यक्ति हैं और किसानों के बड़े हमदर्द हैं लेकिन चार आदमी जब बैठेंगे तो एक आदमी से ज्यादा अक्ल लगायेंगे। इसलिये मैं बड़े अदब से मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इसमें जिद की कोई बात नहीं है, मेरी बात को वे मान लें। खाली बढ़िया भाषण करने से तो किसान की समस्या हल नहीं होगी। ऐसा कानून बनायें जो कार्यरूप में परिणत हो सके। संयुक्त प्रवर समिति की बात

मैं इसलिये कहता हूं कि उसमें विधान परिषद् के भी सदस्य होंगे और दूसरे हाउस में जाने का समय बच जायगा। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि इसे संयुक्त प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया) ---

मान्यवर, कल्पनार्थासिंह जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, कार्यमन्त्रणा समिति में क्या निश्चय हुआ? उसके आधार पर यह कहा गया कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि आप और हम सब बैठेंगे तो सोच लेंगे कि हमारा क्या अधिकार है और हम क्या कर सकते हैं? मैं आपके द्वारा कृषि मन्त्री जी से केवल इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारी ओर से जो इसे प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया गया है तो यह हमारी मंशा कतई नहीं थी कि यह कानून देर से पास हो और जनता जो लाभान्वित होने को है या जितनी भूमि आप जल संरक्षण से बचाना चाहते हैं उसकी प्रक्रिया में किसी तरह का विलम्ब हो? संयोग की बात थी कि समय ऐसा चुना गया इस बिल के लिये कि जिस अवसर पर यह कहा जा सकता था कि अब बजट शुरू होने वाला है जल्दी से इसे पास करो आप स्वयं इस बात को कबूल करेंगे कि आपके द्वारा इस मसत्व के बिल के साथ सदन न्याय नहीं कर सकेगा यदि जितना समय हमारे डिस्पोजल पर है उसमें ही इसे पास करें।

आपकी मंशा जो बहुत ही पवित्र है, हो सकता है कि बिल में प्रावीजन किये गये हैं, व्यवस्था की गई है, उसके चलते हुये यह लक्ष्य न हो सके। यह भी सम्भव है कि जल्दी में शायद आपने इस बात का ध्यान न दिया हो कि इसमें कहीं एक आध शायद भूल भी हो गई हो, जिन भूलों के चलते, जिन लोगों के लिये आप भूमि का संरक्षण चाहते हैं उन लोगों के अस्तित्व पर ही कानून का अप्रत्यक्ष हमला हो जाय। ये बहुत सारी बातें हैं जिनको मद्देनजर रखते हुये मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इसमें जल्दबाजी की कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

अब समय हो गया है। अगर आप जल्दी खत्म कर दें तो एक-आध मिनट बढ़ा दूं।

श्री रामायणराय ---

मान्यवर, अभी तो मैं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष ---

ठीक है। अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के साढ़े १० बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१३ फरवरी, १९६३।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० ३१६ एल० ए० (प्रो०) १९६३--८५०।